खण्ड–24, अंक–01
सोमवार, 24 अग्रहायण, शक संवत्, 1930
(15 दिसम्बर, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 24 में 06 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
वन्दे मातरम्	1
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा किए जाने की माँग	2–5
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा किए जाने की पुनः माँग	5–13
प्रश्नोत्तर	13–78
दिनाँक 26 एवं 27 नवम्बर, 2008 को "मुम्बई में हुई आतंकवादी घटना" में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रस्ताव ...	79–81
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	81
भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2007–08 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखे गये)	81
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक) (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	81
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष, 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	82
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन (सदन के पटल पर रखा गया)	82
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का वित्तीय वर्ष, 2006–07 का वार्षिक लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	82
भारत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या–35, अधिसूचना संख्या–282/उत्तराखण्ड/2008, दिनाँक 25 सितम्बर, 2008 को संशोधन सहित (सदन के पटल पर रखा गया) ...	82

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रथम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष, 2003–04 (दिनाँक 31–10–2003 से 31–03–2004 तक) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	82–83
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत (गाजणा में) जलकूर नदी के खेप नामें तोक पर (आर०सी०सी०) पैदल झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	83
जनपद उत्तरकाशी में अस्सी वारूणी यात्रा पैदल मार्ग निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	83
जनपद उत्तरकाशी के उपरीकोट से हनुमान चट्टी तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)... ...	84
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	84
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	85
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	85–86
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)...	86
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	86–87
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	87
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (अस्वीकृत)	87
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनायें	87–88
नत्थियाँ	89–154

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती आशा
5. श्री ओम गोपाल
6. श्री करन मेहरा
7. सुश्री कैरन मेयर
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह रावत
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड़क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगा राम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. श्री तिलक राज बेहड़
24. श्री दिनेश अग्रवाल
25. श्री दिवाकर भट्ट
26. श्री दिवान सिंह
27. श्री नारायण पाल
28. काजी मौ० निजामुद्दीन
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पन्त
31. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलवीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बंशीधर भगत
39. श्री बृजमोहन कोटवाल
40. मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
41. श्री मदन कौशिक
42. श्री मनोज तिवारी
43. श्री मयूख सिंह
44. श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'महँ भाई'
45. श्री मातबर सिंह कण्डारी
46. श्री यशपाल आर्य
47. श्री यशपाल बेनाम
48. चौ0 यशवीर सिंह
49. श्री रणजीत रावत
50. डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'
51. श्री राजकुमार
52. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56. श्रीमती वीना महराना
57. श्री शहजाद
58. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
59. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60. श्री सुरेन्द्र राकेश
61. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
62. श्री सुरेश चन्द जैन
63. डा0 हरक सिंह रावत
64. श्री हरभजन सिंह चीमा
65. श्री हरिदास

सोमवार, दिनाँक 15 दिसम्बर, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही "वन्दे मातरम्" से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मुम्बई में हुई आतंकवादी घटना में मारे गये लोगों के प्रति दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

* डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुम्बई बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गये हैं, उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए सदन में दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह अनुरोध है, इसके विषय में श्रीमन्, मैं यह अवगत कराना चाहूँगा कि नियम–112 के तहत विधिवत् इसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से आयेगा, जिसमें सभी माननीय सदस्य चर्चा करेंगे।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा किए जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन की प्राप्त हुई है, जो कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में है, प्रकरण महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में शासन का क्या मत है? वह सदन को अवगत करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय, इस सम्बन्ध में सरकार प्रस्ताव संकल्प के माध्यम से लेकर आयेगी, सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार प्रस्ताव लायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना मौहम्मद शहजाद एवं अन्य की है, जो गन्ना किसानों को पिछले वर्ष का घोषित मूल्य के भुगतान होने तथा चालू सत्र का गन्ना मूल्य घोषित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किए जाने से सम्बन्धित है। इसी सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह राणा, श्री प्रीतम सिंह, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री रणजीत रावत तथा श्री तिलक राज बेहड़ की सूचना प्राप्त हुई है। इन दोनों सूचनाओं को मैं नियम–58 में सुन लूँगा। (घोर व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं इसे नियम–58 में सुन लूँगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर नारे लगाने लगे।)

चौथी सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री यशपाल बेनाम तथा श्री ओम गोपाल रावत की है, जो स्थायी राजधानी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रकरण महत्वपूर्ण है। शासन का इस सम्बन्ध में क्या मत है? वह कृपया सदन को अवगत करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, राजधानी निर्माण के लिए जो आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है और उस रिपोर्ट का परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त उस रिपोर्ट से माननीय सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, पांचवी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री यशपाल आर्य, श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलवीर सिंह नेगी की है, जो हल्द्वानी में कु0 प्रीति शर्मा हत्याकाण्ड से सम्बन्धित है। मैं इसे नियम–58 में सुन लूँगा। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में जोर–जोर से अपनी–अपनी बात को उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते हैं। मैं नियम–58 में इसे सुन लूँगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूँगा कि सदन के संचालन में सहायता प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपकी पीठ से विनिश्चय आ चुका है कि इस विषय को नियम–58 के तहत ग्राह्यता पर सुन लेंगे, माननीय सदस्य जो भी विषय नियम–58 में रखना चाहें वह सदन के समक्ष रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा पूरा सहयोग है। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे तथा नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता बसपा से अनुरोध है कि कृपया अपने सदस्यों को समझाएं, नियम–58 में इस विषय को सुन लेंगे। अपनी इन सब बातों को आप लोग नियम–58 में कह सकते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन पूर्वाह्न 11:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:55 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में दिन के 11 बजकर 55 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा किए जाने की पुनः माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, गन्ना किसान परेशान हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, हमारी नियम–310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, स्थाई राजधानी का मामला है, इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है।

शिक्षा एवं आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैंने प्रश्नकाल के बाद समय का अनुरोध किया था। तब मेरा वक्तव्य आ जायेगा।

(घोर व्यवधान)

* श्री शहजाद–

मान्यवर, पहले चर्चा हो जाए, उसके बाद वक्तव्य आयेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मानतीय शहजाद जी, कृपया बैठ जाएं।

* काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि आज कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं और उसके बाद मुम्बई ब्लास्ट के सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव भी जाना है, तो पहले इस पर कार्यवाही हो जाए उसके बाद चर्चा भी जाएगी और माननीय मंत्री जी कोई घोषणा करना चाहते हैं तो घोषणा भी कर देंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, चर्चा नियम–310 में होगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब सदन आहूत रहता है तो सरकार कोई भी घोषणा बाहर नहीं कर सकती है। सदन के अन्दर ही घोषणाएं माननीय मंत्रियों द्वारा की जाती हैं और माननीय मंत्री जी ने इसके सम्बन्ध में पूर्व में समय मांगा है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, घोषणाएं नियम के अन्तर्गत की जाती हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिले।

श्री अध्यक्ष–

जो भी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं उनको समय मिलेगा।

(श्री यशपाल बेनाम तथा उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी सत्तापक्ष की गैलरी में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कार्यसूची की मद संख्या–20 माननीय मंत्रियों के वक्तव्य जारी करने की है और इसके आधार पर माननीय मंत्री जी वक्तव्य जारी करने वाले हैं और इस वक्तव्य को जारी करने से कोई रोक नहीं सकता और इसको होने नहीं दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् एक साथ अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस पर माननीय मंत्री जी द्वारा नियमों के अन्तर्गत पूर्व में ही अनुमति मांगी गयी है। (व्यवधान)

* कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, इसे नियम–310 के अन्तर्गत ही स्वीकार किया जाय। (घोर व्यवधान) (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' 'वेल' में आ गये।)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जब पीठ से चर्चा का विनिश्चय आ चुका है कि इस पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

* श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इस सदन में एक साल पूर्व घोषणा हो चुकी है।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश से दो रुपये अधिक देंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार चर्चा से बचना चाहती है। जब आपका विनिश्चय आ चुका है तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब विनिश्चय आ चुका है तो इस पर सरकार को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चर्चा किसी और विषय पर हो रही है और मेरा जो वक्तव्य है, वह मुझे देने दीजिए। (व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य प्रीतम सिंह को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, राजधानी से सम्बन्धित लोक महत्त्व की जो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट है, उसे सदन में रखवाया जाय। इस पर अरबों रुपये खर्च हुए हैं। इस पर रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस रिपोर्ट को सदन में रखा जाय, और राजधानी निश्चित कर ली जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज के सारे नियमों को निलम्बित करते हुए राजधानी से सम्बन्धित रिपोर्ट पर चर्चा करायी जाय। (व्यवधान)

(माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन 'वेल' में ही नियम–310 को उद्धृत करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन जी, आप अपनी सीट से कहें।

(माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन जी और माननीय शहजाद जी अपनी–अपनी सीट पर चले गये।)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–310 नियमों का निलम्बन–(1), के अनुसार कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी। मान्यवर, आपका विनिश्चय आ चुका है और 310 के समय सारे नियमों का ध्यान रखा गया है। यह सरकार इस पीठ की अवहेलना कर रही है। यह सरकार नियमों का हनन कर रही है। यह सदन का अपमान है जोकि बड़ा खेद का विषय है। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य 'वेल' में आ गये और पूर्ववत् एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 का नियम-315, जिसके आधार पर सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की सापेक्ष अग्रता है और इसी क्रम में श्रीमन्, माननीय द्वारा जो विषय रखे जाते हैं, उसके क्रम में अग्रेता प्रदान की गयी है। आज सदन का प्रथम उपवेशन है, और इस सदन के प्रथम उपवेशन में माननीय मंत्री जी सदन के अन्दर इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। इस घोषणा से माननीय मंत्री जी को कोई रोक नहीं सकता है, यह इनका विशेषाधिकार है। सदन के अन्दर यदि माननीय मंत्री जी कोई घोषणा करना चाहते हैं, तो यह सदन का विशेषाधिकार है। इस सदन के विशेषाधिकार से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। मान्यवर, यह विशेषाधिकार हनन का भी मामला बन सकता है। (घोर व्यवधान)

मान्यवर, विनिश्चय के बाद कोई बात कहने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। माननीय मंत्री जी ने बकायदा लिखित रूप से इसकी सूचना आपको दी है कि वे आज की कार्यसूची की मद संख्या-20 के अनुसार अपना वक्तव्य देना चाहते हैं और उस वक्तव्य देने से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यगण उनको रोक रहे हैं, जोकि उचित बात नहीं है। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाएगा। (व्यवधान) नियम-315 के तहत मंत्रीगण को भी अधिकार है वक्तव्य देने का। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आ जाने के बाद सरकार को उस विनिश्चय का सम्मान करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आ चुका है। सत्ता पक्ष के हमारे मंत्रीगण आपके विनिश्चय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम–315 में मंत्रीगण को भी अपना वक्तव्य देने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पीठ से विनिश्चय आया कि हम इसको नियम–310 में सुनेंगे। लेकिन आज सत्र का प्रथम उपवेशन है। माननीय मंत्रीगण को सदन में घोषणाएं करनी हैं। राज्य के नीतिगत विषयों को सदन के समक्ष रखा जाना है ये नीतिगत विषय सदन के ही माध्यम से रखे जा सकते हैं। यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा है, इस स्वस्थ परम्परा का निर्वहन करते हुए माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। उस वक्तव्य को रखने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। श्रीमन्, यह गम्भीर विषय है, इस पर आपका संरक्षण चाहिए।

('वैल' में खड़े सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा यही अनुरोध है, मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूँ और माननीय मंत्रीगण चाहेंगे तो वे भी अपनी बात कहेंगे।

('वैल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने यही अनुरोध किया है कि आपकी चर्चा भी हो जायेगी और माननीय मंत्री जी की घोषणा भी हो जायेगी, इस पर सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है।

('वैल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाते रहे और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने चर्चा के लिये नियम–310 की सूचना स्वीकार कर ली है, हमारा आपसे आग्रह है कि इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन आज चल रहा है और आज प्रथम उपवेशन है, यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा है कि विधान सभा का सदन आहूत होने के बाद किसी भी तरह की कोई घोषणा सदन के बाहर नहीं हो सकती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने दो महीने पहले समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। ('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर सरकार पूरी तरह से गम्भीर है, न केवल इसी विषय पर बल्कि जनता के सभी विषयों पर सरकार जवाबदेह है। हम चाहते हैं कि सदन चले, क्वेशचन आवर चले, हम चाहते हैं कि यहाँ पर विषय उठें और उन विषयों के आधार पर सरकार को नीति–निर्देशन मिले। विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर हो, हम यह चाहते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपकी पीठ से विनिश्चय आने के बाद सरकार और सत्ता पक्ष के लोग आपके विनिश्चय को नहीं मान रहे हैं। इससे गम्भीर स्थिति और क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

मना नहीं किया है उन्होंने।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सत्ता पक्ष आपके विनिश्चय को स्वीकार नहीं कर रहा है।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, आज की कार्यवाही इस बात का प्रमाण है कि प्रतिपक्ष के माध्यम से किस प्रकार का आचार—व्यवहार किया जा रहा है। मान्यवर, आपने सदाशयता का परिचय दिया और कहा कि हम नियम—310 में ही सुन लेंगे। इसके बावजूद माननीय प्रतिपक्ष के साथी हमारे मंत्रीगणों को वक्तव्य देने से रोक रहे हैं। यह कहाँ का न्याय है? श्रीमन्, हमें संरक्षण चाहिये। श्रीमन्, यह सदन चलना चाहिये, पूरे देश और प्रदेश की जनता इसे देख रही है, यही कार्य व्यवहार रहा तो कैसे सदन चल पायेगा।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर अपनी—अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष जी, यह देश का पहला ऐसा राज्य है, आठ वर्ष बाद भी जिसकी राजधानी के विषय को ले करके सरकारें गम्भीर नहीं हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

मान्यवर, पूरे पाँच वर्ष दीक्षित आयोग के नाम पर सरकार राजधानी के चयन को लटकाती रही और आज अब जबकि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार इसको दबाये बैठी है। मान्यवर, जनता जानना चाहती है। लाखों रुपया दीक्षित आयोग के नाम पर खर्च किया गया, वह रिपोर्ट आखिर है क्या? यह पहला सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। दूसरा, पूरे प्रदेश की जनता ने विभिन्न सर्वे के माध्यम से अपनी मंशा को जाहिर किया है माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें उत्तराखण्ड की 67 प्रतिशत जनता ने कौशिक समिति की रिपोर्ट पर अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहा है कि गैरसैंण को स्थायी रूप में राजधानी स्वीकार किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, सभी नियमों को शिथिल करते हुए नियम—310 में चर्चा स्वीकार कर लें, जो आपका विनिश्चय है उस पर चर्चा स्वीकार कर लें, माननीय अध्यक्ष जी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मानतीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को देखते हुए जो राज्य बना है। कुमाँऊ, गढ़वाल और तराई का एक पूरा भाग इस प्रदेश में सम्मिलित है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस विषय को ले करके...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम–310 में ग्राहयता पर सुने जाने हेतु स्वीकार कर लिया है, और यह भी है कि माननीय मंत्री जी यदि अपनी बात भी कहना चाहते हैं तो हम उनकी बात भी सुनेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

* डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने नियम–310 में चर्चा स्वीकार कर ली है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला ऊधमसिंह नगर में पंजाब सरकार द्वारा जारी शस्त्र लाइसेन्सों का विवरण

* 1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में पंजाब सरकार द्वारा जारी शस्त्र लाइसेन्सों का विवरण जिले से सम्बन्धित थानों / कोतवाली में दर्ज हैं?

यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

जी हाँ।

164।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी–ख, तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, राजधानी के सवाल पर नियम–310 की मेरी सूचना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें, उसके बाद माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, राजधानी के सवाल पर आज पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर सरकार इस सिलसिले में दीक्षित आयोग की रिपोर्ट को क्यों दबाये बैठी है? आठ वर्षों का इन्तजार किया है यहाँ की जनता ने। मान्यवर, लाखों रुपया दीक्षित आयोग के नाम पर खर्च किया गया है, इसके बाद भी कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकती है तो फिर इन सारी चीजों का, जनता को आठ वर्षों तक बेवकूफ बनाने का औचित्य क्या है? इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड स्थित लोहिया हेड खटीमा, चीला, पथरी आदि जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता एवं परियोजनाओं को निजी क्षेत्रों में देने की सरकार की योजना

* 2. श्री गोपाल सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की लोहिया हेड खटीमा, चीला, पथरी एवं मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजनाएं अपनी क्षमता से अधिक विद्युत उत्पादन कर रही हैं?

क्या यह सत्य है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (निजी क्षेत्र) में देने की सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में देने से प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मिल सकेगी?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि नहीं, तो उक्त जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में देने का क्या औचित्य है ?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

धौला के अतिरिक्त प्रश्नगत अन्य परियोजनायें क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपका विनिश्चय शोर–शराबे के कारण सुनाई नहीं दिया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

विनिश्चय आ चुका है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया है। उसे स्वीकार करते हुए अग्राह्य कर दिया गया है। (घोर व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसका परीक्षण हो रहा है, रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, राजधानी चयन आयोग द्वारा रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है, उस रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षणोपरान्त माननीय सदन को उस रिपोर्ट से अवगत करा दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

शीघ्र अति शीघ्र अवगत करा दी जाये।

नोटः–तारांकित प्रश्न सं0–2 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश की पुरानी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण हेतु पी0पी0पी0 मोड का प्रारूप

* 3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की पुरानी लघु जल विद्युत योजनाओं का पुनर्निर्माण पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत कराने का निर्णय मंत्रि मण्डल द्वारा लिया गया है?

यदि हाँ, तो इन योजनाओं के लिए पी0पी0पी0 मोड का प्रारूप क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

प्रारूप संलग्न है।†

राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन सड़कों की स्वीकृति एवं निर्माण हेतु नीति निर्धारण

* 4. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन सड़कों की स्वीकृति एवं निर्माण हेतु नीति का निर्धारण किया गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

समय–समय पर।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007 से अब तक भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण एवं नीति निर्धारण

* 5. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अप्रैल, 2007 से लेकर अब तक भू–उपयोग परिवर्तन के कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं?

---

† नोट:–(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0–89–92 पर)

क्या इस सम्बन्ध में नीति का निर्धारण कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अप्रैल, 2007 से लेकर अब तक 07 भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं।

जी हाँ,

दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से जनपद देहरादून का मास्टर प्लान लागू किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के गठन से अब तक वार्षिक वित्तीय लेखों का विवरण

* 6. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन के गठन से अब तक कारपोरेशन के वार्षिक वित्तीय लेखों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया है?

यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है?

क्या सरकार कारपोरेशन के वार्षिक वित्तीय लेखों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के मध्य अस्तियों एवं दायित्वों का अन्तिम विभाजन पर अनन्तिम अवशेषों पर आपसी सहमति वर्ष 2003 में तय की गयी। कारपोरेशन के वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक के वार्षिक लेखे तैयार किये जा चुके हैं, वित्तीय वर्ष 2004–05 के वार्षिक लेखे ऑडिटर तैयार रिपोर्ट सहित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06

के वार्षिक लेखों का साविधिक सम्परीक्षा जारी है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के वार्षिक लेखों के लिये ऑडिटर की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2008 में दी गई है।

जी हाँ।

लेखों का अंकेक्षण (ऑडिट) कराने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं वर्ष 2003–04 के लेखे तैयार किये गये हैं, जिनको विधान सभा सत्र, 2008 के तृतीय सत्र में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2007 के बाद औद्योगिक निवेश में भारी कमी के कारण तथा सुधार हेतु प्रयास

* 7. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2007 के आरम्भ से अब तक की अवधि में प्रदेश में औद्योगिक निवेश में भारी कमी आई है?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार ने औद्योगिक निवेश की वर्तमान दशा को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किये हैं?

यदि हाँ, तो इसके उपरान्त कितने उद्योग स्थापित हुए हैं?

क्या सरकार तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं। कमी नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज की समयावधि 31 मार्च, 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2013 किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है तथा योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी इस बिन्दु को प्राथमिकता से रखा गया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दिनाँक 01 अप्रैल, 2008 से विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 लागू की गई है।

सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में जनवरी, 2007 के पश्चात् स्थापित 396 औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया, जिसमें लगभग

रु0 7,719.49 करोड़ पूँजी का निवेश हुआ है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में सिडकुल से बाहर 09 वृहत उद्योग स्थापित होकर उत्पादन में आए हैं, जिनमें रु0 1382.47 करोड़ का पूँजी निवेश किया गया है।

जी हाँ। (विवरण संलग्न)†

उत्तराखण्ड में जिलेवार राजकीय महाविद्यालयों की संख्या एवं उनको खोलने हेतु मापदण्ड

* 8. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में जिलेवार कितने राजकीय महाविद्यालय हैं?

एवं राजकीय महाविद्यालय खोलने के मापदण्ड क्या हैं?

क्या मापदण्ड के अनुरूप जनपद हरिद्वार में राजकीय महाविद्यालय स्थापित है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राज्य में जनपद पिथौरागढ़ में 6, चम्पावत में 3, बागेश्वर में 4, अल्मोड़ा में 9, नैनीताल में 5, ऊधमसिंह नगर में 4, हरिद्वार में 1, देहरादून में 5, पौड़ी में 7, टिहरी में 8, रुद्रप्रयाग में 4, उत्तरकाशी में 4, चमोली में 7 राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं।

मापदण्डों के शासनादेशों की प्रतियाँ संलग्न हैं। †

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृत कुल धनराशि का विवरण एवं स्वीकृति के नियम

* 9. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2009 में दिनाँक 15–10–2008 तक मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है?

---

† नोट:–(देखिए नत्थी 'ख' तथा 'ग' आगे पृष्ठ सं0–93–95 तथा 96–115 पर)

मा0 विधायकों की अनुशंसा पर कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

क्या विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृति के लिये नियमों का निर्धारण किया गया है?

यदि हाँ, तो वे नियम क्या हैं?

क्या उनका अनुपालन हो रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 12,70,87,174.00 तथा वित्तीय वर्ष 2009 में दिनाँक 15–10–2008 तक रु0 7,34,71,443.00 की धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत की गयी।

वित्तीय वर्ष 2007–08 से दि0 15–10–2008 तक कुल रु0 4,70,99,112.00 की स्वीकृति विवेकाधीन कोष से दी गयी।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 एवं उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष (संशोधन) नियमावली, 2005

(नियमावली की प्रति संलग्न) †

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

दून वैली हाउसिंग सोसायटी, बसन्त विहार देहरादून के निर्मित आवासों का लैण्ड यूज परिवर्तन

* 10. श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि दून वैली हाउसिंग सोसायटी, बसन्त विहार, देहरादून के सदस्यों को आवंटित भूमि जिस पर आवासीय भवनों में निर्माण किया जा चुका है, का लैंड यूज अभी तक नहीं बदला गया है और सरकारी इन्द्राजों में उक्त सोसायटी की भूमि चाय बागान दर्ज है?

यदि हाँ, तो उक्त कथित अनियमितता के लिये कौन दोषी है?

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी भू–लैंड यूज परिवर्तन से सम्बन्धित प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

† नोटः–(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0–116–123 पर)

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की धारा–12 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1995/37–3–85/110 आर0बी0ओ0/65, दिनाँक 03 मई, 1985 द्वारा स्वीकृत देहरादून महायोजना में दून वैली हाउसिंग सोसाइटी, बसन्त विहार, देहरादून क्षेत्र आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत आरक्षित किया गया।

शासनादेश संख्या–2573/V/आ0–2008–298(आ0)/2005, दिनाँक 19 नवम्बर, 2008 द्वारा स्वीकृत देहरादून महायोजना–2025 में भी यह क्षेत्र पूर्ववत् आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत आरक्षित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन देहरादून स्थित आवासों में अनधिकृत अध्यासितों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

* 11. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग की देहरादून स्थित कालोनियों में विगत दो वर्षों में किन–किन आवासों में कब–कब से अनधिकृत अध्यासन रहा? अनधिकृत अध्यासनों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कब–कब क्या कार्यवाही की गई तथा किन–किन प्रकरणों पर कब–कब विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किये गये?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन देहरादून स्थित कालोनियों में विगत दो वर्षों में आवासों में अनधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं विहित प्राधिकारी के न्यायालय में दायर वाद के सम्बन्ध में सूचना संलग्नानुसार। †

प्रश्न नहीं उठता।

* 12. हाजी तस्लीम अहमद–

द्वितीय सोमवार तक स्थगित

---

† नोट:–(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ सं0–124–127 पर)

प्रदेश की स्थायी राजधानी हेतु रामनगर स्थान का प्रस्ताव

* 13. श्री नारायण पाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की स्थायी राजधानी अन्यत्र बनने जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि राजधानी निर्माण हेतु रामनगर स्थान प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे०जन० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सम्प्रति, जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मनेरी भाली द्वितीय चरण के धरासू विद्युत गृह में बजरी रेत भरने से विद्युत उत्पादन बन्द होने के कारणों पर शासन की नीति

* 14. श्री केदार सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि मनेरी भाली द्वितीय चरण के धरासू विद्युत गृह में बजरी रेत भरने से कई दिनों तक विद्युत उत्पादन बन्द रहा?

यदि हाँ, तो क्या यह स्थितियाँ प्रथम चरण के तिलोथ विद्युत गृह में पहले भी सामने आयी थी?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके लिये कोई ठोस नीति अपनाने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे०जन० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

सिल्ट जमा होने के प्रकरण में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केन्द्रीय जल आयोग के नामित विशेषज्ञों की सहायता से जाँच करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी बाँध झील के कारण चिन्यालीसौड से सुनारगाँव के बीच झूला मोटर पुल डूबने से आवागमन की समस्या

* 15. श्री केदार सिंह रावत–

क्या लो0नि0 मंत्री अवगत हैं कि गत वर्ष जून–जुलाई में टिहरी बाँध झील के कारण चिन्यालीसौड से सुनारगाँव जोड़ने वाला झूला मोटर पुल डूब गया है, जिससे दिचली एवं गमरी पट्टी के ग्रामीणों के अलावा जनपद टिहरी के प्रतापनगर विकास खण्ड की जनता को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के प्रावकलन के अनुसार मोटर पुल निर्माण पर विचार किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ, हल्का वाहन पुल डूब गया है। 11 किमी0 अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। पैदल यात्रियों के लिये फेरी सेवा उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मोटर पुल निर्माण हेतु तकनीकी रूप से उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील स्थित भूस्खलन की चपेट में आये मदेश गाँव के विस्थापन व राहत हेतु कार्यवाही

* 16. श्री केदार सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील का मदेश गाँव भूस्खलन की चपेट में है?

यदि हाँ,

तो उक्त गाँव के विस्थापन व राहत के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

विस्थापन हेतु ग्राम का भू–गर्भीय सर्वेक्षण किये जाने हेतु भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग (जी0एस0आई0), से अनुरोध किया गया है। जिसकी भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई है। सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही दिये गये सुझावों के आधार पर गाँव के विस्थापन के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव होगा।

राहत सहायता के रूप में प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफट किये जाने हेतु 19 टैन्ट 10 कम्बल तथा 100 टीन चादर उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्थित क्षतिग्रस्त गौलापुल के सम्बन्ध में गठित कमेटी द्वारा कार्यवाही

* 17. श्री नारायण पाल–

क्या लो0नि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्थित क्षतिग्रस्त गौलापुल के सम्बन्ध में दिनाँक 21 जून, 2008 को गठित कमेटी द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

दिनाँक 22–09–2008 को स्थल का निरीक्षण किया गया। जाँच रिपोर्ट शीघ्र अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में शिक्षा विभाग के अशासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ

* 18. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के अशासकीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिला है?

क्या राजकीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भाँति अशासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी छठे वेतनमान का लाभ दिया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वेतन समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त हो गयी हैं, सभी परिस्थितियों एवं राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रख कर ही यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

पन्तनगर–गदरपुर वि0स0 क्षेत्र में आवासीय भवन निर्माताओं द्वारा वर्ग–4 की भूमि पर निर्माण कार्य

* 19. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि 60–पन्तनगर–गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में आवासीय भवन निर्माताओं द्वारा अपनी भूमि के साथ–साथ वर्ग–4 की भूमि पर भी आवासीय निर्माण कार्य कराया जा रहा है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सामिया बिल्डर द्वारा कितने एकड़ भूमि में आवासीय निर्माण किए जा रहे हैं तथा उनके कब्जे में कितने एकड़ वर्ग–4 व बंजर भूमि है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

सामिया बिल्डर्स द्वारा तहसील गदरपुर के अन्तर्गत कोई आवासीय निर्माण नहीं किया जा रहा है परन्तु, सामिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा0लि0 के द्वारा ग्राम दानपुर, तहसील किच्छा में 29.4625 है0 भूमि में चारदीवारी की गयी है इस भूमि में 0.536 है0 भूमि चकमार्ग, नहर, नाली की भूमि भी सम्मिलित है।

राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने से पूर्व देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के निर्माण का औचित्य

* 20. श्री यशपाल बेनाम–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त एवं स्वीकार होने से पूर्व देहरादून में रू0 18.00 करोड़ की लागत से बनाये जा रहे मुख्यमंत्री आवास का क्या औचित्य है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राज्य गठन के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री की आवासीय व्यवस्था हेतु तत्काल कोई उपयुक्त आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में कैन्ट रोड स्थित सर्किट हाउस को मुख्यमंत्री आवास के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था।

उक्त आवास में कतिपय अनुरक्षण कार्य कराते समय लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा आवास में विभिन्न स्थानों पर दरारें पायी गयीं। इसकी जाँच माह नवम्बर/दिसम्बर, 2005 में सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, (सी0बी0आर0आई0), रुड़की से कराई गई। सी0बी0आर0आई0 द्वारा अपने दल के साथ मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण कर अपने निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया कि यह भवन लगभग 100 साल पुराना है, निर्माण में पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है और भवन अपनी सामान्य आयु पूर्ण कर चुका है। निर्धारित मानकों के अनुसार महत्वपूर्ण श्रेणी के आवास की दीवारें मिट्टी से निर्मित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त देहरादून के भूकम्पीय जोन 4 और 5 होने के कारण इसे मुख्यमंत्री के आवास के रूप में असुरक्षित बताते हुए अन्यत्र आवास की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया।

सी0बी0आर0आई0 से प्राप्त रिपोर्ट/संस्तुति के दृष्टिगत पूर्व मुख्यमंत्री आवास (सर्किट हाउस) को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए, उसी परिसर में नया मुख्यमंत्री आवास बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की आवासीय, कार्यालय भवन, जनता दर्शन हाल, सुरक्षा ब्लाक, कार्मिकों के आवास, बाउण्ड्रीवाल, आन्तरिक रोड आदि की मूलभूत आवश्यकता के दृष्टिगत निर्माण इकाई, (लोक निर्माण विभाग) द्वारा शासन को प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष रु0 1581.00 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में मुख्यमंत्री के लिए आवास/कार्यालय भवन आदि के निर्माण का औचित्य स्थापित होता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी अन्तर्गत पटवारी चौकियों के निर्माण में दोहरे मापदण्ड के कारण

1. श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पटवारी चौकियों के निर्माण में दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है? क्या यह सत्य है कि एक ही जनपद में कहीं द्विमंजिला तो कहीं एक मंजिला चौकियों के निर्माण करवाए गये हैं?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार इन एक जिला चौकियों को भी द्विमंजिला बनाए जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राज्य गठन के उपरान्त पटवारी चौकियों के निर्माण में दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाए गए हैं। राज्य गठन के पूर्व स्वीकृत 32 पटवारी चौकियों को एक मंजिला बनाया गया था, किन्तु राज्य गठन के उपरान्त आवश्यकतानुरूप द्विमंजिला चौकियां ही स्वीकृत की गई हैं।

वर्तमान में अब तक स्वीकृत चौकियों को पूर्ण किए जाने की कार्यवाही की जा रही है एक मंजिला चौकियों को भी अन्य चौकियों की भांति निर्मित किए जाने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन यथासमय विचार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के कारण तथा अपूर्ण निर्माण कार्यों की स्थिति

2. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से स्वीकृत मोटर मार्ग हैं, जिन पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है?

किन कारणों से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण स्थिति में है?

क्या मंत्री जी ऐसे मोटर मार्गों की स्वीकृत लम्बाई, स्वीकृत धनराशि तथा कार्य प्रारम्भ न किए जाने, निर्माण कार्य को अपूर्ण स्थिति में बन्द किए जाने के कारणों सहित विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 180 कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। कारणवार सूची संलग्न है। (संलग्न कुल 06 पृष्ठ)†

---

† नोट:–(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ सं0–128–143 पर)

72 कार्य वनभूमि, 43 कार्य समरेखण विवाद, 29 कार्य सर्वे/आगणन/निविदा तथा 36 कार्य अन्य कारणों से अपूर्ण स्थिति में हैं।

प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृत लम्बाई, लागत तथा कार्य प्रारम्भ न होने के कारण उपर्युक्त संलग्न सूची में अंकित हैं।

3. श्रीमती अमृता रावत–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

जनपद पौड़ी में नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों को यातायात के योग्य घोषित किए जाने की घोषणा

4. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों को यातायात योग्य घोषित किए जाने सम्बन्धी विवरण लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को प्रस्तुत कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो उक्त नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों के सम्बन्ध में अपेक्षित आख्या सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों को यातायात योग्य घोषित किये जाने सम्बन्धी विवरण लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को समय–समय पर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित देव प्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग पर वाहनों के संचालन हेतु कार्यवाही

5. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–II में निर्मित देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग को यातायात हेतु खुलवाए जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (गढ़वाल) को सम्बोधित मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के अ0शा0 पत्रांक 6421/36(3) यात्ता0-पर्व/07, दिनाँक 26-11-2000 तथा अ0शा0 पत्रांक-8585/36(3) यात्ता0-पर्व/07, दिनाँक 15 दिसम्बर, 2007 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है?

क्या यह सत्य है कि जुलाई, 2008 तक उक्त मोटर मार्ग बस सेवाओं के संचालन हेतु उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है?

यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं तथा कब तक यह मार्ग बस सेवाओं के संचालन हेतु उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी-

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस मार्ग के अति आवश्यक स्थानों पर दीवार निर्माण कार्य तथा मार्ग पर आये स्लिप को साफ कर इस मार्ग को दिसम्बर, 2007 में ही हल्के वाहनों के संचालन हेतु खोल दिया गया है।

जी हाँ।

उक्त मार्ग के कि0मी0 3 में झूला पुल के पास तीन स्थान पर मार्ग की बड़ी-बड़ी प्रतिधारक दीवारें टूट जाने के कारण। मार्ग भारी वाहनों के संचालन हेतु माह 7/2009 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा स्थित ग्राम चांदा समथना की राय सिख बस्ती का विद्युतीकरण

6. श्री गोपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम चांदा समथना की राय सिख बस्ती का विद्युतीकरण किया गया है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार की चांदा समथना राय सिख बस्ती को विद्युतीकृत कराये जाने की योजना है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे०जन० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा स्थित ग्रामों/मझरे, तोक में लो–वोल्टेज की समस्या

7. श्री गोपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में कितने गांव/मझरे, तोक लो–वोल्टेज की समस्या से ग्रस्त हैं?

क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु विद्युत सुधारीकरण की कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे०जन० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

10 ग्राम/मजरे लो–वोल्टेज की समस्या से ग्रस्त हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा में 11 हजार के०वी० की विद्युत लाईनों का सुधारीकरण

8. श्री गोपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में 11 हजार के०वी० की विद्युत लाइनें एच०टी० तथा एल०टी० लूज हो गयी हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त एच०टी० तथा एल०टी० लाईनों का सुधारीकरण यथाशीघ्र करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे०जन० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में कुछ पुरानी 11 के०वी० तथा एल०टी० लाईनों के लूज होने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाता है।

उक्त क्षेत्र की वर्तमान में ऐसी कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत काण्डा-मल्ला-कण्डूली-बड़ी-तिमलीखाल मोटर मार्ग का निर्माण

9. श्रीमती अमृता रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत शासनादेश संख्या, 3138/111-2/06-61(प्र0अ0/06), दि0 31-05-2005 के द्वारा स्वीकृत काण्डा-मल्ला- कण्डूली-बड़ी-तिमलीखाल मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ न किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-464/विधायक/06-निर्माण/ 2007-08, दि0 17-01-2008, कब प्राप्त हुआ है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पत्र के साथ अग्रसारित प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण करवाए जाने की संभावना है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूडी-

दिनांक 22-01-2008 को।

प्रश्नगत मोटर मार्ग के संरेखण पर पड़ने वाले वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है तथा वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत गाँव, तोक में विद्युतीकरण

10. श्रीमती अमृता रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से गाँव, तोक हैं, जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है?

कब तक सरकार इन गाँवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सू0 संलग्न। †

.भ्शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

11. श्रीमती अमृता रावत–

प्रथम शु0क्र0 के अता0 26 में स्थानान्तरित

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत मोटर मार्गों के निर्माण, विस्तार आदि समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 द्वारा की गई कार्यवाही

12. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत मोटर मार्गों के निमार्ण, विस्तार अथवा डामरीकरण आदि समस्याओं के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लोक निर्माण विभाग पौड़ी गढ़वाल को सम्बोधित मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक संख्या–6253/36 (3) याता पर्व/07 दिनांक 23–11–07, में वर्णित मोटर मार्गों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का बिन्दुवार विवरण क्या है तथा कब तक वर्णित समस्याओं का निराकरण किए जाने की संभावना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक संख्या–6253/36 (3) याता पर्व/07 दिनांक 23–11–07 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की मार्गवार सूचना संलग्न है। (संलग्न कुल 02 पृष्ठ)†

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल स्थित ग्राम डांडा ग्वीन हेतु मोटर मार्ग निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति एवं प्रगति

13. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) हेतु मोटर मार्ग निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण

---

† नोट:–(देखिए नत्थी 'छ' तथा 'ज' आगे पृष्ठ सं0–144 तथा 145–149 पर)

विभाग, पौड़ी के पत्र संख्या–5423/36 (429) याता पर्व/07, दिनॉक 10–10–07 द्वारा रु0 128.10 लाख का प्रारम्भिक आगणन प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त आगणन पर अब तक की गयी कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की संभावना है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

आगणन पर शासनादेश संख्या–764/111(2)/08–65(प्रा0आ0)/07, दिनॉक 24–03–08 द्वारा रु0 120.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा स्थित परवीन नदी द्वारा ग्राम झनकट में कृषि भूमि का कटाव

14. श्री गोपाल सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा तहसील में बहने वाली परवीन नदी ग्राम झनकट में बाढ़ अतिवृष्टि से हर वर्ष सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि का कटाव हो रहा है?

क्या यह सत्य है कि अतिवृष्टि के कारण ग्राम बानूसा की मुखराय कालोनी का अस्तित्व खतरे में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मुखराय कालोनी को बचाने के लिए कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ। वर्षा ऋतु में परवीन नदी में शारदा नदी का पानी अधिक छोड़ने के कारण आंशिक रूप से भूमि कटान होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल के ग्राम ऐरोली तल्ली में लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान

15. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के ग्राम ऐरोली तल्ली की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में ग्रामवासियों का प्रत्यावेदन प्रश्नकर्ता के पत्रांक–127/विधायक, दिनाँक 23–08–07 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार (गढ़वाल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया है?

यदि हाँ, तो ग्राम ऐरोली तल्ली की विद्युत समस्या के समाधान हेतु की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक ग्रामवासियों की लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान किये जाने की संभावना है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मा0 विधान सभा सदस्या द्वारा पृष्ठांकित ग्रामवासियों का पत्र दिनाँक 23–08–2007 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार (गढ़वाल) के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

लो–वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु सिंगल फेज एल0टी0 लाईन को दो फेज में परिवर्तित किया गया है साथ ही एक अतिरिक्त 16 केवीए का परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई, जिससे लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया है।

जनपद पौड़ी के एकेश्वर स्थित नौगाँवखाल–रणस्वा–तुनाखाल मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही

16. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत नौगाँवखाल–रणस्वा–तुनाखाल मोटर मार्ग के सम्बन्ध मे प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या–207/विधायक/06–निर्माण/2007–08, दिनाँक 13–11–2007 तथा संख्या–402/विधायक/06–निर्माण/2007–08, दिनाँक 21–12–2007, विभाग में कब–कब प्राप्त हुये हैं और इन पत्रों में वर्णित बिन्दु क्या–क्या हैं तथा इन बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मा0 विधायक के पत्रांक संख्या–207/विधायक/06–निर्माण/2007–08, दिनाँक 13–11–2007 एवं संख्या–402/विधायक/06–निर्माण/2007–08, दिनाँक 21–12–2007, क्रमशः दिनांक 29–11–2007 व दिनाँक 09–01–2008 को प्राप्त हुये हैं, जो नौगांवखाल–रणस्वा–तुनाखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, वर्तमान में किमी0 1 से 4 एवं किमी0 6 में पेन्टिंग का कार्य पूर्ण है, किमी0 5 में टाप कोट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, किमी0 7 व 8 में इण्टरकोट कलेक्शन का कार्य प्रगति पर है, किमी0 9 में टाप कोट का कार्य तथा किमी0 10 में पेंटिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत मोटर मार्गों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र में वर्णित मोटर मार्गों पर लो0नि0वि0 द्वारा की गई कार्यवाही

17. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत कतिपय मोटर मार्गों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या–323/विधायक/06–निर्माण/2007–08, दिनांक 13–11–2007 तथा पत्रांक संख्या–324/विधायक/06–निर्माण/2007–08, दिनांक 13–11–2007 विभाग में कब प्राप्त हुआ है और इन पत्रों में वर्णित मोटर मार्गों के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और हुयी प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक वर्णित मोटर मार्गों का निर्माण करवाये जाने की संभावना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रश्नगत दोनों पत्र दिनाँक 21–11–07 को प्राप्त हुये हैं, पत्रों में वर्णित मोटर मार्गों पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। (संलग्न कुल 02 पृष्ठ)†

प्रश्न नहीं उठता।

---

† नोटः–(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ सं0–150–164 पर)

जनपद पौड़ी के सतपुली एवं नौगांवखाल स्थित निरीक्षण भवन के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) को प्रेषित पत्र पर की गयी कार्यवाही

18. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के सतपुली स्थित निरीक्षण भवन को स्वच्छ, सुन्दर और सुसज्जित करवाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) के अ0शा0 पत्रांक–6582/36(3) याता0–पर्व0/07, दिनाँक 15 दिसम्बर, 2007 तथा नौगांवखाल स्थित विभागीय निरीक्षण भवन को स्वच्छ, सुन्दर और सुसज्जित करने तथा एक अतिरिक्त सुइट का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के अ0शा0 पत्रांक–6584/36(3) याता0–पर्व0/07, दिनाँक 15–12–2007 पर अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक इन निरीक्षण भवनों को स्वच्छ, सुन्दर और सुसज्जित कर इनमें अतिरिक्त सुइट निर्मित करवाए जाने की सम्भावना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

लोक निर्माण विभाग के सतपुली स्थित निरीक्षण भवन को स्वच्छ, सुन्दर और सुसज्जित करवाने के सम्बन्ध में आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपलब्ध कराया गया था। मुख्य अभियन्ता स्तर–1 कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त आगणन आपत्तियों में खण्ड को वापस कर दिया गया है।

नौगांवखाल स्थित विभागीय निरीक्षण भवन में दो अतिरिक्त कक्ष का निर्माण एवं रखरखाव हेतु आगणन शासन में प्राप्त है, जिस पर स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

19. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

प्रथम शुक्रवार के अता0 27 में स्था0

20. श्री किशोर उपाध्याय–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

टिहरी बाँध निर्माण के पश्चात् टिहरी जनपद में स्थापित महाविद्यालयों की संख्या

21. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बाँध निर्माण के पश्चात् टिहरी जनपद में कितने महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है?

क्या उक्त महाविद्यालयों में सभी संकाय आरम्भ कर दिये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

टिहरी बाँध निर्माण के पश्चात् टिहरी जनपद में कुल 08 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है।

राजकीय महाविद्यालय, नई टिहरी में सभी संकाय प्रारम्भ कर दिये गये हैं। राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा, पौखाल, चन्द्रबदनी, नैनबाग, लम्बगाँव व देवप्रयाग में स्नातक स्तर पर केवल कला संकाय संचालित है, इसके साथ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है, राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, जहाँ वर्तमान में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में पठन पाठन प्रारम्भ है, वहाँ विज्ञान एवं कला संकाय प्रारम्भ किये जाने की प्रक्रिया भी विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट स्थित लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन में निर्मित सुइट की संख्या तथा विस्तारीकरण

22. श्री चन्दन राम दास–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील गंगोलीहाट निरीक्षण भवन में ठहरने के लिए लो0नि0 विभाग के कितने सुइट निर्मित हैं?

क्या यह सत्य है कि कम सुइट के कारण मंत्रीगण जन प्रतिनिधि तथा अधिकारियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या इस निरीक्षण भवन का विस्तारीकरण किया जावेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

दो कक्ष निर्मित हैं।

ऐसा कोई प्रकरण विगत में संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नियुक्त दायित्वधारी महानुभावों की संख्या तथा राज्य पर वित्तीय भार

23. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने दायित्वधारी महानुभावों की नियुक्ति की गयी है?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक इन दायित्वधारियों के कारण राज्य पर कितना वित्तीय भार पड़ा है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राज्य की द्वितीय निर्वाचित सरकार बनने के बाद से 30 नवम्बर, 2008 तक 47 दायित्वधारी महानुभावों की नियुक्तियाँ हुई हैं।

राज्य की द्वितीय निर्वाचित सरकार बनने के बाद से 30 नवम्बर, 2008 तक उक्त दायित्वधारी महानुभावों पर रुपये 2,12,51,118 (दो करोड़ बारह लाख इक्यावन हजार एक सौ अट्ठारह मात्र) का वित्तीय भार आगणित हुआ है।

मुख्यमंत्री द्वारा अब तक जनता दरबार कार्यक्रमों का आयोजन तथा दर्ज शिकायतों का समाधान

24. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक कितने जनता दरबार कार्यक्रमों का आयोजन मा0 मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनता दरबार में जनता द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज करवायी गयीं एवं कितनी जन शिकायतों का समाधान हुआ है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

अब तक 38 जनता दरबार/जनता मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

उपरोक्त कार्यक्रमों में कुल 1049 शिकायती पत्र प्राप्त हुये, जिन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को यथासमय प्रेषित किया गया है। जिनका समाधान सम्बन्धित विभागों द्वारा समय–समय पर किया जा रहा है।

प्रदेश में नये पद सृजन हेतु मापदण्ड का निर्धारण

25. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये पद सृजन करने के मापदण्ड का निर्धारण करने हेतु कोई कोष्ठ बनाया गया है?

यदि नहीं, तो नये पदों के सृजन हेतु मापदण्ड का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

शासन द्वारा पदों का सृजन विभागीय आवश्यकता, कार्य बोझ, क्षमता वृद्धि, संसाधनों की स्थिति आदि पर विचार कर गुण–दोष के आधार पर किया जाता है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में स्वीकृत मोटर मार्ग/पुल और उनके सापेक्ष स्वीकृत धनराशि

26. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में अब तक स्वीकृत मोटर मार्गों/पुलों और उनके लिए स्वीकृत धनराशि और मार्गों की लम्बाई का विधान सभावार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ऐसे मार्गों/पुलों, जिनके प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लम्बित हैं, इन मार्गों/पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृतियाँ कब तक जारी कर दी जायेंगी?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्ष 2008–09 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों/पुलों की लम्बाई एवं स्वीकृत धनराशि का विधान सभावार विवरण निम्नवत् है:–

विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत सेतु (स्पान मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रु0 में)
पौड़ी	3.3+1 जाब	—	106.79
श्रीनगर	41.00	1 न0 (60 मी0)	1192.82
थलीसैंण	0.30	—	8.43
लैन्सडौन	0.75+1 जाब	—	12.07
यमकेश्वर	20.20	1 न0 (60)	103.54
धुमाकोट	97.00	—	799.31
बीरोंखाल	0.30	—	6.00
कोटद्वार	5.1	—	234.62
योग:–	167.95+2 जाब	2 न0(120)	2463.58

सभी स्वीकृतियों को जारी करने की समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में डाइरेक्टर (एच0आर0) के पद धारक का कार्यकाल बढ़ाये जाने का औचित्य

27. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में डाइरेक्टर (एच0आर0) के पद पर निश्चित समयावधि के लिए नियुक्ति सर्वप्रथम किस तिथि को की गई थी?

क्या यह सत्य है कि वर्तमान पद धारक का कार्यकाल विगत पांच वर्षों में समय–समय पर बढ़ाया गया है?

यदि हॉं, तो उक्त पद को विज्ञापित कराकर नियमित चयन की कार्यवाही न कराकर समयावधि बढ़ाये जाने का औचित्य एवं आधार क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

निदेशक (एच0आर0) के पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति दिनॉंक 20–04–2002 के द्वारा की गई, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित द्वारा दिनॉंक 05–07–2002 को योगदान किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में डाइरेक्टर (एच0आर0) पद हेतु निर्धारित अर्हताएं तथा नियमित चयन

28. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में डाइरेक्टर (एच0आर0) के पद हेतु निर्धारित अर्हताएं क्या–क्या हैं?

क्या यह सही है कि कार्पोरेशन की स्थापना के समय से अब तक उक्त पद हेतु नियमित चयन की कार्यवाही नहीं की गई है?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में निदेशक (मा0सं0) के पद हेतु निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई थीं:–

पदधारक को निगम की समग्र रणनीति के अनुरूप कम्पनी के मानव संसाधन नीतियों, प्रक्रियाओं और समय से पुनरीक्षण द्वारा प्रेरित, भली–भाँति प्रशिक्षित, उत्पादक एवं अनुशासित कार्य दल का विकास सुनिश्चित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए।

हम ऐसे अनुभवी व्यावसायियों, जिन्हें कम से कम 15 वर्ष का सम्बन्धित कार्य का अनुभव हो (वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर का मध्यम और बड़े संगठन में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो) तथा उक्त पद के लिये नेतृत्व के गुण वाले अनुभवी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। प्रबन्धन में व्यावसायिक योग्यता को अधिमान दिया जायेगा तथा पदधारक को मध्यम और बड़े संगठन के कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे मानव शक्ति नियोजन, निष्पादन प्रबन्धन प्रणालियों, मानव संसाधन के प्रशिक्षण और विकास की लागत की आधुनिकतम परिकल्पनाओं से परिचित होना चाहिए तथा औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित कार्यों की पूरी समझ होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र की जानकारी तथा श्रम नियमों का ज्ञान अधिक उपयुक्त होगा।

आयु सीमा–

वांछित आयु 45–55 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून स्थित टिहरी हाउस परिसर में वाहन चालकों के लिए आवासीय भवन निर्माण का विवरण

29. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री अवगत हैं कि राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों हेतु आवासीय भवन बनाने का निर्णय सचिवालय संघ के पदाधिकारियों के साथ हुआ था?

यदि हाँ, तो क्या टिहरी हाउस परिसर में वाहन चालकों के लिए आवासीय भवन निर्मित कर दिये गये हैं?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

दिनाँक 29 जुलाई, 2004 को उत्तरांचल सचिवालय संघ एवं समिति के सदस्यों के मध्य हुये समझौता वार्ता में टिहरी हाउस परिसर में वाहन चालकों हेतु आवासीय व्यवस्था किये जाने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त किया गया था, लेकिन टिहरी हाउस परिसर में स्थान की कमी तथा उक्त स्थल पर वृक्षों के पातन की कठिनाई को देखते हुए अन्य विकल्पों पर विचार किया गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संघ द्वारा विभाग को दिये ज्ञापन दिनाँक 21 जनवरी, 2006 में टिहरी हाउस परिसर में भूमि के अभाव/अन्य कठिनाई के दृष्टिगत केदारपुरम् सचिवालय कालोनी में ही उपलब्ध भूमि पर वाहन चालकों के लिए 24 आवासों के निर्माण किये जाने की माँग की गई। वाहन चालकों की माँग एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर केदारपुरम् कालोनी में वाहन चालकों हेतु 24 आवासों का निर्माण कर आवंटन वाहन चालकों को किया जा चुका है।

राजकीय सचिवालय में उप सचिव के कुल पद तथा श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण

30. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सचिवालय में सचिवालय सेवा के लिये उप सचिव के कुल कितने पद हैं, तथा इनमें से कितने पद श्रेणीवार आरक्षित हैं?

क्या यह सत्य है कि उपलब्ध पदों पर पूर्ववर्ती राज्य से अंतिम आवंटन से पूर्व ही इन पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत कर्मियों को स्थायी कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो इसका औचित्य एवं विधिक आधार क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड सचिवालय में सचिवालय सेवा के उप सचिव के कुल सृजित/श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण निम्नवत् है:–

पदनाम	कुल सृजित पद	सृजित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार आरक्षण		
		सामान्य जाति	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
उप सचिव	18	14	04	—

संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार नियमित पदोन्नति, भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले अंतिम आवंटन के अधीन की गयी है तथा उनके पक्ष में संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के कुल पद तथा श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या

31. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सचिवालय में सचिवालय सेवा के लिये संयुक्त सचिव के कुल कितने पद हैं तथा इनमें से कितने पद श्रेणीवार आरक्षित हैं ?

क्या यह सही है कि उपलब्ध पदों पर पूर्ववर्ती राज्य से अंतिम आवंटन से पूर्व ही इन पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत कर्मियों को स्थायी कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो इसका औचित्य एवं विधिक आधार क्या है ?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड सचिवालय में सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव के कुल सृजित/श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण निम्नवत् है:–

पदनाम	कुल सृजित पद	सृजित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार आरक्षण		
		सामान्य जाति	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
संयुक्त सचिव	08	06	02	—

संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार नियमित पदोन्नति, भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले अंतिम आवंटन के अधीन की गयी है तथा उनके पक्ष में संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय सचिवालय में अपर सचिव के कुल पद तथा श्रेणीवार आरक्षित पदों का ब्यौरा

32. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सचिवालय में सचिवालय सेवा के लिये अपर सचिव के कुल कितने पद हैं तथा इनमें से कितने पद श्रेणीवार आरक्षित हैं ?

क्या यह सत्य है कि उपलब्ध पदों पर पूर्ववर्ती राज्य से अंतिम आवंटन से पूर्व ही इन पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत कर्मियों को स्थायी कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो इसका औचित्य एवं विधिक आधार क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड सचिवालय में सचिवालय सेवा के अपर सचिव के कुल सृजित/श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण निम्नवत् है:–

पदनाम	कुल सृजित पद	सृजित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार आरक्षण		
		सामान्य जाति	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
अपर सचिव	04	03	01	—

संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार नियमित पदोन्नति, भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले अंतिम आवंटन के अधीन की गयी है तथा उनके पक्ष में संतोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य के अनिवासियों द्वारा देहरादून एवं हरिद्वार जिले में 250 वर्ग गज से अधिक भूमि खरीद का विवरण

33. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत एक वर्ष में उत्तराखण्ड के मैदानी जिले देहरादून एवं हरिद्वार में 250 वर्ग गज से अधिक जमीन खरीदने के लिए राज्य के अनिवासी कितने व्यक्तियों ने आवेदन किये तथा किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन खरीदने की अनुमति प्रदान की गयी है?

क्या सरकार तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्ष 2004 से प्रभावी उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन अधिनियम) में ऐसे व्यक्ति, जो दिनांक 12-09-2003 के पूर्व किसी अचल संपत्ति के स्वामी हैं, उन्हें भूमि क्रय हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य के अनिवासी (राज्य के निवासी जो राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं।) भी सामान्यतया इसी श्रेणी में हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल क्लब तथा उत्तराखण्ड भवन, नई दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों को आवासीय सुविधा

34. श्री नारायण पाल–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल क्लब, नैनीताल, उत्तराखण्ड भवन, नई दिल्ली के कितने अधिकारी व कर्मचारी सरकारी आवासों से वंचित हैं व कितने अधिकारी/कर्मचारियों को आवास आवंटित हो गये हैं?

क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

नैनीताल क्लब, नैनीताल में कार्यरत् कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी आवास से वंचित नहीं है। उक्त अतिथि गृह में कार्यरत् 64 कार्मिकों में से 61 अधिकारी/कर्मचारी शासकीय आवास में रहते हैं तथा 03 कर्मचारी अपने स्वयं के आवास में रहते हैं।

उत्तराखण्ड भवन, नई दिल्ली के 11 कर्मचारी सरकारी आवास से वंचित हैं तथा 13 अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटित हैं। जिनमें से 02 कर्मचारी पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के नियन्त्रणाधीन शासकीय आवासों में रह रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के शक्तिगढ़ इलाके में जमीनों की विसंगतियों पर कार्यवाही

35. श्री नारायण पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधमसिंह नगर के शक्तिगढ़ इलाके में जमीनों की विसंगतियों को समाप्त करने व भूमिधरी अधिकार दिये जाने की कोई कार्यवाही चल रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ। जनपद ऊधमसिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र के 11 गाँवों को गैर जमींदारी विनाश क्षेत्र में से जमींदारी विनाश क्षेत्र परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु आयुक्त, कुमायूँ मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुतियाँ अभी प्राप्त नहीं हो पायी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत रुड़की में एस0डी0एम0 के पद पर आई0ए0एस0 अधिकारी की तैनाती

36. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में आई0ए0एस0 अधिकारी एस0डी0एम0 पदों पर तैनात किए जाने की परिपाटी रही है?

यदि हाँ, तो वर्तमान में आई0ए0एस0 अधिकारी तैनात न करने का क्या कारण है?

क्या सरकार रुड़की तहसील में एस0डी0एम0 के पद पर आई0ए0एस0 अधिकारी तैनात करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वर्तमान में वर्ष 2006 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संयुक्त मजिस्ट्रेट, रुड़की के पद पर तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में रुड़की का विनियमित क्षेत्र का पुनः निर्धारण

37. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की का विनियमित क्षेत्र का निर्धारण कब किया गया है?

क्या सरकार इस विनियमित क्षेत्र का पुनः निर्धारण करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–625/9–आ–9–94–2आर0ए0–89, दिनांक 22 जुलाई, 1994 द्वारा रुड़की विनियमित क्षेत्र का गठन किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरिद्वार के लालढांग स्थित ग्रामों में आवासों के ऊपर से गुजर रही हाईटेन्शन विद्युत लाइनों का स्थानान्तरण

38. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद–हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लालढांग में ग्राम–धनपुरा, धिरसुपुरा, जसौदरपुर चौंणचक व गैण्डीखत्ता आदि ग्रामों के आवासों के ऊपर से हाईटेन्शन लाईन गुजर रही है, जिसके कारण प्रति क्षण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्युत लाइनों को आवासों के ऊपर से स्थानान्तरित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्णित क्षेत्र में हाईटेन्शन लाईन के नीचे आवासों का निर्माण किया गया है।

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ऐसी विद्युत लाईनों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है।

सर्वेक्षण के परिणामों पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत लालढांग में ग्राम–कंकरखाता का मजरा शिवपुरी में पुल तथा सड़क का निर्माण

39. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लालढांग में ग्राम–कंकरखाता का मजरा शिवपुरी में खाले का पुल व लगभग 2 किमी0 सड़क का निर्माण जनहित में करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

शासन स्तर पर एतद्‌विषयक कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के लालढांग में ग्राम–मिट्ठीबेरी स्थित रवासन नदी पर रपटा पुल तथा डामरीकरण सड़क का निर्माण

40. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लो0नि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लालढांग में ग्राम–मिट्ठीबेरी के सामने रवासन नदी पर रपटा पुल व लगभग 8 किमी0 डामरीकरण सड़क का निर्माण जनहित में करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्तमान में कार्य स्वीकृत नहीं है।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन मोटर मार्ग के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही

41. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन मोटर मार्ग के निर्माण में गति लाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पत्रांक–GE/1674/2007(1), दिनांक 19 जून, 2007 तथा GE/10963/2007, दिनांक सितम्बर, 2007 एवं पत्रांक–GE/5158 XXXV–2/2008 (1), दिनांक 11 फरवरी, 08 और मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी का पत्रांक–1649/36(3) याता0–पर्व/2007, दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का बिन्दुवार विवरण क्या है?

कब तक उक्त मोटर मार्ग बनकर तैयार हो जायेंगे?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पत्रांक–GE/1674/2007(1), दिनांक 19 जून, 2007 तथा GE/10963/2007, दिनांक सितम्बर, 2007 एवं पत्रांक–GE/5158 XXXV–2/2008 (1), दिनांक 11 फरवरी, 08 और मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी का पत्रांक 1649/36(3) याता0–पर्व/2007, दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:–

1. अदवाणी–नाहसैण–बहेड़ाखाल–खाण्डा मोटर मार्ग:– यह मार्ग 24.60 किमी0 लम्बाई में डामरीकरण एवं सुधारीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत है। जिसमें से 22.60 किमी0 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण है तथा शेष 02.00 किमी0 में पी0सी0 का कार्य शेष है। मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है। कार्य माह 04/09 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

2. पथराडाखाल–गैंटीछेड़ा–दोन्दल–खोला मोटर मार्ग:– यह मोटर मार्ग किमी0 00.00 से 18.00 तक मोटर मार्ग तथा किमी0 18.00 से 29.00 तक हल्का वाहन मार्ग के रूप में निर्मित है। वर्तमान में यह मार्ग किमी0 18.00 तक भारी वाहनों के यातायात हेतु खुला है तथा मार्ग का सुधार कार्य प्रगति पर है।

3. डांडानागराजा–धिण्डवाड़ा मोटर मार्ग:– यह मार्ग वर्तमान में यातायात हेतु सुलभ है।

4. सतपुली–बांघाट–बाड़ियू–चोपड़ा–व्यासघाट मोटर मार्ग:– मार्ग पर स्लिप हटाकर एवं दीवार लगाकर सम्पूर्ण लम्बाई में यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

5. बहेड़ाखाल–कोटा–महादेवसैंण–कुण्डकली मोटर मार्गः– मार्ग की वास्तविक लम्बाई 10.00 किमी0 है, जिसका संरेखण अनुमोदित हो चुका है एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। कार्य माह 03/2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

6. बाड़ियू–जखनोली–कुण्डकली–दियूसा मोटर मार्गः– पूर्व में इस मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा संरेक्षण विवाद किया गया था, जिसे वर्तमान में सुलझा लिया गया है इस मार्ग का संरेक्षण अनुमोदित हो चुका है एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। कार्य माह 04/2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7. बनेख–दियूसी मोटर मार्गः– यह मार्ग किमी0 8.00 तक भारी वाहनों के लिये खुला है।

8. सत्यखाल–घुड़दौड़ी मार्गः– यह मार्ग प्रारम्भिक 04.00 किमी0 हल्का वाहन मार्ग यातायात हेतु खुला है। इस 04.00 किमी0 भाग को मोटर मार्ग में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसके अन्तर्गत अलग–अलग भागों में 03.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है। कार्य माह 10/2009 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बहेड़ाखाल में ट्रान्सफारमर स्थापित करने तथा लो–वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु योजना

42. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में 63 के0वी0 का ट्रान्सफारमर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

यदि हाँ, तो प्रस्तावित ट्रांसफारमर कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्षेत्रीय ग्रामों में उत्पन्न लो–वोल्टेज समस्या के समाधान हेतु विभाग की क्या योजना है तथा इस प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

उपरोक्त कार्य दिनांक 24–11–2008 को पूर्ण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

43. श्री नारायण पाल–

प्रथम गुरूवार के अता0 37 में स्था0

राज्य में होमगार्डों का मानदेय बढाने पर विचार

44. श्री केदार सिंह रावत–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि राज्य में होमगार्डों से सिविल पुलिस के समान महत्वपूर्ण ड्यूटी ली जा रही है, जबकि उनका मानदेय अति अल्प है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार होमगार्ड्स के मानदेय को बढाने पर विचार कर ही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नही, तो क्यों?

कारागार, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड मंत्री (श्री अजय टम्टा)–

जी नहीं।

जी नहीं।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को रु0 55/– प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिया जा रहा था, जिसे समय–समय पर पुनरीक्षित किया गया है। वर्तमान में शासनादेश संख्या–366/XX5/08 11हो0गा0/02, दिनांक 19 जून, 2008 को पुनः होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता रु0 100/– से बढ़ाकर रु0 120/– कर दिया गया है। दिनांक 01 जून, 2008 से पुनरीक्षित ड्यूटी भत्ता अनुमन्य कर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

मनेरी भाली प्रथम व द्वितीय चरण के जल विद्युत गृहों के रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष व्यय

45. श्री केदार सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि मनेरी भाली प्रथम एवं द्वितीय चरण के जल विद्युत गृहों के रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष ठेका दिया जाता है?

यदि हाँ, तो इसका औसतन प्रतिवर्ष कितना व्यय आता है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मनेरी माली प्रथम चरण के जल विद्युत गृहों के रख–रखाव हेतु कोई ठेका नहीं दिया जाता है। मनेरी माली द्वितीय चरण के जल विद्युत गृह की कमीशनिंग के उपरान्त वर्ष के प्रारम्भ में नियमित प्रशिक्षित (ट्रेंड) कर्मचारियों की कमी के कारण 01 वर्ष के लिये ठेका दिया गया।

मनेरी माली द्वितीय चरण के रख–रखाव के लिये लगभग रु0 1.48 करोड़ का अनुबन्ध किया गया।

जल विद्युत गृहों के रख–रखाव का ठेका बाह्य एजेन्सी को दिये जाने के कारण

46. श्री केदार सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जल विद्युत गृहों के रख–रखाव के लिये पहले से ही नियमित कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर भी ठेका दिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

नियमित प्रशिक्षित (ट्रेंड) कर्मचारियों की कमी के कारण मनेरी माली द्वितीय चरण के रख–रखाव कार्य का ठेका बाह्य ऐजेन्सी को दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरकाशी अन्तर्गत सुवाखोली भवान–नगुण मोटर मार्ग के निर्माण में त्वरित गति हेतु योजना

47. श्री केदार सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि विगत वर्षों से निर्माणाधीन मोटर मार्ग सुवाखोली भवान–नगुण से उत्तरकाशी के तीन विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, डुण्डा एवं भटवाड़ी की दूरी लगभग 75 किमी0 कम हो रही है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण में त्वरित गति दिए जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ, लगभग 69 किमी0।

कार्य प्रगति पर है तथा माह जनवरी, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

48. श्री केदार सिंह रावत–

प्रथम गुरू0 के अता0 39 में स्था0

हरिद्वार से कोटद्वार वाया नजीबाबाद–गैंडीखाता–लालढांग मोटर मार्ग निर्माण कार्य की प्रगति

49. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लो0नि0 मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग (जनपद हरिद्वार) के अन्तर्गत हरिद्वार–नजीबाबाद मुख्य मार्ग के गैंडीखाता से लालढांग होते हुये कोटद्वार तक का मोटर मार्ग स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई?

क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

गैंडीखाता से लालढांग तक का मार्ग पूर्व निर्मित है। इससे आगे लालढांग से चिल्लरखाल तक का भाग वन मार्ग है एवं कच्चा है, जिसे मोटर मार्ग के रूप में विकसित/निर्मित करने हेतु शासनादेश सं0–2454/III–2/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0, दिनांक 28–10–2005 के द्वारा वन विभाग को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में वन विभाग द्वारा मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को शासनादेश सं0–3686/X–2/2008–09(6) 2006, दिनांक 20–11–2008 के द्वारा कार्यदायी संस्था नियुक्त कर दिया गया है। जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडाउन के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के उपरान्त विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

चिल्लरखाल से आगे कोटद्वार तक पूर्व से ही मोटर मार्ग निर्मित है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक आस्थान सिडकुल, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत उत्पादनरत एवं निर्माणाधीन फैक्ट्रियाँ

50. श्री नारायण पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि औद्योगिक आस्थान सिडकुल, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत कितनी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है तथा कितनी निर्माणाधीन हैं?

क्या सरकार बतायेगी कि निर्माणाधीन फैक्ट्रियों में कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्तमान में औद्योगिक आस्थान सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) में 33 औद्योगिक इकाईयों द्वारा अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 59 इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

निर्माणाधीन फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही उत्पादन शुरू हो जायेगा।

जी हाँ, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष रियायती पैकेज की सुविधा का लाभ लेने के लिए औद्योगिक इकाईयों द्वारा 31 मार्च, 2010 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करना अनिवार्य है।

प्रदेश में टोल टैक्स वसूलने वाले पुलों की संख्या व वसूली की अवधि

51. श्री नारायण पाल–

क्या लो0नि0वि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने पुलों पर टोल टैक्स लिया जा रहा है? तथा प्रत्येक पुल की टोल टैक्स वसूली की अवधि क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रदेश के अन्तर्गत कुल 31 पुलों पर वर्तमान में टोल टैक्स लिया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राज मार्गों पर पड़ने वाले 03 सेतु भी सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार द्वारा निर्मित पुलों पर पथकर केवल उस समय तक, जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत, जिसके अन्तर्गत पुल पर हुये कुल व्यय पर ब्याज और उसके रख–रखाव पर हुआ व्यय भी सम्मिलित है, पूर्ण रूप से वसूल हो जाने अथवा उस पुल पर पथकर लगाने के 50 वर्षों की अवधि, जो भी पहले हो, तक लिया जायेगा।

राष्ट्रीय राज मार्गों पर दिनांक 27–08–1997 को व इसके बाद निर्मित सेतुओं पर आजीवन टोल टैक्स की वसूली किये जाने का प्राविधान है, जबकि 27–08–1997 से पूर्व निर्मित सेतुओं पर टोल टैक्स इसके निर्माण पर हुये कुल व्यय, ब्याज सहित वसूल होने के उपरान्त बन्द कर दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर के सिकरोढा क्षेत्र को फल पट्टी के रूप में विकसित करने की योजना

52. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर के सिकरोढा क्षेत्र को फल पट्टी के रूप में विकसित करने की कोई योजना है?

क्या सरकार उद्यान कृषकों को प्रोत्साहित करने एवं उद्यानों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस योजना बनायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजय टम्टा–

जी नहीं।

उद्यान कृषकों को प्रोत्साहित करने एवं उद्यानों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में विभाग द्वारा जिला एवं राज्य सैक्टर की विभागीय योजनाऐं तथा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हार्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से फल क्षेत्र विस्तार, पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार आदि योजनाऐं जनपद हरिद्वार के सभी छः विकास खण्डों में संचालित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से वेतनमान 8000—13500 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कार्यवाही का विवरण

53. श्रीमती अमृता रावत—

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि वित्त सेवा वेतनमान रु0 8000—13500 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु आदर्श क्रमावली (रोस्टर) के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक—854 / विधायक / 1—स्थापना / 2008—2009, दिनांक 30—05—2008 के सम्बन्ध में सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—वी0आई0पी0 / 4543 / XXXV—1 / 2008 (2), दिनांक 12 जून, 2008 के द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

मा0 सदस्य के पत्र संख्या—854 / विधायक / 1—स्थापना / 2008—2009, दिनांक 30—05—2008 के सम्बन्ध में सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—वी0आई0पी0 / 4543 / XXXV—1 / 2008 (2), दिनांक 12 जून, 2008 श्री लछम सिंह बड़वाल की सहायक / उप कोषाधिकारी संवर्ग से वित्त सेवा के अन्तर्गत साधारण वेतनमान रु0 8000—13500 में अनुसूचित जनजाति की रिक्ति में पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त पदोन्नतियाँ लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अधीन की जाती है। पदोन्नति का मापदण्ड योग्यता है। श्री बड़वाल का नाम पदोन्नति पर विचार करने हेतु दिनांक 20 सितम्बर, 2007 एवं 13 नवम्बर, 2007 तथा 28 जनवरी, 2008 को लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति की रिक्ति के सापेक्ष एक अन्य कार्मिक को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः शासन स्तर पर उक्त पत्रों पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत यमकेश्वर में तहसील भवन का निर्माण एवं उप जिलाधिकारी की नियुक्ति

54. श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वि0ख0 यमकेश्वर की तहसील भवन विहीन है?

क्या यह सत्य है कि तहसील में उप जिलाधिकारी का पद सृजित नहीं है?

क्या सरकार जनहित में तहसील का भवन निर्माण एवं उप जिलाधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वर्ष 2005 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में 03 नई तहसीलों की स्थापना की गई थी, एवं इन तहसीलों में तहसीलदार व अन्य अधीनस्थ पदों का सृजन किया गया था। सभी नव सृजित तहसीलों में उप जिलाधिकारी का दायित्व पैतृक परगने के उप जिलाधिकारी को दिया गया था। तहसील यमकेश्वर के उप जिलाधिकारी का कार्यभार उप जिलाधिकारी, कोटद्वार द्वारा देखा जा रहा है। यमकेश्वर तहसील के भवन निर्माण हेतु योजना आगणन प्राप्त कर लिया गया है एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक फण्ड द्वारा निर्माणाधीन सड़कों में पेटी कांट्रेक्ट की अनुमन्यता तथा कार्य सबलेट किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

55. श्री केदार सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक फण्ड द्वारा निर्माण की जा रही सड़कों में पेटी कांट्रेक्ट (सब कांट्रेक्ट) कार्य नहीं कर सकते?

यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में कार्यरत गंगोत्री कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा कार्य सबलेट किये गये हैं?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सब कांट्रेक्टिंग अनुमन्य है।

सबलेट नहीं किये गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों में कार्य की कुल लागत के 40 प्रतिशत तक के लिए सब कांट्रेक्टिंग विभाग की अनुमति से दी जा सकती है, किन्तु सब कांट्रैक्टर को उस कार्य में अपेक्षित अनुभव होना आवश्यक है।

जनपद उत्तरकाशी में एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के कर्ज से निर्माणाधीन मोटर मार्ग एवं चयन का आधार

56. श्री केदार सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक के कर्ज से कितनी मोटर सड़कें निर्माणाधीन हैं तथा इनके मार्गों के चयन का आधार क्या है?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद उत्तरकाशी में एशियन डेवलपमेन्ट बैंक वित्त पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न मोटर सडकें निर्माणाधीन हैं–

1– नौगांव–पुरोला–किमी0 17.888

2– कुवां–कफनौल–राड़ी–किमी0 47.500

सड़कों का चयन यातायात दबाव, सड़क की दशा, आर्थिक एवं कनेक्टिविटी तथा पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आदि के आधार पर किया गया है।

वि0स0 क्षेत्र पन्तनगर–गदरपुर में अतिवृष्टि से हुए क्षतिग्रस्त मार्ग एवं पुनः निर्माण की कार्यवाही

57. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अतिवृष्टि के कारण वि0स0 क्षेत्र पन्तनगर–गदरपुर में कितने किमी0 मार्ग खराब हो गये हैं?

सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत व पुनः निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर–गदरपुर में 19.900 किमी0 लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा मोटर मार्ग की मरम्मत

58. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा मोटर मार्ग का निर्माण हाल ही में हुआ है?

क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में उक्त मार्ग अत्यन्त खराब हो चुका है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य यथाशीघ्र करायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा मोटर मार्ग किमी0 1–18 का निर्माण तीन अलग–अलग चरणों के अन्तर्गत वर्ष 2006 से 2008 के मध्य हुआ है।

कुछ लम्बाई में मार्ग भारी यातायात के कारण कुछ स्थानों पर खराब हो गया है।

मार्ग का मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत बैजरों में श्री बालकृष्ण गौनियाल की हत्या पर की गई कार्यवाही

59. श्रीमती अमृता रावत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि दिनांक 23–7–2008 को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत स्थान बैजरों में दरिया मन्दिर के समीप श्री बाल कृष्ण गौनियाल, अध्यापक की हत्या की गई थी?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 25–7–2008 के पत्रांक–1010/विधायक/19–पुलिस/2008–09 में वर्णित तथ्यों तथा संलग्न शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, पौड़ी के माध्यम से क्षेत्राधिकारी, कोटद्वार से जांच करायी गयी। जांच से पाया कि दिनांक 22–7–2008 की रात्रि में श्री बाल कृष्ण गौनियाल की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गयी थी। घटना स्थल राजस्व क्षेत्र का होने के कारण पटवारी चौकी बैजरों में अभियोग पंजीकृत किया गया। नियमित पुलिस द्वारा राजस्व पुलिस को सहयोग करते हुये अभियोग से सम्बन्धित दो अभियुक्तों–संजय सिंह पुत्र सुल्तान सिंह तथा लक्ष्मण सिंह पुत्र बालम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पटवारी के द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना पूर्ण कर दिनांक 11–09–2008 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय, पौड़ी में प्रेषित किया जा चुका है।

क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्थान बैजरों में राजस्व पुलिस के साथ दो होमगार्डों की नियमित तैनाती की गई है तथा वहां की जनता की मांग के अनुसार श्री रघुवीर सिंह भण्डारी, पटवारी की भी तैनाती उक्त क्षेत्र में की गई है।

जनपद टिहरी के जाखणीधार अन्तर्गत स्वीकृत काण्डीखाल–चन्द्रबदनी सड़क का निर्माण

60. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी जनपद की जाखणीधार विकास खण्ड अन्तर्गत काण्डीखाल–चन्द्रबदनी सड़क स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो क्या उसका निर्माण हो गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

संरेखण विवाद के कारण।

जनपद टिहरी के चम्बा अन्तर्गत देवनगरी–जिजली–मठियाणगाँव की स्वीकृत सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति

61. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी जनपदान्तर्गत विकास खण्ड चम्बा में लो0नि0वि0 द्वारा देवनगरी–जिजली–मठियाणगाँव सड़क स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण।

जनपद टिहरी अन्तर्गत बम्बा–छन्नुण्ड स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति

62. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी में लो0नि0वि0 द्वारा बम्बा–छन्नुण्ड मोटर मार्ग स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

संरेखण विवाद के कारण।

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की प्रोन्नति हेतु डी0पी0सी0

63. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की प्रोन्नति हेतु कब से डी0पी0सी0 नहीं हुई है?

क्या सरकार यथाशीघ्र डी0पी0सी0 करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की प्रोन्नति हेतु डी0पी0सी0 चयन वर्ष 2005 के बाद नहीं हुई।

विभागीय प्रोन्नति प्रक्रियारत है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति

64. श्री किशोर उपाध्याय—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के कितने पद रिक्त हैं?

सरकार उन पदों पर कब तक नियुक्ति करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 623 पद रिक्त हैं। पहले लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है, तत्पश्चात नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय खोलने पर विचार

65. श्री चन्दन राम दास—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर में एम0एस0सी0 भौतिकी, एम0ए0 संस्कृत तथा एम0काम0 विषय खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर में एम0एस0सी0 भौतिकी, एम0ए0 संस्कृत तथा एम0काम0 पाठ्यक्रम खोले जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नर्सिंग कॉलेज का प्रारम्भ

66. श्री यशपाल बेनाम–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग0वि0वि0 परिसर पौड़ी में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नर्सिंग कॉलेज की शुरूआत कब होने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए आई0एन0सी0 के मानकों के अनुरूप विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए कुल सचिव, हे0न0ब0 विश्वविद्यालय, गढ़वाल को दिनांक 18 सितम्बर, 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था। हे0न0ब0 विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु विधेयक संसद में प्रस्तुत हो चुका है। अतः उक्त परिस्थितियों में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज अब वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान परिसर में करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्राचार्य को निर्देशित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मोहकमपुर रेलवे फाटक के पास सड़क की मरम्मत/पुनः निर्माण एवं बद्रीपुर स्थित राजेश्वरी नर्सरी से नेहरू ग्राम अस्पताल तक सड़क व पुल निर्माण कार्य

67. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत नियांवाला लोअर नेहरूग्राम, माजरी माफी, बद्रीपुर के अन्तर्गत राजेश्वरी नर्सरी के समीप पुल का निर्माण, मोहकमपुर रेलवे फाटक के साथ जाने वाली सड़क की मरम्मत/पुनः निर्माण एवं राजेश्वरी नर्सरी से नेहरूग्राम अस्पताल तक सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मोहकमपुर रेलवे फाटक के साथ जाने वाली सड़क की मरम्मत एवं पुनः निर्माण तथा राजेश्वरी नर्सरी से नेहरूग्राम अस्पताल तक सड़क की मरम्मत का कार्य दिनांक 25–09–2008 से प्रारम्भ कर दिया गया है, किन्तु राजेश्वरी नर्सरी के समीप पुल का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है।

प्रश्नगत पुल स्वीकृत न होने के कारण।

जनपद पौड़ी की वन रेंज–नलगड़ी लालढांग में गत 03 अप्रैल, 2008 को वन गूजर श्री गामी की चार भैंसें विद्युत करंट से मरने के कारण आर्थिक सहायता

68. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी की वन रेंज–नलगड़ी लालढांग रेंज में गत 3 अप्रैल, 2008 को वन गूजर श्री गामी पुत्र उमरदीन की चार (4) भैंसे विद्युत करंट से मर गई थीं, को आज तक आर्थिक सहायता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार प्रभावित व्यक्ति को लगभग रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) की क्षति पूर्ति विद्युत विभाग से अविलम्ब करवायेगी?

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध विद्युत विभाग द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध दर्ज किये गये मुकदमें को समाप्त करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रारम्भिक तौर पर कुल रु0 12,000.00 (रु0 बारह हजार मात्र) का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किया जा चुका है।

राजस्व विभाग के निर्धारित मानक दरों के अनुसार शेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रभावित व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। विद्युत लाईन को क्षति पहुँचाने के सम्बन्ध में अज्ञात व्यक्ति के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जनपद पौड़ी के एकेश्वर अन्तर्गत कोयलगांव से हलूड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण

69. श्री यशपाल बेनाम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र एकेश्वर के अन्तर्गत कोयलगांव से हलूडी तक, जिसकी दूरी 2 किमी0 है, वर्ष 1997–98 में उ0प्र0 शासन द्वारा मोटर मार्ग स्वीकृत था?

क्या उक्त मोटर मार्ग का 65% कार्य पूर्ण हो चुका था?

क्या यह सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग के अवशेष 1 किमी0 मार्ग की स्वीकृति भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जा चुकी है एवं जिसके टेण्डर भी जारी किये जा चुके हैं?

यदि हाँ, तो उक्त 2 किमी0 मोटर मार्ग कब तक बनकर तैयार हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र एकेश्वर के अन्तर्गत कोयलगांव से हलूड़ी तक हल्का वाहन मार्ग की स्वीकृति शा0सं0–49/23 लो0/98/99, दिनांक 11–01–1999 द्वारा 01 किमी0 लम्बाई हेतु रुपये 07.80 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

प्रश्नगत मार्ग पर 60 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।

जी हाँ।

माह 10/2009 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग का डामरीकरण

70. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग का हाट मिक्स से डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के अ0शा0 पत्र संख्या–VIP/466/XXXV –1/2008 (20), दिनांक 21 जनवरी, 2008 के पत्र के सन्दर्भ में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

क्या सरकार उक्त मार्ग का हॉटमिक्स से डामरीकरण इसी वित्तीय वर्ष में करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत 10.00 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 द्वारा डामरीकरण स्वीकृत है।

स्वीकृत कार्य को 11/2009 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत व्यासघाट–किनसुर–काण्डी मोटर मार्ग से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण

71. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत व्यासघाट–किनसुर–काण्डी मोटर मार्ग का ग्रेडियेन्ट ठीक करवाने तथा मार्ग को यातायात हेतु उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल को संबोधित मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या–1590/36 (3) याता–पर्व/07, दिनांक 09 मई, 2008 में संदर्भित पत्र में वर्णित समस्याओं के निस्तारण हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक वर्णित समस्याओं का निस्तारण कर दिया जायेगा?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

व्यासघाट–किनसुर–काण्डी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन सम्बन्धी स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत उक्त मार्ग का ग्रेडियेन्ट सुधार का कार्य प्रगति पर है तथा वर्णित समस्याओं का निराकरण इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बाडियूं–जखनोली–कुण्डकली–दिऊसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु की गई कार्यवाही

72. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बाडियूं–जखनोली–कुण्डकली–दिऊसा मोटर मार्ग के एलाईमेन्ट के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को सम्बोधित मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) के अ0 शा0 पत्रांक–1606/36 (3) याता–पर्व0/2007, दिनांक 04 अप्रैल, 2008 पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है तथा इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं और कब तक इस मार्ग का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) के अ0 शा0 पत्रांक–1696/36 (3) यात्रा–पर्व0/2007, दिनांक 04 अप्रैल, 2008 पर अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा बाडियूं–जखनोली–कुण्डकली–दिऊसा मोटर मार्ग का समरेखन अनुमोदित कर दिया गया है।

दिनांक 19–10–2006 को ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद के कारण।

यथाशीघ्र।

जनपद पौड़ी के सतपुली से व्यासघाट तक 11 के0वी0 विद्युत लाईन के त्रुटिपूर्ण निर्माण से समस्या का समाधान

73. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में सतपुली से व्यासघाट तक 11 के0वी0 विद्युत लाईन के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री को सम्बोधित क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख का दिनांक 16 अप्रैल, 2007 का पत्रांक बहेड़ाखाल/ऊर्जा/2007–08 कब प्राप्त हुआ है और पत्र में वर्णित समस्या के समाधान हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

प्रश्नगत पत्र पूर्व में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। पूर्व प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, कोट (गढ़वाल) से व्यक्तिगत सम्पर्क कर दिनांक 08–12–2008 को पत्र की प्रति प्राप्त की गई है।

शासन के पत्र संख्या–3131/I(2)/2008–08/82/2008, दिनांक 08–12–2008 के द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत बाजखेत–कनकोट–तोलबुधानी चुराचौरा मोटर मार्ग निर्माण में विलम्ब के कारण

74. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में बाजखेत–कनकोट–तोलबुधानी चुराचौरा मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2003 में जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो क्या उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र करेगी?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

संरेखण विवाद।

जी हाँ, वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत वल्मरा, स्यालदे, केदार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

75. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में वल्मरा, स्यालदे, केदार मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2004 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ। विवाद सुलझने के उपरान्त अनुमोदित संरेखण पर किमी0 1.5 से किमी0 5.75 तक निर्माण कार्य कराया जा चुका है, किन्तु अवशेष लम्बाई का कार्य वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत घुघती, कैलानी, मसमोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

76. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में घुघती, कैलानी, मसमोली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2005 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत पत्थरखोला, महरगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

77. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में पत्थरखोला, महरगांव मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2005 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण। वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत वल्मरा, चनौली, सराईखेत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

78. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में वल्मरा, चनौली, सराईखेत मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2005 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद के कारण। सम्प्रति संरेखण विवाद सुलझा लिया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत जालली, तकुल्टी, मन्टी पटास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

79. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में जालली, तकुल्टी, मन्टी पटास मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2004 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

मार्ग के संरेखण विवाद एवं वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। संरेखण विवाद के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। संरेखण विवाद हल हो जाने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत गगास, उडी महादेव आदि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

80. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में गगास, उडी महादेव, शैलापानी, भिक्यासैंण, मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2004 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

मार्ग के संरेखण विवाद एवं वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण। सम्प्रति संरेखण विवाद सुलझा लिया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत तामाढौन, गोलना, खल्डूवा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

81. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में तामाढौन, गोलना, खल्डूवा मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद के कारण। संरेखण विवाद सुलझा लिया गया है तथा वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत गहणखाल–कुन्हील–तोलबुधानी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

82. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में गहणखाल–कुन्हील–तोलबुधानी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। संरेखण विवाद के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। तदोपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत धमैड़ा, सीलंग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

83. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में धमैड़ा, सीलंग मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद एवं वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। संरेखण विवाद के निस्तारण के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

84. श्री गगन सिंह–

प्रथम गुरू0 के अता0 38 में स्था0

जनपद पिथौरागढ अन्तर्गत गर्वा तवाघाट जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी

85. श्री गगन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत गर्वा तवाघाट जल विद्युत परियोजना (630 मेगावाट) काली नदी पर स्थित है?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि उक्त नदी भारत और नेपाल के बीच सीमांकन करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय नदी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए नेपाल सरकार सन्धि पर हस्ताक्षर करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

10 दिसम्बर, 2008।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में वाणिज्य विषय की कक्षाओं का संचालन

86. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में वाणिज्य विषय की कक्षायें संचालित हो रही हैं?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वाणिज्य कक्षायें संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट एवं चौखुटिया के तहसील भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

87. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील द्वाराहाट एवं चौखुटिया के तहसील भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

तहसील द्वाराहाट एवं तहसील चौखुटिया के भवन निर्माण आगणन स्वीकृति हेतु प्राप्त हुये थे, इनके तकनीकी परीक्षण के उपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संशोधित आगणन प्राप्त कर लिये गये हैं। वर्तमान में आगणन परीक्षण की कार्यवाई की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत जैठा, खुरेडी, सैलापानी, खनौलिया आदि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

88. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में जैठा, खुरेडी, सैलापानी, खनौलिया, बनघट मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2005 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और कब तक इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। सम्प्रति संरेखण विवाद सुलझा लिया गया है तथा वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत रिखाड, कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

89. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में रिखाड, कोटियाग मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। संरेखण विवाद के निस्तारण के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत देघाट, तल्ली नारायण मन्दिर आदि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

90. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में देघाट, तल्ली नारायण मन्दिर, ध्यारकोट शेरागुनानी, मालीखेत, नागपुलाखाल मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

संरेखण विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। संरेखण विवाद सुलझा लिया गया है तथा वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट एवं चौखुटिया में व्यवसायिक विषयों की स्वीकृति

91. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट एवं चौखुटिया में व्यवसायिक विषयों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट एवं चौखुटिया में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को खोले जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र धारचूला के बरम में दैवीय आपदा ग्रस्त लोगों को अन्यत्र बसाने की योजना

92. श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र धारचूला के बरम नामक स्थान पर पिछले वर्ष दैवीय आपदा से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बरम में दैवीय आपदा ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को अन्यत्र बसाने की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ। जिलाधिकारी द्वारा प्रभावित ग्राम का तकनीकी परीक्षण जिला स्तर पर गठित एक समिति द्वारा कराया गया है एवं शासन स्तर से ग्राम का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराये जाने की माँग की गई है। अतः इस ग्राम का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून से तकनीकी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तकनीकी सर्वेक्षण आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

तकनीकी सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही, दिये गये सुझावों के आधार पर, गाँव के विस्थापन के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव होगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। शोक प्रस्ताव आ रहा है।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

"दिनाँक 26 एवं 27 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुई आतंकवादी घटना" में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस शोक प्रस्ताव को इस माननीय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त दुःख के साथ इस प्रस्ताव को रख रहा हूँ और इस प्रस्ताव के माध्यम से उत्तराखण्ड की जनता भी इस शोक में सम्मिलित है। इसके माध्यम से हम यह भावनायें प्रकट करना चाहते हैं और शोक संतप्त परिवारों को अपनी भावनायें तथा इस राज्य की जनता की भावनायें भी पहुँचाना चाहते हैं।

"यह सदन दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुई आतंकवादी घटना की निन्दा करता है तथा सुरक्षा बलों के सदस्यों तथा भारतीय नागरिकों के शहीद होने पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति हेतु सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय गन्ना मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और तेज आवाज में अपनी बात कहने लगे एवं नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। घोर व्यवधान के मध्य माननीय गन्ना मंत्री जी ने खड़े होकर गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में वक्तव्य देना शुरू किया, किन्तु घोर व्यवधान के कारण कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। इसी मध्य 'वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री शहजाद द्वारा माननीय मंत्री जी के हाथों से पत्रादि छीनकर फाड़े गये और माननीय

सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा माननीय गन्ना मंत्री जी की मेज पर लगे माईक को गिरा दिया गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

गन्ना विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, लोकतंत्र के आधार पर बात करनी चाहिए, इस तरह से माईक गिराना ठीक नहीं है। सरकार ने जो घोषणा की है, वह किसानों के हित में की है। उत्तर प्रदेश से तीन रुपया अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा। पहले भी उत्तर प्रदेश से गन्ने के मूल्य का भुगतान अधिक किया गया है। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, ये किसानों की खुशहाली नहीं चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश की तरह ही बनाना चाहते हैं। ये लोग किसानों का हित नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये लोग यहाँ भी उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति देखना चाहते हैं। उत्तराखण्ड सरकार ने जो निर्णय लिया है, उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। आज सरकार ने तीन रुपये अधिक गन्ना मूल्य घोषित किया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) ये सुनना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2006–07 और वर्ष 2007–08 का भुगतान नहीं किया, जबकि उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2006–07 का 127–132 और वर्ष 2007–08 का सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण हम लोग अभी उसका पूरा निर्णय नहीं ले पाये हैं। लेकिन जो सरकार की मिलें हैं, जो निगम और को–ऑपरेटिव की मिलें हैं, उनमें 127 और 132 का पूरा भुगतान के लिए स्वीकृति जारी हो गई है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) इससे मान्यवर, ये बौखलाए हुए हैं और किसानों के बीच में जाने से ये लोग कतरा रहे हैं। किसान आज इस चीज का जवाब पूछ रहा है कि पहले पड़ोसी राज्य में, जहाँ से 80 लाख कुन्टल गन्ना हमारे यहाँ आता है, 20 लाख कुन्टल गन्ना हमारा वहाँ जाता है तो इसलिए उस पर हम कहीं न कहीं, जो गन्ने का मूल्य है, उस गन्ने के मूल्य पर एक दूसरे राज्य से कहीं न कहीं एक समानता

नजर आती है। लेकिन इस सरकार ने जहाँ पिछले वर्ष दो रुपये ज्यादा दिये थे और इस वर्ष सरकार ने घोषणा की है कि हम तीन रुपये अधिक देंगे। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971}(संशोधन) अध्यादेश, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971} (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–03, वर्ष 2008) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2007–08 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2007–08 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पंचम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2001—02, 2002—03 एवं 2003—04 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619—A(2) के अधीन उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2001—02, 2002—03 एवं 2003—04 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा—182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का वित्तीय वर्ष 2006—07 का वार्षिक लेखा विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा—104(4) के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का वित्तीय वर्ष 2006—07 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या—35, अधिसूचना संख्या—282/उत्तराखण्ड/2008, दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को संशोधन सहित

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा—11 के अधीन भारत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या—35, अधिसूचना संख्या—282/उत्तराखण्ड/2008, दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रथम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003—04 (दिनांक 31—10—2003 से 31—03—2004 तक)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आर०टी०सी० एक्ट 1950 की धारा—33(4) के अधीन उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रथम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003—04 (दिनांक 31—10—2003 से 31—03—2004 तक) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–08 में वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 की जो वार्षिक रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसका परीक्षण करवाया गया और इसी वर्ष के 2008 का जो बजट सत्र था, उसमें रखे जाने हेतु प्रस्तावित था, किन्तु, चूँकि उसका भाषायी अन्तरण नहीं हो पाया, जिस वजह से इसमें विलम्ब हुआ। इसका परीक्षण करा लेंगे। अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 इतने विलम्ब से सारी रिपोर्ट आ रही हैं। विलम्ब के क्या कारण हैं, साथ में यह भी आना चाहिए।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत (गाजणा में) जलकूर नदी के खेप नामें तोक पर (आर0सी0सी0) पैदल झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

* श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत (गाजणा में) जलकूर नदी के खेप नामें तोक पर (आर0सी0सी0) पैदल झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती पवित्रा देवी, निवासी ग्राम–बागी, पो0डाण्डी कमद, जनपद–उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद उत्तरकाशी में अस्सी वारूणी यात्रा पैदल मार्ग निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में अस्सी वारूणी यात्रा पैदल मार्ग निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री नौनियाल सिंह, ग्राम उपरीकोट, जनपद–उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद उत्तरकाशी के उपरीकोट से हनुमान चट्टी तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के उपरीकोट से हनुमान चट्टी तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री किशन सिंह राणा पुत्र श्री लुदर सिंह, ग्राम पो0–गराणगांव, जनपद–उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 दिसम्बर, 2008 की बैठक में दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिसम्बर, 2008 15 सोमवार

(1) औपचारिक कार्य यथा पत्रादि का सदन के पटल पर रखा जाना।

(2) निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन

(क) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008।

(ख) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008।

(ग) उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1971] विधेयक, 2008।

(घ) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008।

(ङ) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008

पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूँ।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री ओम गोपाल रावत, श्री गोविन्द लाल शाह तथा श्री यशपाल बेनाम की कुल 03 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से माननीय सदस्य श्री गोविन्द लाल शाह की सूचना, जो उत्तराखण्ड में पैरामेडिकल काउन्सिल का गठन कर विभिन्न स्नातक तथा परास्नातक पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की

व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, को मैं नियम–53 के अन्तर्गत तथा श्री यशपाल बेनाम की सूचना जो हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किये जाने के उपरान्त इसके अंशकालिक शिक्षकों को उचित प्रकार से समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार की गयी।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांक 15 दिसम्बर, 2008

महेश चन्द्र

सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–16 पर)

निजी क्षेत्र की भागीदारी से, पुरानी जल विद्युत संयंत्रों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण (आर0एम0यू0) हेतु नीति का प्रारूप

1. प्रस्तावना

(1) उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रचुर मात्रा में स्रोत उपलब्ध हैं। उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य शीघ्रातिशीघ्र इन उपलब्ध स्रोतों का पूर्णतः उचित विदोहन करना है। इस हेतु न केवल सरकारी संस्थाओं की भागीदारी अपितु निजी क्षेत्र की भी भागीदारी आवश्यक है। ऊर्जा के नये वैकल्पिक स्रोतों का विकास, जिसमें जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत भी सम्मिलित हैं, को बढ़ावा दिए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में निजी क्षेत्र/ग्रामीण सहभागिता से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन किए जाने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा नीति घोषित की गयी है।

(2) जल ऊर्जा के नये स्रोतों के दोहन के अतिरिक्त, पुरानी जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएँ, जो या तो निष्क्रिय हैं अथवा कम दक्षता पर उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड जो राज्य सरकार के स्वामित्व की कम्पनी है, द्वारा संचालित की जा रही हैं, के रूप में उपलब्ध स्रोतों के पूर्णतः दोहन हेतु राज्य सरकार इच्छुक है। आलेख उत्तराखण्ड डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट, जो योजना आयोग द्वारा प्रायोजित है, में नेशनल काउंसिल फॉर एप्लायड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू0जे0वी0एन0एल0) द्वारा निर्मित परियोजनाओं के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं रख–रखाव का कार्य किसी बाह्य अनुभवी संस्था से पैकेज के रूप में बाह्य सेवाओं के माध्यम से कराए जाने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। अतः निजी क्षेत्र की भागीदारी से, पूर्व निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण हेतु नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

2. कार्ययोजना:–

विद्युत परियोजनाओं का आर0एम0यू0 दो प्रकार से निष्पादित किया जा सकता है, अर्थात् आर0एम0यू0 कार्यों हेतु अनुबन्ध द्वारा अथवा जल विद्युत परियोजना को निजी विकासकर्ता को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) आधार पर पट्टे पर देकर।

3. अनुबंधकर्ता की सहायता से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 द्वारा आर0एम0यू0 कार्य:–

वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार आर0एम0यू0 का कार्य यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा स्वयं किया जा सकता है। इस हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा स्वयं की जानी होगी, परन्तु बड़े कार्य पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा हेतु निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुए निजी संस्थाओं को अनुबन्ध पर दिए जायेंगे।

4. पूर्व निर्मित जल विद्युत परियोजना को पट्टे पर देते हुए आर0एम0यू0 कार्य:–

पूर्व निर्मित परियोजनाएं, जो अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी हों, पट्टे, पुनर्निर्माण, संचालन एवं स्थानान्तरण (एल0आर0ओ0टी0)के आधार पर, पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से, निजी विकासकर्ता को पट्टे पर दी जायेगी।

5. LROT हेतु प्रक्रिया:–

विद्युत परियोजनाओं का निजी विकासकर्ताओं को LROT के आधार पर आवंटन खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली (Open Competitive Bidding) के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

5.1. अर्हताएं एवं मूल्यांकन–

अर्हता एवं मूल्यांकन बिन्दुओं का वर्णन आर0एफ0क्यू0 / आर0एफ0पी0 / बोली प्रपत्रों में किया जाना आवश्यक होगा।

5.2. परियोजना पट्टे पर दिए जाने की प्रक्रिया–

पारदर्शी रूप से प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं प्राप्त किए जाने हेतु चिन्हित परियोजनाओं का प्रकाशन किया जायेगा। निजी विकासकर्ता का चयन निम्नानुसार दो स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा:–

(एक) प्री–क्वालिफिकेशन (Prequalification) – सर्वप्रथम प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन आर0एफ0क्यू0, प्रपत्र, जो निर्धारित धनराशि के भुगतान उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा, में दिये गये प्री–क्वालिफिकेशन हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा। मोटे तौर पर प्री–क्वालिफिकेशन मापदण्ड, तुला पत्र (बैलेन्सशीट), वार्षिक रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय सक्षमता इत्यादि पर आधारित होंगे। मूल्यांकन के उपरान्त सफल बोली लगाने वालों की लघु सूची (Short List) तैयार की जायेगी।

(दो) ऊर्जा / वित्तीय बोली (Energy/Financial Bid) – उपरोक्तानुसार सूचीबद्ध निजी विकासकर्ताओं से निम्न बिन्दुओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा:–

(क) भुगतान किए जाने वाले अप–फ्रन्ट प्रिमियम का विवरण;

(ख) UJVNL को आपूर्ति की जाने वाली न्यूनतम विद्युत, जिसमें पीक आवर एवं नॉन–पीक ऑवर का वर्गीकरण हो, का विवरण;

(ग) UJVNL को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत का प्रति यूनिट मूल्य;

(घ) आर0एम0यू0 कार्य पूर्ण किए जाने की अवधि एवं UJVNL को विद्युत उपलब्ध कराए जाने की तिथि।

(तीन) उपरोक्त बिन्दु (दो) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सूचीबद्ध बोली लगाने वालों में से सर्वोच्च बोली का प्रस्ताव देने वाले बोली लगाने वाले को LROT आधार पर परियोजना का आवंटन किया जायेगा।

(चार) सफल बोली लगाने वाले द्वारा तीन वर्ष की अवधि हेतु परफोरमैन्स बैंक गारन्टी उपलब्ध करायी जानी होगी जो आर0एम0यू0 कार्यों हेतु आंकलित धनराशि की दर के 10 प्रतिशत के समतुल्य हो।

6. **LROT अनुबन्ध की विशेष शर्तें:–**

6.1. परियोजना का नाम एवं कानूनी स्वामित्व सदैव UJVNL का होगा।

6.2. LROT की अवधि 30 वर्ष की होगी एवं तदोपरान्त पट्टा विलेख (लीज अनुबन्ध) अमान्य होगा, जब तक कि यह आपसी सहमति के आधार पर नवीनीकृत नहीं कर दिया जाता।

6.3. आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में परियोजनाओं के आर0एम0यू0 कार्यों हेतु निर्धारित समयावधि से पूर्व पूर्ण करने / विलम्ब से पूर्ण करने के सापेक्ष विकासकर्ता को प्रोत्साहन / निरूत्साहन (Incentive/Disincentive) दिए जाने की व्यवस्था की जायेगी।

6.4. परफॉरमैन्स पैरामीटर्स बिड प्रपत्र में अंकित किए जायेंगे।

6.5. UJVNL को आर0एम0यू0 कार्यों के दौरान कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु निजी विकासकर्ता के साथ संयुक्त निरीक्षण एवं कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में पट्टा निरस्त किए जाने का अधिकार UJVNL के पास सुरक्षित रहेगा।

6.6. UJVNL को परियोजना संचालन के दौरान प्लान्ट एवं मशीनरी का रख–रखाव सही प्रकार से किए जाने एवं परियोजना का संतोषजनक संचालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निजी विकासकर्ता के साथ आवधिक निरीक्षण (वर्ष में कम से कम एक बार) का अधिकार होगा। किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर निजी विकासकर्ता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर कमी को दूर किया जायेगा।

6.7. पट्टे की अवधि पूर्ण होने से 2 वर्ष पूर्व परियोजना एवं मशीनरी की स्थिति के आंकलन हेतु UJVNL एवं पट्टाधारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जायेगा। यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो निजी विकासकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर इस कमी को दूर किया जायेगा। निजी विकासकर्ता द्वारा विगत 2 वर्षों में उत्पादित कुल विद्युत के समतुल्य धनराशि की बैंक गारन्टी भी उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण की तिथि से पूर्व उपलब्ध करायी जानी होगी।

6.8. UJVNL द्वारा परियोजना में नियुक्त कर्मचारियों को पारस्परिक सहमति की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर रखने/संविलियन का विकल्प निजी विकासकर्ता का होगा।

7. स्वच्छ विकास तंत्र (सी0डी0एम0) के अन्तर्गत लाभ:–

इस नीति के अन्तर्गत चिन्हित परियोजनाएं विद्युत उत्पादन की सबसे सस्ती विधि नहीं होगी परन्तु उनकी पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति के दृष्टिगत राज्य सरकार स्वच्छ विकास तंत्र (सी0डी0एम0) के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगी।

8. नीति के उपबन्धों का संशोधन/शिथिलीकरण/निर्वचन:–

नीति के अधीन उपबन्धों में संशोधन/शिथिलीकरण/निर्वचन का सर्वाधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

9. नीति के लागू होने की तिथि:–

उत्तराखण्ड शासन के सरकारी गजट में नीति लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से यह नीति प्रभावी होगी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्र० सं०–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं०–19 पर)

वर्ष 2007 एवं वर्ष 2008 में अब तक प्राप्त औद्योगिक पूंजी निवेश के प्रस्ताव/इच्छा–पत्र

प्लांट व मशीनरी में रु0 10.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की औद्योगिक इकाईयां वृहत उद्योग की श्रेणी में आती हैं। वृहत उद्योग की स्थापना का आशय/इच्छा रखने वाले उद्यमी द्वारा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय में औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM)/इच्छा पत्र (LOI) दाखिल करने पर उसकी अभिस्वीकृति जारी करने के लिए भारत सरकार अधिकृत है।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत प्लांट व मशीनरी में रु0 25.00 लाख तक पूंजी निवेश की इकाईयां सूक्ष्म विनिर्माणक (Manufacturing) उद्यम, रु0 25.00 लाख से रु0 5.00 करोड़ तक की इकाईयां लघु विनिर्माणक (Manufacturing) उद्यम तथा रु0 5.00 करोड़ से रु0 10.00 करोड़ पूंजी निवेश की इकाईयां मध्यम विनिर्माणक (Manufacturing) उद्यम के रूप में परिभाषित हैं। सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए पूंजी निवेश की यह सीमा क्रमशः रु0 10.00 लाख, रु0 2.00 करोड़ तथा रु0 5.00 करोड़ निर्धारित है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना का आशय/इच्छा रखने वाले उद्यमी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश हेतु उद्यमी ज्ञापन भाग–1 (EM Part-1) फाईल करने पर उसकी अभिस्वीकृति (Acknowledgement) जारी करने के लिए जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अधिकृत हैं।

वर्ष 2007 तथा वर्ष 2008 में अब तक सूक्ष्म, लघु मध्यम तथा वृहत उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त पूंजी निवेश के प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है:–

1. भारत सरकार में दाखिल औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन/इच्छा–पत्र (IEM+LOI)–

(वृहत उद्यम की स्थापना हेतु पूंजी निवेश के प्रस्ताव)

वर्ष	आई0ई0एम0+ एल0ओ0आई0 की संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रु0 करोड़ में)	प्रस्तावित रोजगार
2007	112	2948.00	33228
2008 (माह सितम्बर, 2008 तक)	125	4431.00	24110
कुल योग	237	7379.00	57338

2. प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्रों में दाखिल उद्यमी ज्ञापन भाग–1 (EM Part-1)–

(सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना हेतु पूंजी निवेश के प्रस्ताव)

सं0	जनपद का नाम	वर्ष, 2007 में दाखिल ई.एम0 पार्ट–1			वर्ष, 2008 (अक्टूबर, 2008 तक) में दाखिल ई.एम0 पार्ट–1			कुल पूंजी निवेश के प्रस्ताव		
		संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रु0 करोड़ में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रु0 करोड़ में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रु0 करोड़ में)
1.	नैनीताल	57	1475	53.89	41	482	33.09	98	1957	86.98
2.	ऊधमसिंह नगर	304	7314	587.18	166	3621	211.10	470	10935	798.28
3.	अल्मोड़ा	17	47	1.05	20	230	5.93	37	277	6.98
4.	पिथौरागढ़	24	134	1.73	20	150	3.75	44	284	5.48
5.	बागेश्वर	12	64	1.23	13	132	3.45	25	196	4.68
6.	चम्पावत	17	49	0.59	5	26	0.37	22	75	0.96
7.	देहरादून	206	5410	224.78	83	2000	8.76	289	7410	233.54
8.	पौड़ी	36	724	33.49	14	144	2.63	50	868	36.12
9.	टिहरी	22	157	1.70	10	96	7.15	32	253	8.85
10.	चमोली	18	87	1.89	2	4	0.03	20	91	1.92
11.	उत्तरकाशी	7	97	6.10	10	60	1.51	17	157	7.61
12.	रुद्रप्रयाग	15	64	1.50	15	76	2.11	30	140	3.61
13.	हरिद्वार	524	13655	591.55	219	5739	250.90	743	19394	842.45
	योग–	1259	29277	1506.68	618	12760	530.78	1877	42037	2037.46

जनवरी, 2007 से अक्टूबर, 2008 तक की अवधि में प्राप्त पूंजी निवेश के कुल प्रस्ताव–

मद का विवरण	भारत सरकार+जिला उद्योग केन्द्रों में दाखिल आई0ई0एम0+एल0ओ0आई+ ई0एम0पार्ट–1	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रु0 करोड़ में)	प्रस्तावित रोजगार
वृहत श्रेणी के उद्योगों में पूंजी निवेश के प्रस्ताव	237	7379.00	57338
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों में पूंजी निवेश के प्रस्ताव	1877	2037.46	42037
कुल योग–	2114	9416.46	99375

जनवरी, 2007 के बाद विशेष पैकेज के अन्तर्गत स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों का विवरण

क्र0सं0	औद्योगिक आस्थान का नाम	कुल उद्योग, जिन्होंने जनवरी, 2007 के बाद उत्पादन प्रारम्भ किया	उद्योगों में किया जाने वाला निवेश लगभग (करोड़ रु0 में)
1.	आई0आई0ई0, हरिद्वार	156	3508.22
2.	फार्मा सिटी, सेलाकुई, देहरादून	19	95.79
3.	एल्डिको, सिडकुल, सितारगंज	33	409.00
4.	आई0आई0ई0, पंतनगर	188	3706.48
5.	अन्य क्षेत्र/स्थल	9	1342.47
	कुल योग:-	405	9061.96

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–19 पर)

संख्याः 752/XXIV(6)/2006

प्रेषकः

एस0 राजू,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

कुल सचिव,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

कुल सचिव,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादूनः दिनाँक अगस्त, 2006

विषयः– प्रदेश में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों के लिए मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4228 ए/70–2–99–2(85)/97, दिनाँक 30 अक्टूबर, 1997 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में भूमि की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि के पूर्व में निर्धारित मानक को निम्नांकित विवरणानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है–

विवरण	वर्तमान मानक (वर्ग मी0 में)	संशोधित मानक (वर्ग मी0 में)
अ–पर्वतीय क्षेत्र	5000	5000
ब–नगर निगम क्षेत्र	5000	5000
स–नगर पालिका परिषद् क्षेत्र	10000	7000
द–अन्य क्षेत्र	20000	10000

महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक का 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी। महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु यह आवश्यक है कि भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। संवैधानिक संस्था के अधिकार क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में यदि सम्बन्धित संवैधानिक संस्था द्वारा इससे अधिक भूमि का मानक निर्धारित किया जाता है तो सम्बन्धित संवैधानिक संस्था का मानक ही प्रभावी होगा।

भूमि के मानक के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(एस0 राजू)

सचिव।

संख्या–752/XXIV(6)/2006, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
2. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
3. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)

अनु सचिव।

संख्या: 4228ए/सत्तर–2–99–2(85)/97

प्रेषक:

श्री आर0एन0 त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ, दिनाँक: 30 अक्टूबर, 1999

विषय:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या–1960 सत्तर–2–97–2(85)/97, दिनांक 11–11–1997 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इन मानकों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों और इसके परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग मानक निर्धारित हैं, परिषद् के परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग मानक निर्धारित हैं। परिषद् के परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों यथा–बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0बी0एम0/बी0एस0सी0/बी0एड0/बी0काम0 आदि पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु नये महाविद्यालयों एवं निजी संस्थाओं के लिए भूमि, भवन तथा वित्तीय संसाधन आदि की उपलब्धता के वही मानक रखे गये हैं, जो नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों को प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–4557/15–82(II)–3(30)/80, दिनांक 14–3–84 में विहित है। दिनांक 11–11–1997 के प्रश्नगत शासनादेश में ऐसी संस्थाओं और महाविद्यालयों में उल्लिखित पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनको अनुमन्य किये जाने वाले वेतन की स्थिति भी विहित की गयी है।

2— उपर्युक्त दिनांक 11–11–1997 के इंगित शासनादेश में विहित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनका वेतन निर्धारण, शैक्षिक मामलों में विश्वविद्यालय की भूमिका, शिक्षा का स्तर तथा उपलब्ध भूमि की सीमितता को देखते हुए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त शासन के वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया है:–

(1) संस्था को प्राप्त होने वाली कुल फीस का 75% भाग संस्था द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा तथा यह अनिवार्य नहीं होगा कि शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान ही दिया जाय।

(2) शिक्षकों के चयन में विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा नामित किया जायेगा। परिषद् द्वारा विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जायेगा, जिसमें ऐसे शिक्षक होंगे, जिनको न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव हो अथवा वे कम से कम रीडर हों अथवा सम्बन्धित विषय में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हों।

(3) शैक्षिक मामलों में विश्वविद्यालय की भूमिका सर्वोच्च रहेगी। विश्वविद्यालय का प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन आदि शैक्षणिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रहेगा।

(4) शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए निजी संस्थाओं की अवस्थापना सुविधाओं का समय–समय पर निरीक्षण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी या निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। विश्वविद्यालय अपने नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण करायेंगे।

(5) भूमि के सम्बन्ध में मानक निम्नवत् होगा:–

(अ) पर्वतीय क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(ब) नगर निगम क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(स) नगर पालिका परिषद् क्षेत्र	10000 वर्ग मीटर
(द) अन्य क्षेत्र	20000 वर्ग मीटर

महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक का 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

कृपया दिनांक 11–11–97 का शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

ह0

(आर0एन0 त्रिवेदी)

प्रमुख सचिव।

संख्या–4220ए(1)/सत्तर–2–99, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, महामहिम कुलाधिपति।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. उच्च शिक्षा अनुभाग–1 को उक्त संशोधित मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधनों की कार्यवाही हेतु।
7. उक्त शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
8. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय।

आज्ञा से,

(हेमन्त राव)

विशेष सचिव।

संख्याः 4557 / 15–62(11)–3(30) / 80

प्रेषक:

डा0 एस0एस0 खन्ना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
.... विश्वविद्यालय,

शिक्षा अनुभाग–11 दिनांक लखनऊ : 14 मार्च, 1984

विषयः– नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परामर्श पर शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन ने निम्नलिखित मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है:–

(1) नये महाविद्यालयों की स्थापना–

(क) औचित्य निर्धारण – जिस स्थान पर नवीन महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है, उस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित करने का औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक है कि–

(i) उस क्षेत्र में अन्य विकसित महाविद्यालय कितने हैं?

(ii) प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?

(iii) उस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान विद्यालयों को देखते हुये किसी सीमा तक अपूर्ण रह जाती है तथा

(iv) क्या प्रार्थित स्थान पर महाविद्यालय खुलने पर अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के 300 तक छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?

(ख) प्राभूत–

(i) कला संकाय के स्नातक स्तर के 7 विषयों के साथ नये महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु अपेक्षित प्राभूत की धनराशि 2.50 लाख।

(ii) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 20,000/– अतिरिक्त।

(iii) स्नातक स्तर के अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु रु0 25,000/– अतिरिक्त।

2– (i) विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के 5 विषयों की सम्बद्धता हेतु अपेक्षित प्राभूति की धनराशि रु0 3.00 लाख।

(ii) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 25,000/– अतिरिक्त।

3– स्नातकोत्तर स्तर के कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय के प्रत्येक विषय के लिये रु0 30,000/– प्रयोगात्मक कार्य वाले कला, विज्ञान एवं कृषि संकाय के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय के लिये रु0 50,000/– अतिरिक्त। यदि प्रार्थी महाविद्यालय ऐसा हो जहां प्राभूति की व्यवस्था नये परिनियमों से पूर्व प्रभावी नियमों के अनुसार हुई हो तो ऐसे स्नातकोत्तर समबद्धता के लिए उपर्युक्त दरों से 50 प्रतिशत अधिक दर से प्राभूत निधि की व्यवस्था करनी होगी।

(ग) भूमि– नयी सम्बद्धता के लिये महाविद्यालय के पास निजी भूमि का होना अनिवार्य है। स्नातक महाविद्यालय के लिये भूमि का मानक निम्नवत् होगा:–

(i) महिला महाविद्यालय हेतु– 10,000 वर्ग मीटर

(ii) अन्य महाविद्यालय हेतु– 20,000 वर्ग मीटर

(घ) भूमि– महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है, जो इण्टर कालेज से पृथक होना चाहिये। कला संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों के लिये न्यूनतम 3 व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय–वाचनालय कक्ष, कक्षाध्यापक कक्ष, छात्र कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा व मीटिंग कक्ष होना चाहिये। प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के लिये एक पृथक प्रयोगशाला

होनी चाहिये। वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिये एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष की आवश्यकता होगी। इसका एक उदाहरण शासनादेश के परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

(ङ) पुस्तकालय– स्नातक स्तर के प्रत्येक विषय के लिये पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों के मानक संलग्न परिशिष्ट 'ख' में अंकित हैं।

(च) प्रयोगशाला– स्नातक स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों के मानक संलग्न परिशिष्ट 'ग' में अंकित हैं।

नोट:– पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं हेतु ऊपर (ङ) व (च) में निर्धारित मानकों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम की विशिष्टताओं व आवश्यकताओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त मानक व शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

(छ) अन्य वित्तीय संसाधन– 7 विषयों वाले एक नये महाविद्यालय में प्रथम तीन वर्षों तक संचालित करने के लिए प्रबन्ध तंत्र के पास आवश्यक भौतिक व वित्तीय साधनों की सन्तोषजनक व्यवस्था होनी चाहिये।

(2) स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता हेतु मानक– स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता के लिये वही महाविद्यालय अर्ह होगा, जो निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो:–

(क) महाविद्यालय को समस्त स्नातक स्तर के विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुए पांच वर्ष बीत चुके हों।

(ख) विगत पांच वर्षों का परीक्षाफल अविछिन्न रूप से उच्च कोटि का रहा हो (प्रत्येक विषय में 60 प्रतिशत से अधिक) तथा महाविद्यालय में परीक्षा कार्य संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा हो।

(ग) विकास की दृष्टि से प्रार्थी महाविद्यालय वायबिल (Viable) हो, छात्रों की न्यूनतम संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 400 तथा सहशिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में 700 हो चुकी हो। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं से वार्षिक आवर्तक व्यय न्यूनतम रूप में क्रमशः रु0 15/– तथा रु0 60/– प्रति छात्र की दर से व्यय किया जा रहा हो।

(घ) महाविद्यालय में उच्च शिक्षा शैक्षिक उपलब्धियों वाले शिक्षक नियुक्त किये गये हों, जिनके शोध कार्य का स्तर उत्तम हो और वे प्रार्थित विषय में शोध कार्यक्रमों को संचालित करने में भली भांति सक्षम हों।

(ङ) महाविद्यालय के पुस्तकालय में प्रार्थित विषय से सम्बन्धित उपर्युक्त स्तर के ग्रन्थ तथा कम से कम तीन शोध पत्रिकायें पिछले 10 वर्षों से अंकों वाली उपलब्ध हों तथा महाविद्यालय प्रार्थित विषय में शोध कार्य हेतु प्रति वर्ष न्यूनतम रू0 5,000/– व्यय करने में समर्थ हो।

(च) कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय की दशा में न्यूनतम 25 छात्र और विज्ञान संकाय में न्यूनतम 15 छात्र प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय की कक्षा के लिये उपलब्ध हों,

(छ) प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय के लिये व्याख्यान कक्ष तथा पृथक शिक्षक कक्ष और प्रयोगात्मक विषयों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भवन की व्यवस्था कर ली गई हो, तथा

(ज) पुस्तकालय और प्रयोगशाला के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट ख तथा ग में स्नातकोत्तर स्तर के लिये उल्लिखित न्यूनतम मानक की पूर्ति कर ली गई हो और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति करने में प्रबन्ध तंत्र समर्थ हो।

अतएव नये सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय खोले जाने तथा वर्तमान सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु उपर्युक्त मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवगत करा दिया जाय। ये मानक तत्काल प्रभावी होंगे।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मानकों का विश्वविद्यालय के परिनियमों में समावेश करने हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–XII 173/दस–84, दिनांक 24–1–84 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एस0एस0 खन्ना,

उप सचिव।

संख्या–4567(1)/15–82 (11)–3 (30)/80, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिवालय का शिक्षा (10) अनुभाग–1, कृपया उक्त मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही शीघ्र करें।
3. सचिवालय का शिक्षा (15) अनुभाग–1
4. सचिवालय का वित्त (व्यय नियन्त्रण–11) अनुभाग–1

आज्ञा से,

एस0एस0 खन्ना,
उप सचिव।

शासनादेश सं0 4557/15–82 (11)–3 (30)/80 में संदर्भित

परिशिष्ट 'क'

एक नए डिग्री कालेज के लिए, जहां कला संकाय के सात विषय चलाये जाने हों, भूमि और भवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक।

3 व्याख्यान कक्ष (प्रत्येक कक्ष 900 वर्ग फीट)	=	2,700 वर्ग फीट
1 पुस्तकालय–वाचनालय कक्ष	=	2,000 वर्ग फीट
1 प्राध्यापक कक्ष	=	200 वर्ग फीट
1 छात्रा कक्ष	=	200 वर्ग फीट
प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा व मीटिंग कक्ष और लेखा कक्ष	=	900 वर्ग फीट
बरामदा	=	1,000 वर्ग फीट
	योग =	7,000 वर्ग फीट
भवन हेतु भूमि लगभग	=	700 वर्ग फीट
खुली भूमि व क्रीड़ा स्थल	=	19,300 वर्ग फीट
कुल भूमि लगभग	=	20,000 वर्ग फीट

शासनादेश सं0–4557/15–82 (11)–3 (30)/80, दिनांक 14 मार्च, 1984 में संदर्भित

परिशिष्ट 'ख'

स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में पुस्तकालय हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

	अनावर्तक व्यय (दो वर्षों में)	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1. पुस्तकालय फर्नीचर, कोर्ड स्टेशनरी रख–रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	10,000	500
2. रसायन, भौतिक, प्राणि एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	10,000	1,000
3. सांख्यकी, भूगर्भ गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रति विषय	7,000	1,000
4. कला संकाय के शेष प्रति विषय	5,000	750
5. वाणिज्य कुल	15,000	1,500
6. विधि कुल (500 तक छात्र संख्या)	25,000	1,500
7. कृषि कुल	50,000	5,000
8. शिक्षा प्रशिक्षण	15,000	2,000
9. पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध, पत्रिकाओं हेतु (500 तक छात्र संख्या)	5,000	500

नोटः– यदि छात्र संख्या 500 से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय उसी अनुपात से बढ़ जायेगी।

स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय में पुस्तकालय हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

	अनावर्तक व्यय (दो वर्षों में)	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1. विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	50,000	8,000
2. भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान (प्रत्येक विषय)	30,000	5,000
3. कला संकाय के शेष प्रति विषय	25,000	3,000
4. वाणिज्य विधि प्रत्येक	66,000	5,000
5. शिक्षा प्रशिक्षण	25,000	3,000

शासनादेश सं0–4557/15–82 (11)–3 (30)/80, दिनांक 14 मार्च, 1984 में संदर्भित

परिशिष्ट 'ग'

महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं पर आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

(स्नातक)

क्रम सं0	विषय	प्रथम वर्ष फर्नीचर पर व्यय	दो वर्ष में उपकरण / चार्ट मॉडल पर अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय प्रति वर्ष 40 छात्र स्नातक भाग–1 में	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर रू0
1.	ड्राइंग पेंटिंग	7.000	10.000	750	200
2.	संगीत	1.000	10.000	750	200
3.	भूगोल, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान में प्रति विषय	10.000	15.000	1.000	200
4.	भौतिक, प्राणी एवं वनस्पति प्रति विषय	20.000	50.000	5.000	500
5.	रसायन विज्ञान (गैस व डिस्टिल्ड वाटर सहित)	25.000	70.000	6.000	750
6.	भूगर्भ विज्ञान	20.000	30.000	3.000	200
7.	कृषि एग्रोनामी सांख्यकी कृषि प्रसार, कृषि तकनीकि, कृषि दुग्ध विज्ञान, प्रति विषय	5.000	7.000	500	50
8.	कृषि पादप रोग, कीट विज्ञान जिनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय	10.000	10.000	750	50
9.	म्यूजियम प्रति विषय जहां अनिवार्य है	5.000	5.000	250	—
10.	अन्य प्रति कृषि विषय	5.000	5.000	500	50
11.	शिक्षा प्रशिक्षण (पूरे संकाय हेतु)	10.000	5.000	500	—

		स्नातकोत्तर	आवर्तक प्रति 15 छात्र	प्रति अतिरिक्त छात्र	
1.	रसायन (एक ब्रांच के साथ)	20,000	1,00,000	15,000	2,500
2.	अतिरिक्त ब्रांच एक	5,000	25,000	5,000	—
3.	विज्ञान के शेष तथा कृषि प्रति विषय एक ब्रांच के साथ	20,000	1,00,000	12,000	2,000
4.	अतिरिक्त प्रति ब्रांच (भौतिकी छोड़कर)	5,000	15,000	2,500	—
5.	भौतिकी के अतिरिक्त ब्रांच में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार–				

संख्या: 4557(क)/15-82(11)-3 (30)/80

प्रेषक:

डा0 एस0एस0 खन्ना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग (11) दिनांक लखनऊ : 14 मार्च, 1984

विषय:- सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये महाविद्यालयों की स्थापना करने, स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता प्रदान करने तथा सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में पदों के सृजन के सम्बन्ध में मानकों के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परामर्श पर शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन सम्बन्धी मानकों के सम्बन्ध में उक्त समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय, उक्त महाविद्यालयों के छात्र संख्या के आधार पर निम्नवत् तीन श्रेणियों में विभक्त करते हुए उनमें शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) 'क' श्रेणी के महाविद्यालय-जहां छात्र संख्या 1500 से अधिक है।

(2) 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय-जहां छात्र संख्या 500 से अधिक और 1500 तक है।

(3) 'ग' श्रेणी के महाविद्यालय-जहां छात्र संख्या 500 तक है।

कार्यालय के सामान्य पद

1- तृतीय वर्ग कर्मचारी-

(क) 'ग' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये-

(i) प्रधान लिपिक एवं लेखाकार- एक पद

(ii) रूटीन लिपिक- 200 तक छात्र संख्या होने पर एक पद और उससे अधिक होने पर दो पद।

(ख) 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये–

(i) प्रधान लिपिक– एक पद

(ii) लेखाकार– एक पद

(iii) आशुलिपिक– एक पद

(iv) रूटीन लिपिक प्रति 200 छात्र सं0 पर एक पद देय होगा। रूटीन लिपिक के कुल देय पदों में से 20 प्रतिशत पद वरिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान में होंगे।

(ग) 'क' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये:

इस श्रेणी के महाविद्यालयों में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय के मानक के समान होगी, किन्तु यदि महाविद्यालय चाहे तो प्रधान लिपिक के पद के स्थान पर निर्धारित वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक का पद रख सकता है। यदि महाविद्यालय के छात्र सं0 2500 से अधिक हो तो निर्धारित वेतनमान में बर्सर का एक नया पद महाविद्यालय में मान्य होगा।

चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी:

(i) यदि छात्र संख्या 100 से कम हो तो पांच पद।

(ii) छात्र संख्या सौ (100) से अधिक होने पर एक दफ्तरी का पद भी देय होगा।

(iii) 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद मान्य होगा।

(iv) 400 से अधिक, प्रत्येक 200 की छात्र संख्या की वृद्धि पर एक सामान्य चतुर्थ वर्गीय पद देय होगा, परन्तु छात्र संख्या 800 होने पर कुल अनुमन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में से दो पद स्वीपर के रखना आवश्यक होगा।

पुस्तकालय से सम्बन्धित पद

1. पुस्तकालयाध्यक्ष–

प्रत्येक महाविद्यालय में एक पद।

2. उप पुस्तकालयाध्यक्ष–

(क) ऐसे महाविद्यालय, जहां छात्र संख्या 1000 से अधिक है। एक पद देय होगा।

(ख) ऐसे महाविद्यालय, जहां छात्र संख्या 3500 से अधिक हो और कम से कम तीन विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था हो, एक अतिरिक्त पद देय होगा।

3. कैटलागर–

यह पद केवल उन महाविद्यालयों में निम्नांकित मानकों के आधार पर देय होगा, जिन महाविद्यालयों में कम से कम तीन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन होता है।

(क) 1000 से अधिक छात्र संख्या पर–एक पद।

(ख) 4500 से अधिक छात्र संख्या पर–एक और पद।

4. पुस्तकालय लिपिक–

रूटीन लिपिक के वेतनमान में–

(क) 300 से अधिक छात्र संख्या पर एक पद।

(ख) 300 की छात्र संख्या के ऊपर प्रत्येक 500 छात्रों की संख्या के पश्चात एक अतिरिक्त पद। परन्तु जहाँ बुक बैंक है, वहां यह पद प्रत्येक 400 छात्रों की संख्या पर देय होगा।

(ग) जहाँ अध्यापकों के अतिरिक्त 20 या अधिक नियमित शोध छात्र पंजीकृत हों– एक अतिरिक्त पद।

5. बुक बाइन्डर–

चतुर्थ श्रेणी के वरिष्ठ वेतनमान में एक हजार से अधिक छात्र संख्या होने पर केवल एक पद।

प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित पद

1. प्रयोगशाला सहायक–

रूटीन लिपिक के वेतनमान में–

(क) भौतिक शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा गृह विज्ञान की कक्षाओं में उस विषय की स्नातक स्तर की छात्र संख्या 120 होने पर स्टोर कीपर कम प्रयोगशाला सहायक–एक पद, परन्तु 300 से अधिक छात्र होने पर प्रयोगशाला सहायक का एक अतिरिक्त पद देय होगा।

(ख) (i) रसायन विज्ञान–200 तक की छात्र संख्या पर एक पद।

(ii) 201 से 400 तक की छात्र संख्या पर दूसरा पद तथा 400 से अधिक छात्र संख्या पर तीसरा पद।

(ग) अन्य प्रयोगात्मक स्नातक विषयों (कृषि, संगीत तथा ड्राइंग व पेंटिंग को छोड़कर) में स्टोर कीपर–कम प्रयोगशाला सहायक का एक पद, यदि कुल स्नातक छात्र संख्या 150 से अधिक हो, बी0एस0सी0 में केवल कृषि रसायन तथा जिनेटिक्स तथा दुग्ध शास्त्र प्रयोगशालाओं में एक–एक पद (इस प्रकार कुल तीन पद)।

(घ) बी0एस0सी0 (कृषि) में केवल निम्नलिखित–9 प्रयोगशालायें पद सृजन एवं वेतन संदाय हेतु मान्य होंगी।

(1) कृषि रसायन, सोइल कैमिस्ट्री एवं बायोकैमिस्ट्री

(2) कृषि वनस्पति, जिनैटिक्स एवं पादपरोग।

(3) पशुपालन, दुग्धशास्त्र एवं दुग्ध रसायन।

(4) हार्टीकल्चर और फूड प्रीजर्वेशन।

(5) कृषि प्राणि विज्ञान एवं कीट विज्ञान।

(6) एग्रोनामी।

(7) कृषि प्रसार।

(8) कृषि तकनीकि एवं सोइल कंजर्वेशन।

(9) कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं गणित।

प्रयोगशाला सहायक पद ऊपर वर्णित–क्रम (1) (2) और (3) की प्रयोगशालाओं में ही मान्य होंगे और इस प्रकार कुल तीन पद अनुमन्य होंगे।

(ड) कृषि संकाय, में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विषय में प्रत्येक के लिये एक अतिरिक्त पद।

(च) रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाओं में 40 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद।

(छ) ऐसी प्रत्येक स्नातकोत्तर प्रयोगशाला में, जहां नियमित पंजीकृत शोध छात्र छः या अधिक होंगे, वहां प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर का एक–एक पद शोध प्रयोगशाला हेतु पृथक से देय होगा।

2. प्रयोगशाला परिचर–

निर्धारित वेतनमान–

(क) प्रत्येक स्नातक प्रयोगात्मक विषय में आरम्भ में एक पद।

(ख) दूसरा पद यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो।

(ग) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गृह विज्ञान एवं कृषि के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय में एक पद, परन्तु रसायन विज्ञान में यदि स्नातकोत्तर स्तर पर एक से अधिक ब्रांच है तो एक अतिरिक्त पद।

3. (i) रसायन शास्त्र में एक पद गैसमैन।

(ii) वनस्पति विज्ञान में एक पद माली।

(iii) भौतिक विज्ञान हेतु एक पद मैकेनिक–कम–इलैक्ट्रिशियन।

(iv) तथा प्राणि विज्ञान में एक पद ऐनीमल कीपर का अनुमन्य होगा।

यदि महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षायें हैं और शोध कार्य होता है तथा वर्कशाप उपलब्ध है तो आवश्यकतानुसार एक पद मैकेनिक, एक पद कारपेन्टर तथा एक पद ग्लासब्लोअर का अनुमन्य किया जा सकता है। जिन महाविद्यालयों में विज्ञान कक्षायें न हों और छात्र संख्या 2000 से अधिक हो, वहां भी महाविद्यालय के भवन व आवश्यकताओं को देखते हुये इलेक्ट्रिशियन तथा कारपेन्टर का एक–एक पद अनुमन्य होगा।

4. संगीत विषय में तबला संगतकार का एक पद देय होगा।

नोट–(1) प्रत्येक महाविद्यालय में रु0 354/– 500/– वेतनमान के प्रयोगशाला सहायकों में से 20 प्रतिशत से अधिक सहायकों को 400/– 615/– का वेतनमान देय होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह कर्मचारी कम से कम 5 वर्ष की सेवा उस महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के रूप में कर चुका हो। इन मानकों के फलस्वरूप जो कर्मचारी फालतू घोषित होंगे, उन्हें या तो अन्यत्र समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा अथवा सेवा पृथक किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त मानक वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–(1)/173/दस–84, दिनांक 24 जनवरी, 1984 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(3) मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त मानकों को सम्बन्धित महाविद्यालय में परिचालित करने की शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे। मानकों के अनुसार नये पदों का सृजन वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

एस0एस0 खन्ना,
उप सचिव।

संख्या–4557(क)(1)/15–82 (11)–3 (30)/80, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुल सचिव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा प्रदेशीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव।
2. सचिवालय का शिक्षा (10) व (15) अनुभाग–I
3. सचिवालय का वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–II

आज्ञा से,

एस0एस0 खन्ना,
उप सचिव।

क्रम संख्या–002 नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0–9 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–20 पर)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 03 जनवरी, 2001 ई0

पौष 13, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग

संख्या–44 / पी0एस0 / मु0मंत्री / 2000,
देहरादून, 03 जनवरी, 2001

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 238 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अनुदान सम्बन्धी निम्न नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह नियमावली, उत्तरांचल मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

विवेकाधीन कोष

2–राज्य विधान मण्डल की स्वीकृति से मुख्य मंत्री, उत्तरांचल के विवेकाधीन कोष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष समुचित धनराशि रखी जायेगी, जो मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी।

स्पष्टीकरणः— इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए मुख्य मंत्री के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति, अथवा राष्ट्रपति की ओर से उनकी शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी भी हैं।

3—इस धनराशि से अनुदान निम्न शर्तों के अधीन दिया जायेगाः— अनुदान की शर्तें

(1) अनुदान ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दिया जायेगा, जो राजकीय कोष से सहायता के पात्र हों।

(2) अनुदान अनावर्तक होगा, इसका यह उद्देश्य नहीं होगा कि किसी निजी प्रकृति का व्यय विवेकाधीन कोष से वहन किया जाय।

(3) यह अनुदान मुख्य मंत्री के विवेकानुसार निम्नलिखित को उनके सम्मुख अंकित सीमा तक दिया जा सकता है:—

(क) असहाय, विकलांग, दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों अथवा निराश्रित विधवाओं या बालकों को,	रु0 5,000.00 से अनधिक
(ख) सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में रत संस्थाओं (धार्मिक उद्देश्यों या जाति गत आधार पर बने संगठनों को छोड़कर) को,	रु0 5,000.00 से अनधिक
(ग) बीमारी से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को,	रु0 5,000.00 से अनधिक
(घ) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु,	रु0 1,00,000.00 से अनधिक
(ङ) जघन्य हत्याओं/अपराधों दुर्घटनाओं में निर्धन परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर पीड़ित परिवार को,	रु0 20,000.00 से अनधिक

(च) अति विशिष्ट परिस्थितियों में, भीषण अग्निकाण्ड, भूस्खलन, हिमपात अथवा अन्य दैवी आपदा पीड़ित व्यक्तियों अथवा परिवारों को,	सामान्य मानकों से आंकलित हानि की आधी धनराशि अथवा रु0 35,000.00 जो भी कम हो।

(4) इस नियमावली में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी यदि किसी विशिष्ट प्रकरण में मुख्य मंत्री को अपने विवेकानुसार नियमावली में निर्धारित दरों से अधिक अनुदान स्वीकार करने का औचित्य प्रतीत हो तो वे उससे अधिक अनुदान स्वीकृत कर सकते हैं।

(5) विवेकाधीन कोष का आडिट महालेखाकार, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा तथा उन्हें अनुदान स्वीकृति के आदेश की प्रति भेजी जायेगी।

(6) (क) जहां अनुदान की धनराशि रु0 5,000.00 से अधिक होगी, वहां मुख्य मंत्री अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्बन्धित अनुदान गृहिता के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं।

(ख) जहां रु0 5,000.00 से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया जाय, वहां स्वीकृत धनराशि के उपयोग से जो कार्य किये गये हों, उनका सत्यापन जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। सत्यापन सम्बन्धी अभिलेख जिलाधिकारी द्वारा आडिट के समय आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे। परन्तु नियम–33 के उप नियम–(3) के खण्ड (ड) एवं (च) के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना पर्याप्त होगा कि अनुदान की धनराशि पात्र व्यक्तियों को मिल गयी है।

(7) अनुदान गृहिता से इस आशय का प्रमाण–पत्र लिया जायेगा कि उसने राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री के विवेकानुदान से सहायता हेतु अनुदान नहीं दिया है अथवा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ऐसी सहायता प्राप्त नहीं की है। उक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का वितरण किया जायेगा।

(8) अनुदान का उपयोग अनुदान गृहिता द्वारा निर्धारित अवधि में कर लिया जायेगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अनुदान की कुल धनराशि अथवा उपयोग न की गयी धनराशि राज्य सरकार को एक मुश्त अनुदान गृहिता द्वारा वापस की जायेगी।

(9) जिस वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत किया गया है, उसके अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक जिलाधिकारी द्वारा शासन को अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि अनुदान की शर्तों और उद्देश्य को पूरा कर लिया गया है।

(10) विवेकाधीन कोष से स्वीकृति के आदेश मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे और उनका लेखा–जोखा मुख्य मंत्री कार्यालय के लेखा कक्ष में रखा जायेगा।

(11) जहां अनुदान की राशि रु0 5,00.00 से अधिक होगी, अनुदान गृहिता से नियमानुसार स्टाम्प लगी हुई अनुदान प्राप्ति रसीद भी ली जायेगी।

आज्ञा से,

सचिव, मुख्यमंत्री।

क्रम संख्या–004

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 18 जनवरी, 2001 ई०

पौष 28, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग

संख्या 1070/मुख्यमंत्री/2001,

देहरादून, 18 जनवरी, 2001

शुद्धि–पत्र

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग के अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या–44/पी०एस०/मुख्यमंत्री/2000, दिनांक 03 जनवरी, 2001 में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त अधिसूचना के प्रथम पंक्ति में अनुच्छेद–238 के स्थान पर अनुच्छेद–283 तथा नियम–3(6) ख के पंक्ति–3 में नियम–33 के स्थान पर नियम–3 पढ़ा जाये।

उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

सुभाष कुमार,

सचिव।

उत्तरांचल शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3

संख्या-415/XXXV(3)-01 वि0को0/2005,
देहरादून, 01 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष (संशोधन) नियमावली, 2005

1- (1) यह नियमावली, उत्तरांचल मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष (संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 के नियम-3 के उप नियम-(3) के खण्ड (घ) के सामने नीचे स्तम्भ 1 में उल्लिखित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
3(घ) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु	रु0 1,00,000/- से अनधिक	3(घ) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को अवस्थापना सुविधाओं हेतु	रु0 1,00,000/- या अनुमानित आंकलन का 80 प्रतिशत, जो भी कम हो, एक वर्ष में एक बार से अनधिक

3-उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 के नियम-3 के उप नियम (3) के खण्ड (च) के पश्चात, निम्न खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात:-

(छ) निर्धन (बी0पी0एल0 से आच्छादित), प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा हेतु वर्ष में एक बार। रु0 15,000/- से अनधिक

(ज)	निर्धन (बी0पी0एल0 से आच्छादित), प्रतिभावान शोध छात्रों को शोध पत्र टंकण/प्रस्तुतीकरण हेतु वर्ष में एक बार।	रु0 15,000/- से अनधिक
(झ)	निर्धन (बी0पी0एल0 से आच्छादित), प्रतिभावान छात्रों को शोध, शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सम्मेलनों में विदेश जाने हेतु (विदेश यात्रा हेतु सहायता इस प्रतिबंध के साथ दी जायेगी कि विदेश से निमंत्रण आने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य की अनुमति प्राप्त कर ली जाय)	रु0 40,000/- या विदेश यात्रा व्यय का आधा, जो भी कम हो अनधिक
(ञ)	बी0पी0एल0 से आच्छादित परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता इस प्रतिबंध के साथ कि उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई सहायता न दी गई हो	रु0 20,000/- प्रत्येक पुत्री हेतु एक बार से अनधिक।

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
एवं
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री,

संख्या-415(1)/XXXV(3)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/सचिव, महामहिम राज्यपाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, विधायी, उत्तरांचल शासन।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद हरिद्वार को उपरोक्त की प्रति इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को उत्तरांचल राज्य के असाधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर 100 प्रकाशित प्रतियां मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह),
अपर सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3
अधिसूचना
31 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या–1069/पैंतीस (3)/2007–चूंकि, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के अधीन उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन अथवा संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक या समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में लागू है;

अतः अब, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 52, वर्ष, 2006) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007

1–संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2–''उत्तरांचल'' के स्थान पर ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जाना–

उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 में जहां–जहां शब्द ''उत्तरांचल'' आया है, वहां–वहां वह शब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–21 पर)

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन देहरादून स्थित आवासों में अनधिकृत अध्यासियों के सम्बन्ध में विगत दो वर्षों में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

कालोनी का नाम	आवास संख्या	श्रेणी	अनधिकृत अध्यासन की तिथि/वर्ष	कृत कार्यवाही की स्थिति
2	3		4	5
रेसकोर्स				
1–	बी–4	श्रेणी–4	01.10.08	दि. 19.11.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई है।
2–	3	श्रेणी–4	2003	दि. 14.09.07 को आवास रिक्त करा दिया गया।
3–	11	श्रेणी–4	अप्रैल, 07	दि. 11.09.07 को आवास रिक्त करा दिया गया।
4–	बी–13	श्रेणी–4	01.05.08	दि. 01.11.08 को आवास रिक्त करा दिया गया है।
5–	12	श्रेणी–4	01.07.08	दि. 10.11.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई
6–	बी–9	श्रेणी–4	01.07.04	मृतक आश्रित का प्रकरण है। दि. 23.10.08 को आवास रिक्त कर दिया गया है।
7–	28	श्रेणी–2	01.03.07	दि. 27.08.07 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई। दि. 01.12.07 को आवास रिक्त कर दिया गया।
8–	69	श्रेणी–2	20.05.07	दि. 27.08.07 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई। दि. 05.10.07 को आवास रिक्त कर दिया गया है।
9–	43	श्रेणी–2	01.07.07	दि. 27.08.07 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई। दि. 20.01.08 को आवास रिक्त करा दिया गया।
10–	डी–28	श्रेणी–2	28.05.08	दि. 16.09.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
11–	55	श्रेणी–2	01.07.08	दि. 20.10.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
12–	01	श्रेणी–2	01.03.08	दि. 16.09.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
13–	डी–18	श्रेणी–2	01.10.08	दि. 24.11.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
14–	डी–36	श्रेणी–2	01.11.08	दि. 24.11.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
15–	15	श्रेणी–2	01.11.08	दि. 24.11.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
16–	05	श्रेणी–2	07.08.02	प्रकरण जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्य व्यवस्थाधिकारी द्वारा वाद की प्रगति के सम्बन्ध में बराबर अनुश्रवण किया जा रहा है।
17–	ए–12	श्रेणी–1	06.07.07	दि. 27.08.07 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई। दि. 26.06.08 को आवास रिक्त कराया गया।

2	3		4	5
18—	ई—20	श्रेणी—1	01.10.08	दि. 24.11.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
19—	एफ—3	श्रेणी—1	01.10.08	दि. 20.10.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
20—	ए—12	श्रेणी—1	23.08.08	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा अनधिकृत अध्यासन कर दिये जाने के फलस्वरूप दि. 21.09.08 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई।
21—	ए—15	श्रेणी—1	01.11.06	दि. 27.08.07 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई। दि. 30.05.08 को आवास रिक्त कर दिया गया है।
22—	ई—4	श्रेणी—1	06.07.06	दि. 08.08.06 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई। पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर किया गया है। मुख्य व्यवस्थाधिकारी द्वारा वाद की प्रगति के सम्बन्ध में बराबर अनुश्रवण किया जा रहा है।
23—	एफ—10	श्रेणी—1	01.04.04	सत्र न्यायालय में वाद दायर किया गया है। मुख्य व्यवस्था—धिकारी द्वारा वाद की प्रगति के सम्बन्ध में बराबर अनुश्रवण किया जा रहा है।
24—	एफ—18	श्रेणी—1		दि. 02.12.07 को आवास रिक्त करा दिया गया है।
यमुना कालोनी				
1—	05	श्रेणी—6	मार्च, 2007	दि. 13 मार्च, 07 एवं 07 मई, 07 तथा 05 फरवरी, 08 को आवास रिक्त करने हेतु पत्र भेजे गये हैं।
2—	टी.एल—12	श्रेणी—4	29.06.07	दि. 27.08.07 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस दी गई। दि. 01.01.08 को आवास रिक्त कराया गया।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्र0 सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ–27 पर)

1–वनभूमि के कारण बाधित–

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ न होने का कारण
1		2	3	4	5
1	प्रा0ख0 पौड़ी	गोदियू पानी से दोगटखाल स्कूल होते हुए सम्पर्क मार्ग	10.00	139.00	नोडल अधिकारी के पत्रांक–320/1जी0–2193 पौड़ी, दि0 22.07.08 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।
2	प्रा0ख0 पौड़ी	अदवाणी–नाहसैण के स्थान पर दुबट्टा पुसगली लिंक मार्ग	2.00	27.80	नोडल अधिकारी के पत्रांक–326/1जी0–2195 पौड़ी, दि0 22.07.08 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।
3	प्रा0ख0 पौड़ी	बिरगणीखाल से कोटा–किलसू–भूतनिसी मो0 मार्ग निर्माण	7.00	97.30	वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक–8बी/यूसीपी0/06/44/2008/एफ0सी0/1083, दि0 13.08.08 द्वारा प्राप्त। विधिवत स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
4	नि0ख0 पौड़ी	स्योली–बमोर्ध–टीला मो0 मार्ग	2.00	8.60	मार्ग में अधिक वृक्ष आने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव निरस्त।
5	नि0ख0 पौड़ी	साकरसैण–बस्सीला–बगड़ मो0 मार्ग का निर्माण	5.00	103.50	संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
6	नि0ख0 पौड़ी	स्योली–टीला मो0 मार्ग	2.00	27.80	वनभूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित। कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
7	नि0ख0 पौड़ी	पटोटी–मथोली मो0 मार्ग	3.00	41.70	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित।
8	नि0ख0 पौड़ी	पैठाणी–धुराणी मो0 मार्ग	2.00	27.80	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित।
9	नि0ख0 पौड़ी	चौबटटाखाल–लटिबो होते हुये नाई तक मो0 मार्ग	5.00	69.50	प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।

1		2	3	4	5
10	नि0ख0 पौड़ी	स्योलीडाट पुल से मल्ली स्योली–डरेव किमोली–गैंसवाड़ा–नौला–मोल्खाल मो0 मार्ग	5.00	69.50	प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर लम्बित।
11	नि0ख0 पौड़ी	पावौ–पांग–गडीगांव–जबरोली–चिनानी मो0 मार्ग के द्वितीय चरण का कार्य	19.00	245.05	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित।
12	नि0ख0 श्रीनगर	पितुण्डी–मरगांव–बौरीखाल मो0 मार्ग	4.00	69.00	प्रस्ताव हस्ताक्षर हेतु तहसीलदार को प्रेषित।
13	नि0ख0 श्रीनगर	गैरसैण–खण्डखित मो0 मार्ग	2.00	34.50	प्रस्ताव हस्ताक्षर हेतु तहसीलदार को प्रेषित।
14	नि0ख0 श्रीनगर	सेरीबंगला–मख्रौगांव मो0 मार्ग	4.00	55.60	प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
15	प्रा0ख0 लैन्सडौन	टकोलीखाल–छानीखाल मो0 मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	इस मार्ग के 1.50 किमी0 में सिविल वन एवं 1.00 किमी0 में आरक्षित वन पड़ती है। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
16	प्रा0ख0 लैन्सडौन	धांघलीबैण्ड–सन्दणा मो0 मार्ग का निर्माण	9.00	86.40	इस मार्ग के किमी0 4 से 12 का संयुक्त निरीक्षण दि0 13.11.07 को किया गया परन्तु मार्ग के अन्तर्गत ग्राम बिदूर गांव में विवाद के कारण वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित नहीं हो सका। सरेंखण में आंशिक संशोधन किया गया है। पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु लिखा जा रहा है।
17	प्रा0ख0 लैन्सडौन	सिलोगी–धनराली मो0 मार्ग का निर्माण	1.00	13.80	विधिवत स्वीकृति प्राप्त। वृक्षों के कटान सम्बन्धी वन विकास निगम की कार्यवाही प्रगति पर है।
18	प्रा0ख0 लैन्सडौन	ध्वीडखाल–नैरूल मार्ग	2.00	70.00	वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
19	प्रा0ख0 लैन्सडौन	लैन्सडौन–फतेहपुर मो0 मार्ग	11.50	156.00	आरक्षित वनभूमि पड़ती है। संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
20	प्रा0ख0 लैन्सडौन	जयहरीखाल से सिगवाणा मो0 मार्ग	3.00	41.70	वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

1		2	3	4	5
21	प्रा0ख0 लैन्सडौन	टकोलीखाल–धानीखाल मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण	3.00	105.00	आरक्षित वनभूमि पड़ती है। संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
22	प्रा0ख0 लैन्सडौन	कोटलीसैण के समीप धैयागड़ी–रजबो मल्ला–डियोगढ मो0 मार्ग	15.00	258.75	वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
23	प्रा0ख0 लैन्सडौन	मलाराछोटा सम्पर्क मार्ग	5.00	69.44	वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
24	प्रा0ख0 लैन्सडौन	टी0एच0बी0 बंगला लैन्सडौन से 2/5 कालागढ़ी बाजार तक मार्ग सुधार एवं पुलिया निर्माण	0.45	18.00	छावनी परिषद् लैन्सडौन के वृक्षों का पातन होना है।
25	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा के अन्तर्गत चमस्यूल–पहली मोटर मार्ग एवं सेतु निर्माण कार्य	5.00+1 सेतु	98.00	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन पर्यावरण कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।
26	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नीलकण्ठ मंदिर मार्ग स्थित जिला पंचायत पार्किंग स्थल से पार्वती मंदिर–नीलकण्ठ महादेव मंदिर–मराल गांव होते हुये बी0एल0बी0 मार्ग का निर्माण।	12.00	166.80	वनभूमि प्रस्ताव गठित कर, जिलाधिकारी पौड़ी, गढ़वाल को प्रेषित कर दिये गये हैं।
27	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में फूलचट्टी से कोटा मोटर मार्ग का निर्माण	9.00	219.40	वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
28	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा–लक्ष्मण झूला वी बैराज के कि0मी0–56 से राजसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	97.30	वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
29	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बसाडा–डूंगा इ0मा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	3.00	60.75	वनभूमि हस्तान्तरण प्रपत्र पर पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में सैद्धान्तिक स्वीकृति अपेक्षित। एन0पी0वी0 जमा कर दी गई है।

1		2	3	4	5
30	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बराड़ा–बूंगा मल्ला मोटर मार्ग।	4.00	55.60	वनभूमि हस्तान्तरण प्रपत्र पर भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति अपेक्षित एन0पी0वी0 जमा कर दी गई है।
31	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बराड़ा–बूंगा देवियोखाल मोटर मार्ग।	5.00	284.80	भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र पर वन विभाग स्तर पर कार्यवाही हेतु अपेक्षित।
32	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में दियोड़–धामधार मोटर मार्ग	10.00	172.80	टाईगर रिजर्व की आरक्षित वन भूमि पड़ने के कारण वन विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र लो0नि0वि0, कार्यालय को वापस किये गये हैं। टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है, और अन्यत्र वैकल्पिक संरेखण उपलब्धता पर गांव वालों से वार्ता चल रही है।
33	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में खुई मोटर मार्ग निर्माण।	3.00	41.70	टाईगर रिजर्व की आरक्षित वन भूमि पड़ने के कारण वन विभाग कार्यालय, रामनगर द्वारा आपत्तियों में लो0नि0वि0, कार्यालय को वापस। पुनः प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है, आंशिक संरेखण में बदलाव किया गया।
34	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में रथुवाढाब–चबोलिया मोटर मार्ग।	2.500	55.80	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार से विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। एन0पी0वी0 जमा कर दी गई है।
35	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बर्ई–सिम्मलखेत मोटर मार्ग।	2.00	83.40	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार से विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। एन0पी0वी0 जमा कर दी गई है।
36	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में चपड़ेत–कन्दलाई अमडण्डा मोटर मार्ग निर्माण।	8.00	138.00	टाईगर रिजर्व की आरक्षित वन भूमि पड़ने के कारण वन विभाग द्वारा आपत्तियों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लौटाया गया। पुनः संरेखण नाप भूमि में परिवर्तन कर दिया गया है। आगणन बनाने की कार्यवाही की जा रही है।
37	नि0खं0 दुगड्डा	मदालीखाल से मूल्दा मोटर मार्ग	5.00	69.50	वन भूमि प्रस्ताव प्रेषित, स्वीकृति के बाद कार्य शुरू कराया जायेगा।
38	नि0खं0 दुगड्डा	पौड़ी में हनुमंती से चण्डा एवं माण्डई तक मार्ग का निर्माण।	10.00	139.00	वन भूमि प्रस्ताव प्रेषित, स्वीकृति उपरान्त कार्य शुरू कराया जायेगा।
39	नि0खं0 दुगड्डा	घराट (कोटद्वार) मुंडला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10.00	139.00	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण (रिजर्व वन भूमि, हाथी कारीडोर) वन भूमि के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

1		2	3	4	5
40	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चरेख-धरगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	86.25	सर्वे पूर्ण, भूवैज्ञानिक निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं। बीच में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5 किमी0 में विवाद दूर होने पर ही आगे का निर्माण उचित होगा।
41	नि0खं0 दुगड्डा	कण्वाश्रम–सिमल्ना–चौखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	20.00	345.00	पूर्व सर्वे पर भू वैज्ञानिक असहमत नया सर्वे किया जा रहा है। रिजर्व फोरेस्ट वन भूमि हस्तान्तरण उपरान्त ही कार्य सम्भव।
42	नि0खं0 दुगड्डा	कोटद्वार–कालागढ़–रामनगर मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण।	88.00	37532.00	वन भूमि में सर्वे आदि हेतु मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रेषित हेतु भेजा जा चुका है।
43	नि0खं0 दुगड्डा	किरसाल–तिमल्याणी–गुमुखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	19.20	वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।
44	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी में गुमखाल–मोड़नी रावत मोटर मार्ग का विस्तार।	2.00	34.50	वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।
45	नि0खं0 दुगड्डा	यमकेश्वर ब्लाक के अन्तर्गत काण्डी–लक्ष्मणझूला मोटर मार्ग से मांगथा बूंगा मोटर मार्ग का निर्माण।	1.00	17.25	वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त पेड़ों का छपान पूर्ण, अब काम शुरू किया जायेगा।
46	नि0खं0 दुगड्डा	यमकेश्वर ब्लाक के अन्तर्गत दिल्यार खाल–खरदूणी मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	34.50	वनभूमि की विधित स्वीकृति प्राप्त। पेड़ों का छपान पूर्ण, अब कार्य शुरू कराया जायेगा।
47	नि0खं0 दुगड्डा	पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गातखाल–बांसी मोटर मार्ग का निर्माण।	1.00	13.90	वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।
48	नि0खं0 दुगड्डा	दौटियाल–बूंगाखाल–सिसल्डी मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	64.75	वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त विधिवत् अपेक्षित, इसके बाद ही काम हो सकेगा।
49	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी में पाली मयांसू मोटर मार्ग।	3.00	41.70	वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त विधिवत् अपेक्षित, इसके बाद ही काम हो सकेगा।

1		2	3	4	5
50	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी के अन्तर्गत बल्ली–कांडई–मीसला–ग्याणा मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	88.25	वनभूमि प्रस्ताव आपत्तियाँ में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
51	नि0ख0 दुगड्डा	दौटियाल–पीपलचौड़ मोटर मार्ग का पक्कीकरण।	2.50	25.50	वनभूमि प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित।
52	नि0ख0 दुगड्डा	कौडिया–किमसार मोटर मार्ग के किमी0 14 से खेराणा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	97.30	वनभूमि प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन को प्रेषित।
53	नि0ख0 दुगड्डा	दौटियाल–पीपलचौड़ मो0 मार्ग का पक्कीकरण	2.50	25.50	वनभूमि प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित।
54	नि0ख0 दुगड्डा	कथौल–काटल–नैल मोटर मार्ग।	0.60	8.50	वनभूमि प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।
55	नि0ख0 दुगड्डा	मागथा से बूंगा–बैरागढ़ मोटर मार्ग का विस्तार।	0.50	8.62	वनभूमि प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।
56	नि0ख0 दुगड्डा	टीलबार से मोहरा गांव कथेल थल्दा मथांसू–देवलखाल पालीबैण्ड मोटर मार्ग।	7.00	120.75	संरेखण विवाद निपटा, वन भूमि हेतु संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यवाही की रही है।
57	नि0ख0 दुगड्डा	व्यासूर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	5.00	89.50	हाथी कारीडोर है। वन विभाग द्वारा संरेखण बदलने को लिखा गया है।
58	नि0ख0 बैजरो	जनपद पौड़ी गढ़वाल में धुमाकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दियोलीखाल से खाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	139.06	दिनांक 18.09.08 में राज्य सलाहकार समूह की बैठक में मार्ग में वन भूमि 12 मी0 चौड़ाई के स्थान पर 9 मी0 में ली जानी है। कार्यवाही की जा रही है।
59	नि0ख0 बैजरो	जनपद पौड़ी में थलीसैंण–पुरोटी–फरस्यूड़ी–बांघणखेत मोटर मार्ग मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा।	12.00	127.40	दिनांक 18.09.08 में राज्य सलाहकार समूह की बैठक में मार्ग में वन भूमि 12 मी0 चौड़ाई के स्थान पर 9 मी0 में ली जानी है। कार्यवाही की जा रही है।

1		2	3	4	5
60	नि0ख0 बैजरों	जोगीमढ़ी—सराईखेत (कटपतिया होते हुये) मोटर मार्ग।	13.00	225.25	मार्ग का संयुक्त निरीक्षण गढ़वाल/कुमायूं मण्डल के वन विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है।
61	नि0ख0 बैजरों	डोलियाखाल—अदवाड़ा—जोगीढ़ा—शीला—चनाड़ा मोटर मार्ग।	10.00	172.50	वनभूमि प्रस्ताव वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी को दिनांक 10.11.08 को प्रेषित।
62	नि0ख0 बैजरों	काण्डा मल्ला से कांडुली बड़ी—सिमलीखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	103.50	वनभूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी, देहरादून को दिनांक 18.09.2008 को प्रेषित।
63	नि0ख0 बैजरों	रियोली—बन्दरकोट—मरखोला—वाणा—बाखली—कोटी—सिमलाखोली—शकलिया—नौलापुर—केदार गली होते हुये बीरोखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	172.50	वनरहित भाग में पहाड़ कटान प्रगति में है। मार्ग के किमी0 9 में वनभूमि पड़ने के कारण उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
64	नि0ख0 बैजरों	पौड़ी में थलीसैण के अन्तर्गत गढ़सारी—कल्याणी मोटर मार्ग।	5.00	86.25	वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित।
65	नि0ख0 बैजरों	पौड़ी गढ़वाल में जहाऊखाद से मलेठा बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	13.00	284.05	वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर लम्बित, स्वीकृति अपेक्षित।
66	नि0ख0 बैजरों	उफरैंखाल—कल्यानखाल—बरोला रैपाट मोटर मार्ग।	3.00	—	मार्ग में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण हो गया है। प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
67	नि0ख0 बैजरों	जनपद पौड़ी गढ़वाल में टाण्ड्यू बैण्ड से टाण्ड्यू ग्राम तक मोटर मार्ग।	2.50	87.50	वनभूमि प्रस्ताव वन संरक्षक, पौड़ी गढ़वाल को दिनांक 6.11.08 को प्रेषित।
68	नि0ख0 बैजरों	काण्डा मल्ला—कांडुली बड़ी—सिमलीखाल मोटर मार्ग से प्राथमि0 जनता हाईस्कूल बीरबाला तीलू रौतेली स्मारण मार्ग लिंक रोड।	0.70	14.94	क्रमांक 11 पर अंकित मार्ग की वनभूमि स्वीकृत होने के पश्चात इस मार्ग पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

1		2	3	4	5
69	नि0ख0 बैजरों	नैनीडांडा दल्दूखाल मार्ग किमी0 11 से भारवड़ी मार्ग निर्माण।	2.00	27.80	वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित।
70	नि0ख0 बैजरों	ग्राम चोपता हेतु गुरफली चोपता मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	83.40	वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर, वन रहित भाग में कार्य प्रगति में है।
71	नि0ख0 बैजरों	पोखरी उर्फ खुमेली गांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	138.00	वनभूमि प्रस्ताव गठित कर प्रतिहस्ताक्षरित हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी को भेजा जा रहा है।
72	नि0ख0 बैजरों	नैनीडांडा से संकरपुर दल्दूकला मार्ग से जालीखण्ड मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	69.00	वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित।
2—समरेखण विवाद के कारण बाधित—					
1	प्रा0ख0 पौड़ी	पथरडाखाल—गैठाछेडा मो0 मार्ग के किमी0 12 से भावन व पोखरी ग्राम को जोड़ने के लिये सम्पर्क मार्ग	4.00	55.60	ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद के कारण मार्ग दूसरी जगह से लिये जाने के लिये कहा जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु प्रयास जारी हैं।
2	प्रा0ख0 पौड़ी	पौड़ी—देवप्रयाग मो0 मार्ग के किमी0 27 से ग्राम धुर्धु को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग	6.00	83.40	ग्रामवासियों के नाप खेत मार्ग में आने के कारण सहमति नहीं मिल पा रही है। विवाद सुलझाने हेतु प्रयास जारी हैं।
3	प्रा0ख0 पौड़ी	पौड़ी—ल्याली—कालेश्वर मो0 मार्ग के किमी0 32 से सैन सम्पर्क मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	संरेखण विवाद के कारण कार्य बाधित।
4	प्रा0ख0 पौड़ी	पुलिस अधीक्षक के आवास के समीप से क्यूंकलेश्वर मंदिर तक मार्ग का निर्माण	0.800	17.07	उक्त कार्य जिला योजना के अन्तर्गत पत्रांक—179/24—4—जि0यो0—07—08, दि0 07—11—07 द्वारा स्वीकृत है। समरेखण विवाद हल न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। विवाद सुलझाया जा रहा है।
5	प्रा0ख0 पौड़ी	सल्डा से कण्डोला तक मो0 मार्ग निर्माण।	1.00	21.35	उक्त कार्य जिला योजना के अन्तर्गत पत्रांक—179/24—4—जि0यो0—07—08, दि0 07—11—07 द्वारा स्वीकृत है। मा0 विधायक, श्रीनगर द्वारा इस मार्ग को परिवर्तित कर अन्यत्र अपने विधान सभा क्षेत्र में मार्ग स्वीकृत करने का अनुरोध आयुक्त, ग0म0 पौड़ी से किया गया है।

1		2	3	4	5
6	प्रा0ख0 पौड़ी	ताराकुण्ड सम्पर्क मार्ग	1.60	3.50	सर्वेक्षण के शुरूवाती स्थान पर विवाद होने के कारण सर्वेक्षण बाधित। विवाद सुलझाया जा रहा है।
7	प्रा0ख0 पौड़ी	चपलोड़ी–फल्दाढ़ी मार्ग का विस्तार	1.00	21.35	ग्रामीणों द्वारा विवाद के कारण बाधित। विवाद सुलझाया जा रहा है।
8	प्रा0ख0 पौड़ी	ताराकुण्ड सम्पर्क मार्ग द्वितीय चरण का कार्य	1.00	13.10	सर्वेक्षण के शुरूवाती स्थान पर विवाद होने के कारण सर्वेक्षण बाधित। विवाद सुलझाया जा रहा है।
9	प्रा0ख0 पौड़ी	पैडाणी–कोटी मो0 मार्ग	4.00	55.60	ग्रामीणों द्वारा स्वीकृत समरेखण के प्रारम्भ में विवाद।
10	प्रा0ख0 पौड़ी	एकेश्वर मो0 मार्ग के बड़ोली बैण्ड से नगरोली–घटगड होते हुए ग्राम नावा का स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी मार्ग का विस्तार	2.50	43.12	सर्वेक्षण के शुरूवाती स्थान पर विवाद होने के कारण सर्वेक्षण बाधित। विवाद सुलझाया जा रहा है।
11	प्रा0ख0 पौड़ी	साकरसैण में पश्चिमी नयार नदी पर पैदल सेतु	1नं0	36.00	स्थानीय विरोध के कारण कार्य बाधित।
12	प्रा0ख0 पौड़ी	विकास खण्ड पाबौ में ग्राम बेडा का जगड सम्पर्क मार्ग निर्माण	6.00	83.40	संरेखण पर विवाद के कारण कार्य बाधित।
13	नि0ख0 श्रीनगर	सांपला बैण्ड ग्राम पाली होते हुए गंजाकोट तक मो0 मार्ग निर्माण	1.50	25.87	समरेखण पर ग्राम पाली के ग्रामवासियों का विवाद है।
14	नि0ख0 श्रीनगर	खिर्सू–मुसागली–दमदेवल मो0 मार्ग के कि0मी0 7 से ग्राम मरोड़ा सम्पर्क मार्ग	1.50	20.86	संरेखण विवाद
15	नि0ख0 श्रीनगर	सुमाड़ी से हरकण्डी–जलेथा होते हुए दत्तखेत तक मो0 मार्ग	5.00	106.75	–तदैव–
16	नि0ख0 श्रीनगर	अमरासू–धिण्डवाडा–नकोट अम्बेडकर ग्राम मकलोड़ी मो0 मार्ग	29.00	516.00	–तदैव–

1		2	3	4	5
17	नि0खं0 श्रीनगर	बमैला–कटाखोली–ग्वाड़ पंचायती मो0 मार्ग	5.00	170.60	–तदैव–
18	प्रा0खं0 लैन्सडोन	डोबरा से धवेख–डोरी–डाबर मो0 मार्ग	2.00	70.00	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
19	प्रा0खं0 लैन्सडोन	नौड़खाल–नांद मो0 मार्ग सिंगटाली तक विस्तार (पुल सहित)	200+1मी0	421.23	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
20	प्रा0खं0 लैन्सडोन	थलनखाल–मलगांव–सुयलगांव मो0 मार्ग	6.00	103.50	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
21	प्रा0खं0 लैन्सडोन	जाखणीखाल–जमोला मो0 मार्ग	1.00	14.34	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
22	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम परन्दा से हयूंलाग–गूम तक मार्ग निर्माण कार्य।	5.00	69.50	संरेखण पर विवाद होने के कारण सर्वेक्षण कार्य नहीं कराया जा सका है। संरेखण हेतु पुनः प्रयास किया जा रहा है।
23	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सीलापुर यमकेश्वर मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	7.00	97.30	संरेखण स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।
24	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में भृगुखाल–सिलाणी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.60	संरेखण विवाद समाप्त, संरेखण मंजूर है। निविदायें आमंत्रित।
25	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बलूनीडांडा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	69.50	संरेखण में विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। पुनः सर्वे किया जा रहा है।
26	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिम्मलखेत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	111.20	संरेखण में विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। पुनः सर्वे किया जा रहा है।
27	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बैरागढ़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	41.70	संरेखण में विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। पुनः सर्वे किया जा रहा है।

1		2	3	4	5
28	नि0खं0 दुगड्डा	देवीखाल (मदालीखाल) से जुंकरसैण फतेहपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10.00	172.50	संरेखण विवाद था, अब संरेखण विवाद सुलझ गया है। आगणन गठित किया जा रहा है।
29	नि0खं0 दुगड्डा	दुगड्डा ब्लाक खोलकण्डी से मंदिर गांव।	1.00	21.35	समरेखण विवाद।
30	नि0खं0 दुगड्डा	काण्डाखाल से चण्डाखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	1.00	17.25	संरेखण विवाद गांववालों की सहमति नहीं बन पा रही है।
31	नि0खं0 दुगड्डा	टांगो सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	27.80	समरेखण विवाद।
32	नि0खं0 दुगड्डा	धरियालसार सम्पर्क मार्ग।	2.50	55.60	समरेखण विवाद।
33	नि0खं0 दुगड्डा	गूम (पौखाल) से दिउसा गोहनी रावत मोटर मार्ग।	0.30	5.20	समरेखण विवाद।
34	नि0खं0 बैजरों	कैन्दूर–रौली–बगवाड़ी–बुमेथ–मरोड़ मोटर मार्ग।	12.00	186.80	मार्ग का समरेखण में विवाद सुलझ गया है। आगणन गठित किया जा रहा है।
35	नि0खं0 बैजरों	करसाड़ी–गढ़कोट–झापरी मोटर मार्ग पर झापरी से गुढ़ियाखाल मल्ला–सत्यनगर मल्ला–तल्ला मोटर मार्ग	3.00	51.75	समरेखण विवाद सुलझा लिया गया है, किन्तु ग्रामवासियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया है।
36	नि0खं0 बैजरों	बीरोंखाल से रतियामहादेव–कालिकाधार गटकुण्ड–बहेरूडैया–नामणी–गिवईपानी चित्तौड़खाल मोटर मार्ग	6.00	103.50	मार्ग के समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण।
37	नि0खं0 बैजरों	धुमाकोट के अन्तर्गत डोलियाखाल से सिवाखेत हेतु लिंक मार्ग निर्माण।	5.00	175.00	मार्ग के समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण।

1		2	3	4	5
38	नि0ख0 बैजरों	सिकारा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत कांडा ग्वीन (ग्रामसभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	120.00	मार्ग के समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण।
39	नि0ख0 बैजरों	बीरोंखाल–दुनैला तल्ला–मगराईखाल–दुनाव मोटर मार्ग के स्थान पर डिम्डोली खाल से चन्दोली तल्ली–ग्वालियर (अनु0 जाति बस्ती) एवं ग्राम महादेव सैण तक सम्पर्क मार्ग।	1.00	21.35	ग्रामवासी भूमि देने को सहमत नहीं हैं।
40	नि0ख0 बैजरों	खाल्यूडांडा हल्दूखाल मार्ग किमी0 11 से मरचाडी मार्ग निर्माण।	2.00	53.27	क्रमांक 32 के अनुसार।
41	नि0ख0 बैजरों	गौलीखाल–पतरौली–गड़खेत मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	ग्रामवासियों के द्वारा भूमि न देने के कारण।
42	नि0ख0 बैजरों	खरेरीखाल से झडपानी मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	41.70	ग्रामवासियों द्वारा मार्ग परिवर्तन की मांग की जा रही है, जिसके कारण मार्ग निर्माण हेतु सर्वे कार्य नहीं हो पा रहा है।
43	नि0ख0 बैजरों	पोखड़ बैजरो मोटर मार्ग (नन्दाखेत)।	7.00	155.52	समरेखण विवाद
3–सर्वेक्षण/आगणन/निविदा गठन में लम्बित–					
1	प्रा0ख0 पौड़ी	सतपुली–पौखड़ा मार्ग के अवशेष किमी0 29 से 51 में सुधारीकरण एवं पक्कीकरण कार्य	—	—	कार्य का विस्तृत आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
2	प्रा0ख0 पौड़ी	पौड़ी–देवप्रयाग मो0 मार्ग के किमी0 20 में स्थान पालीखाल से घमुण्ड–बमोली–पवाई तक मार्ग निर्माण	14.00	241.50	ग्रामवासियों द्वारा समरेखण विवाद। जिसे सुलझा कर संशोधित समरेखण स्वीकृत हुआ है। कार्य की निविदायें दि0 14.10.08 को आमंत्रित की गई हैं।
3	प्रा0ख0 पौड़ी	व्यासघट्टी से छैतुड–उत्तिसी–गुतनिसी मो0 मार्ग	12.00	207.00	ग्रामवासियों द्वारा समरेखण विवाद। जिसे सुधारकर कार्य का विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।

1		2	3	4	5
4	प्रा0ख0 पौड़ी	रा0इ0का0 ओजली (खाण्डयूसैण) से ब्राह्मण कफलना मो0 मार्ग	4.00	85.40	मार्ग में भूवैज्ञानिक का निरीक्षण न होने के कारण संरेखण पर स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। जिस हेतु खण्ड द्वारा अपने पत्रांक–422/1सी0, दि0 01.07.08 द्वारा भूवैज्ञानिक को निरीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है।
5	प्रा0ख0 पौड़ी	विकासखण्ड कोट से ग्राम कटूड़ की हरिजन बस्ती को पौड़ी देवप्रयाग मो0 मार्ग से जोड़ने हेतु	6.00	129.70	उक्त मार्ग में भूवैज्ञानिक का सर्वे करा दिया गया है। ग्रामीणों के विवाद के कारण समरेखण प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जा सका है।
6	प्रा0ख0 पौड़ी	बजूण से नकोट–भद्दी–गजब अन्य पिछड़ा ग्राम तक मो0 मार्ग	2.50	52.72	समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
7	प्रा0ख0 पौड़ी	अदवाणी–नाहसैण–बड़ेथाखाल मो0 मार्ग के कि0मी0 23 से मण्डालू–डंगलाधार–जमतारी–मूतनिसी तक मो0 मार्ग	5.00	86.25	भूवैज्ञानिक का निरीक्षण अपेक्षित।
8	प्रा0ख0 पौड़ी	पिण्डवाड़ा–बजूण–चौदी–मरोड़ा–पलाल गांव तक मो0 मार्ग	10.00	251.10	–तदैव–
9	प्रा0ख0 पौड़ी	पौड़ी से रामकुण्ड देवप्रयाग से चुर्थ तक मो0 मार्ग निर्माण	7.00	120.75	–तदैव–
10	प्रा0ख0 पौड़ी	बड़ेथाखाल–खाण्डा मो0 मार्ग से खाण्डा गांव तक मो0 मार्ग	1.50	25.27	–तदैव–
11	प्रा0ख0 पौड़ी	बाखियूं–जखनोली–कोटा–महादेवसैण–दिवसी मो0 मार्ग	10.00	172.09	खण्ड द्वारा प्राप्त विस्तृत आगणन पर इस कार्यालय द्वारा प्राविधिक स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।
12	प्रा0ख0 पौड़ी	कोयलगांव–हलूणी मार्ग को 1.00 कि0मी0 अतिरिक्त विस्तार	1.00	17.25	उक्त कार्य जिला योजना के अन्तर्गत पत्रांक–1399/जि0यो0–2005–06, दि0 27.03.06 द्वारा स्वीकृत है। जिसकी निविदायें प्राप्त कर ली गई है। जिनका निस्तारण करने के उपरान्त शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

1		2	3	4	5
13	प्राoखo पौड़ी	कोयलगांव से जलूणी 1.00 कि0मी0 ह0मा0 मार्ग का मो0 मार्ग में परिवर्तन कार्य	1.00	20.25	उक्त कार्य जिला योजना के अन्तर्गत पत्रांक–1399 / जि0यो0–2005–06, दि0 27.03.06 द्वारा स्वीकृत है। जिसकी निविदायें प्राप्त कर ली गई हैं। जिनका निस्तारण करने के उपरान्त शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
14	प्राoखo लैन्सडौन	टकोलीखाल–बीरोंखाल मो0 मार्ग का निर्माण	15.00	258.75	ग्रामीणों द्वारा विवाद होने के कारण मार्ग का पुनः सर्वेक्षण किया जाना है।
15	प्राoखo लैन्सडौन	गुन्डलखेत–मलीगांव–घोटला मो0 मार्ग निर्माण	5.00	86.25	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा था। विवाद सुलझा लिया गया है।
16	प्राoखo लैन्सडौन	मरटखाल–रैंस मो0 मार्ग	2.00	70.00	आगणन गठित किया जा रहा है।
17	प्राoखo लैन्सडौन	दांसी से कटघर मो0 मार्ग	2.00	70.00	–तदैव–
18	प्राoखo लैन्सडौन	नौढखाल–नांद मो0 मार्ग	2.00	70.00	–तदैव–
19	प्राoखo लैन्सडौन	टकोलीखाल–बीरोंखाल लिंकिंग मार्ग	4.00	140.00	सर्वे कार्य प्रगति पर है।
20	प्राoखo लैन्सडौन	द्वारी से भौन मो0 मार्ग (पुल सहित)	5.00+1न0	250.00	समरेखण गठित किया जा रहा है।
21	प्राoखo लैन्सडौन	डाबखाल–अन्दसी–पलीगांव मो0 मार्ग	8.00	280.00	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
22	प्राoखo लैन्सडौन	बडेतखाल–गूम–बानी (पुल सहित)	8.00+1न0	234.00	भूवैज्ञानिक की आख्या अपेक्षित। निविदा आमंत्रित।
23	प्राoखo लैन्सडौन	खादरखारती मो0 मार्ग (पुल सहित)	6.00+1न0	100.86	आगणन गठित किया जा रहा है।
24	प्राoखo लैन्सडौन	डिमकी सम्पर्क मार्ग	3.50	45.50	आगणन गठित किया जा रहा है।
25	प्राoखo लैन्सडौन	सिंगालपानी–ग्वील मो0 मार्ग	1.20	23.32	आगणन गठित किया जा रहा है।
26	प्राoखo लैन्सडौन	डाबखाल–अन्दसी–पलीगांव मो0 मार्ग	2.00	42.70	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

1		2	3	4	5
27	प्रा0ख0 लैन्सडौन	रिखणीखाल–बयला–भयासूं मो0 मार्ग	2.32	49.59	आगणन गठित किया जा रहा है।
28	प्रा0ख0 लैन्सडौन	कदोली–पीड़ा–डोभा मार्ग से आंगनबाड़ी केन्द्र कन्दोली तक	1जाब	6.00	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
29	नि0ख0 दुगड्डा	पौखाल–भवासी मोटर मार्ग	1.00	21.35	आगणन गठित किया जा रहा है।

—अन्य कारणों से बाधित—

1		2	3	4	5
1	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नालीखाल–कसपूरी मोटर मार्ग से देवीखांडा–खोबरा–ढुगा–बिथ्याणी तक मोटर मार्ग का निर्माण	17.00	293.25	इस मार्ग के कि0मी0 10 तक दिनांक 17.11.08 को निविदायें आमंत्रित कर प्राप्त कर ली गई हैं, जिसमें निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। कि0मी0 11 से 17 तक शीघ्र ही निविदायें आमंत्रित कर दी जायेंगी।
2	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में हारीखाल में माण्डलू भ्वील मोटर मार्ग निर्माण।	6.00+1सेतु	136.15	उक्त कार्य का विस्तृत आगणन आपत्तियों के निराकरण के पश्चात इस कार्यालय पत्रांक–4120 / 1 एम0जी0, दिनांक 28.07.08 द्वारा अधि0 अभि0, 12वां वृत्त, पौड़ी को प्रेषित किया गया है। अधि0 अभि0, पौड़ी द्वारा आगणन मु0अभि0 (ग0क्षे0) को प्रेषित कर दिया गया है।
3	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में पौखाल–भवासी मार्ग पर माण्डलू से आगे अवशेष भाग में मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	1.00	67.35	टैण्डर काल किये जा चुके है। शीघ्र कार्य कराया जायेगा।
4	नि0ख0 दुगड्डा	पौड़ी में लालढांग–चिल्लरखाल–सिगड्डी फोरेस्ट डिपोजिट वर्क के रूप में मोटर मार्ग।	13.00	190.45	वन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था, लो0नि0वि0 को बनाने के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। शीघ्रातिशीघ्र कार्य शुरू करा दिया जायेगा।
5	नि0ख0 दुगड्डा	यमकेश्वर ब्लाक के अन्तर्गत नाथूखाल हर्षू मुडगांव मोटर मार्ग का विस्तार।	1.00	17.25	अनुबन्ध गठित। कार्य शीघ्र शुरू होगा।
6	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बिलकोट बैण्ड से मेहली गांव मोटर मार्ग का निर्माण।	6.50	227.50	वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित। आगणन गठित, टैण्डर आमंत्रित है।

1		2	3	4	5
7	नि0ख0 दुगड्डा	कण्वाश्रम नैल मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त पेड़ों का छपान पूर्ण। अब कार्य शुरू किया जायेगा।
8	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी में सनेह–कुण्डीचौड़ सिद्धबली मोटर मार्ग का एस0डी0सी0 के नवीनीकरण।	5.00	17.20	नवीनीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति अपेक्षित।
9	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी में रतनपुर–सुखरी बी0ई0एल0 मार्ग का एस0डी0सी0 के नवीनीकरण।	1.10	3.79	नवीनीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति अपेक्षित।
10	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी में निम्बूचौड़–मवाकोट मोटर मार्ग का एस0डी0सी0 के नवीनीकरण।	2.80	11.08	नवीनीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति अपेक्षित।
11	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी में पदमपुर–सिम्लचौड़ मोटर मार्ग का एस0डी0सी0 के नवीनीकरण।	1.98	10.88	नवीनीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति अपेक्षित।
12	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी में कौड़िया–देवी मंदिर मोटर मार्ग का एस0डी0सी0 के नवीनीकरण।	1.50	5.17	नवीनीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति अपेक्षित।
13	नि0ख0 दुगड्डा	सिम्मलचौड़ मोटर मार्ग का निर्माण।	2.50	34.75	एस0सी0पी0 गांव न होने के कारण निरस्त किया जाना है।
14	नि0ख0 दुगड्डा	कौड़िया–किमसार–धिमल्लयाली सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 7.00 से विलगा तक मोटर मार्ग।	3.00	41.70	प्राविधिक स्वीकृति अपेक्षित
15	नि0ख0 दुगड्डा	द्वान्दी सम्पर्क मोटर मार्ग।	7.00	97.30	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृति अपेक्षित।
16	नि0ख0 दुगड्डा	गुनेड़ी नल्ली मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	111.72	निविदा आमंत्रित, विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति अपेक्षित।
17	नि0ख0 दुगड्डा	धूम मोहनी रावत मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	17.25	एस0सी0पी0 गांव न होने के कारण निरस्त किया जाना है।

1		2	3	4	5
18	नि0खं0 दुगड्डा	आमखाल (काण्डी) डुंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.00	21.35	आगणन गठित कर दिया गया है। शीघ्र कार्य शुरू किया जायेगा।
19	नि0खं0 दुगड्डा	शम्भूनगर में पंचायत घर के पास जिला योजना में निर्मित मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	0.25	5.33	दो योजनाओं में स्वीकृति के कारण निरस्त किया जाना।
20	नि0खं0 दुगड्डा	रतनपुर-काण्डी मार्ग का डामरीकरण।	1.20	13.90	निविदा आमंत्रित। शीघ्र कार्य शुरू किया जायेगा।
21	नि0खं0 दुगड्डा	म्यूलेथ मोटर मार्ग।	1.00	27.80	फतेहपुर जुगरसैण मार्ग के संरेखण के बाद इसके सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
22	नि0खं0 दुगड्डा	मजेड़ा गांव कुमलोट सिमखेत किनाशी भौरगढ़ ढोलियाखाल मोटर मार्ग।	5.00	88.25	इस मार्ग के किमी0 1.000 से 1.500 तक कार्य प्रगति में है। किमी0 2.000 में पुनः विवाद हो गया है।
23	नि0खं0 बैजरों	मौन (दण्डार) असखेत बैंड मोटर मार्ग।	5.00	86.25	इस मार्ग के समरेखण में विवाद था, जिसे माह 10/08 में सुलझा दिया गया है। सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
24	नि0खं0 बैजरों	बीरोंखाल से मोरखिण्डा नेग्याणा तल्ला मोटर मार्ग।	3.00	51.75	मार्ग का समरेखण विवाद सुलझा दिया गया है। आगणन गठित किया जा रहा है।
25	नि0खं0 बैजरों	पौढ़ी गढ़वाल में बैजरो थलीसैंण मोटर मार्ग से चुकई सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	70.00	मार्ग का समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण। अब विवाद सुलझा कर आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है।
26	नि0खं0 बैजरों	कालाखेत सैंधार मोटर मार्ग का निर्माण किमी0 4 से 8 तकअवशेष कार्य।	5.00	29.15	आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
27	नि0खं0 बैजरों	पाटली नदी पर किनाश के नीचे 40 मी0 का झूला पुल का निर्माण।	40मी0	38.40	स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। पुनरू प्र0अ0 मुख्य अभि0 (ग0 क्षेत्र) के पत्रांक–3800/35(545) सा0-पर्व/07, दि0 29.07.08 द्वारा शासन को प्रेषित।
28	नि0खं0 बैजरों	थलीसैण में गदसारी–कोलिडा पर 36 मी0 में पैदल सेतु का निर्माण।	36मी0	36.00	आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।

1		2	3	4	5
29	नि0ख0 बैजरों	बाड़ियो बैण्ड पर खटलगढ़ नदी पर लौह सेतु का निर्माण।	30मी0	32.50	दो बार निविदा आमंत्रित करने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुयी। पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है।
30	नि0ख0 बैजरों	जनपद पौड़ी गढ़वाल में खाल्यूंडांडा–मौन–अपोलोसैरा मोटर मार्ग का डामरीकरण।	1.50	30.00	यह मार्ग एन0बी0बी0 योजना के अन्तर्गत भी प्रस्तावित हो गया है। अतः निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित।
31	नि0ख0 बैजरों	खाल्यूंडांडा–अपोलोसैरा मोटर मार्ग का निर्माण।	1.50	25.67	मार्ग के समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण। विवाद सुलझा कर पुनः सर्वे कर आगणन गठित किया जा रहा है।
32	नि0ख0 बैजरों	खाल्यूंडांडा–मौन–अपोलोसैरा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 3 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण।	1नग	6.25	आगणन गठित निविदा आमंत्रित।
33	नि0ख0 बैजरों	कमलिया हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य।	3.00	41.40	दरें अधिक होने के कारण निविदा पुनः आमंत्रित की गई है।
34	नि0ख0 बैजरों	दियोड़ रौंदणीताल चिलाव मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	67.50	वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त, अनुबन्ध गठित किये जा रहे थे, किन्तु ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया है।
35	नि0ख0 बैजरों	नैनीडांडा ब्लाक में भुजरा बैण्ड से खड़ेथ तक मोटर मार्ग का विस्तार।	5.50	66.00	मजेड़ा बैण्ड बगाड़ा अपोलोसैरा मोटर मार्ग के नाम से राज्य योजना में स्वीकृत मोटर मार्ग से इस मार्ग के कारण लाभान्वित गांव होने वाले गांव जुड़ जायेंगे। अतः इस मार्ग की आवश्यकता नहीं है।
36	नि0ख0 बैजरों	लिरकोट किनगोड़ीखाल से किनाथ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	27.80	विवाद सुलझा दिया गया है। कार्य प्रबन्धन की कार्यवाही की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता,

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–32 पर)

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विद्युतीकृत होने वाले ग्रामों, तोको की सूची

क्रमांक	ग्राम	तोक का नाम	विकास खण्ड	टिप्पणी
1.	भटवाड़ू	उडियारा चौड़	बीरोंखाल	इन गावों/तोकों का विद्युतीकरण 31.03.2009 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
2.	वाड़ाडांडा	क्यन्तूर	–तदैव–	
3.	कमलिया	कमलिया तोक	–तदैव–	
4.	बुड़ाकोट	भगवती तैल्या	–तदैव–	
5.	सिमखेत	उल्याणी	–तदैव–	
6.	घनशाली	तलाई	–तदैव– (आंशिक विद्युतीकृत)	
7.	एरोली	एरोली तल्ली	–तदैव– (आंशिक विद्युतीकृत)	
8.	पनिया	गोदी	पोखड़ा	
9.	घरासू	मैना	एकेश्वर	
10.	किर्सू	भवानीधार	एकेश्वर	

नत्थी 'ज'

(देखिए ता0 प्र0 सं0–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ–32 पर)

क्र0सं0	विषय	कार्यवाही का विवरण
1.	रीठाखाल–बैजरों मोटर मार्ग का हॉटमिक्स से डामरीकरण	सतपुली–पोखड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग में है। सतपुली–पोखड़ा मोटर मार्ग के किमी0 4 से 10 तक निर्माण खण्ड, पौड़ी द्वारा हॉटमिक्स का कार्य किया जा चुका है किमी0 11 से 28 प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी द्वारा एम0एस0डी0बी0सी0 का कार्य हो चुका है किमी0 29 से 51 की स्वीकृति शासनादेश सं0 764/III(2) 08–65 प्र0आ0/07, दिनांक 24.03.08 द्वारा रु0 966.56 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य की निविदा प्राप्त हो गयी है। पोखड़ा से बैजरों में किमी0 में हॉटमिक्स का कार्य प्रगति में है, शेष अवशेष 16 किमी0 ए0डी0बी0 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
2.	टोटाबाज–डिस्थाण–भरपूर–कसाणी–परिन्दा मोटर मार्ग।	इस मार्ग के किमी0 1 से 5 में वन विभाग द्वारा 3/80 में वृक्षों का पातन कर दिया गया है। वर्तमान में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।
3.	नौगांवखाल–चौबट्टाखाल–सेड़ियाखाल–पोखड़ा मोटर मार्ग का निर्माण।	इस मार्ग के चौड़ीकरण, पक्कीकरण (40 एम0एम0, एस0डी0बी0सी0) का प्रस्ताव चौबट्टाखाल गवाड़ी–पोखड़ा मोटर मार्ग के नाम से शासन में विचाराधीन है।
4.	वेदीखाल–चोरखिण्डा–नेग्याणा–सैंधार मोटर मार्ग का निर्माण।	माल की स्वीकृति 3 किमी0 के लिए प्राप्त है। इस मार्ग में चोरखण्डा ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। अब विवाद सुलझाकर 1.5 किमी0 लम्बाई (अविवादित भाग) का संरेखण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।
5.	गैठाणा मोटर मार्ग से ग्राम दुबलाग को जोड़ने हेतु	मराली–गैठाणा मोटर मार्ग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–VI में प्रस्तावित है।

क्रसं0	विषय	कार्यवाही का विवरण
6.	बीरोंखाल के ग्राम मैठाणा को मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में	मरोली मैठाणा 1.60 किमी0 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–6 के अन्तर्गत स्वीकृत है।
7.	धुंघटिया पुल संगताकोटी से जयखाल तक मोटर मार्ग स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत निर्माण विषयक	उक्त मार्ग 12 किमी0 लं0 में निर्माण करने हेतु शास0सं0–784/III(2) 08, दि0 24.03.08 के द्वारा रु0 420.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। सर्वे किया चुका है।
8.	लिंक रोड देवराड़ी देवी से सेढ़ियाखाल को स्वीकृत के सम्बन्ध में।	लिंक मार्ग देवराड़ी देवी से सेढ़ियाखाल तक 5 किमी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति शास0सं0–784/III(2) 08, दि0 24.03.08 के द्वारा रु0 175.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है।
9.	लो0नि0वि0 पौढ़ी द्वारा गडरी से पालीधार तक रोड के निर्माण विषयक	इस मार्ग के सम्बन्ध में दनदेवल–गडरी मोटर मार्ग का विस्तार नाम से प्रस्ताव प्राप्त है, जिस पर स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है।
10.	विकास खण्ड एकेश्वर के स्थान पर पणखेत मथाणा तक मोटर मार्ग का निर्माण	इस मार्ग का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु आगणन गठित कर लिया गया है।
11.	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत बापता के लिए मोटर मार्ग/जीप मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।	इस मार्ग का प्रस्ताव ग्राम बापता हेतु जिवई–बापता मोटर मार्ग नाम से शासन में प्राप्त है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।
12.	जिला योजना में वर्ष, 2007–08 के अन्तर्गत लो0नि0वि0 से सम्बन्धित योजनाओं को सम्मिलित करने विषयक	वर्ष, 2007–08 की जिला योजना में बीरोंखाल विधान सभा क्षेत्र की निम्न योजनायें आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के पत्रांक–9/24/4/जिला योजना/07–08, दि0 07.11.07 के द्वारा स्वीकृत है। 1. काण्डा मल्ला–काण्डुली मल्ली–तिमलीखाल मोटर मार्ग से प्रा0वि0 जनता हाईस्कूल बीरबाला तीलूरौतेली स्मारक मार्ग (लिंक) रोड।

क्र0सं0	विषय	कार्यवाही का विवरण
		2. मंदोली तल्ली–ग्वानियर (अनु0जा0 वाली) एवं ग्राम महादेवसैण तक सम्पर्क मार्ग 3. गैठाणाघाट–बाखली तकुलसारी मोटर मार्ग में सड़क से ग्राम नौलापुर तक 300 मी0 आर0सी0सी0 मार्ग। 4. ग्राम सभा पंचराड़ में पुलिया का निर्माण 5. ग्राम सभा कुणजोली में नौथला–गैरी जाने हेतु गदेरे में पुलिया का निर्माण कार्य।
13.	जनता इण्टर कालेज ग्वीन को मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में।	वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।
14.	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत ग्राम किमगड़ी के स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण	किमगडी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करने हेतु स्वीकृति जिला योजना 2007–08 में प्राप्त है। मार्ग में 600 मीटर लम्बाई में पहाड़ कटान व सोलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। भूस्खलन के कारण मार्ग में जगह–जगह पहाड़ खिसक रहा है, जिससे बरसात में कार्य कराना संभव नहीं था। मार्ग पर अत्यधिक मात्रा में मलवा आने से स्कपरों को भी क्षति हुई है। मलवा सफाई कर एवं स्कपरों की मरम्मत कर मार्ग को पुनः यातायात हेतु खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
15.	ज्वाल्पा देवी के झूला पुल से ग्राम थापला के निकट सांगौधार तक हल्के वाहन मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।	ज्वाल्पा देवी के ग्राम थापला के निकट सांगौधार तक हल्के वाहन मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में शासन के नीति के अनुसार हल्का वाहन मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।
16.	वेदीखाल–भरोलीखाल–पाडिण्डा मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।	यह मार्ग 3.00 किमी0 के लिए स्वीकृत है, जो कि पूर्ण कर लिया गया है। इसका विस्तार वेदीखाल भरोलीखाल पडिण्डा तक किये जाने हेतु प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

क्र0सं0	विषय	कार्यवाही का विवरण
17.	राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा ग्वीन के अन्तर्गत डाका ग्वीन में जीप मार्ग स्वीकृति के सम्बन्ध में।	शा0सं0–764/111(2)/08, दि0 24.03.08 द्वारा मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग पर समरेखण विवाद है, निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।
18.	अम्बेडकर ग्राम काण्डा मल्ला के अन्तर्गत खल्हीधार से बीरवाला तीलू रौतेली स्मारक तक 1 किमी0 लिंक मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मोटर मार्ग की स्वीकृति आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पत्र सं0–179/24–4/जि0यो0/07–08, दि0 07.11.07 द्वारा हो चुकी है, लम्बाई 0.700 किमी0 लागत रु0 14.94 लाख।
19.	पोखड़ा–बैंजरों मोटर मार्ग के पुनः निर्माण (हाटमिक्स से डामरीकरण) करवाये जाने के सम्बन्ध में।	निर्माण खण्ड बैंजरों के अन्तर्गत स्वीकृत 21 किमी0 में कार्य प्रगति में है, मार्च, 2009 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।
20.	रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल के लिए लिंक मार्ग निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।	यह मोटर मार्ग कोट मल्ला से कोट तल्ला, कठिया, कुलासु, रीठाखाल नाम से शासनादेश सं0 3138/III(2)/06–61 (प्र0आ0)/06, दि0 22.11.06 द्वारा 15 किमी0 लम्बाई हेतु 337.57 लाख स्वीकृत है जिसके विरुद्ध पहाड़ कटान कार्य प्रगति पर है।
21.	नौगांवखाल–रणस्या–धुनारखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में।	इस मार्ग के किमी0 1, 2, 3, 4, 6, 10 में पेंटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, किमी0 5 व 9 में टॉपकोट का कार्य पूर्ण हो चुका है। किमी0 7 व 8 में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न करने के कारण काली सूची में डाला गया है, इस कार्य का पुनः अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति पर है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जायेगा।

क्र0सं0	विषय	कार्यवाही का विवरण
22.	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत गडरी से सिकला मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।	इस मार्ग के सम्बन्ध में दमदेवल–गडरी मोटर मार्ग का विस्तार नाम से प्रस्ताव प्राप्त है, जिस पर स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है।
23.	जन्दादेवी–नाई–बौंदर मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।	इस मार्ग के किमी0 1 व 2 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण है। किमी0 3 व 4 में पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण है। मार्ग के दूसरी ओर से कार्य करने का रास्ता नहीं है, जिसके कारण एक ओर से ही कार्य हो पा रहा है। किमी0 5 में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है। लगभग 10 माह तक ग्राम नाई के ग्रामवासियों द्वारा किये गये व्यवधान के कारण कार्य बन्द रहा, अन्त में प्रशासन के हस्तक्षेप से कार्य प्रारम्भ हो सका। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0–17 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–35 पर)

(अ) मा0 विधायक, बीरोंखाल का पत्रांक–323/विधायक/06–निर्माण/07–08, दि0 13–11–07 में उल्लिखित 13 मार्गों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण:–

1. टोटाबांज–हिन्दाउ–डिसवाणीमल्ली–पाली–भरपूरबड़ा–मतकण्डई–थापला–मल्ला–ममराखोली–कसाणी–हलाण–सैंधार–मरोलीखाल मोटर मार्ग–

यह मोटर मार्ग नि0ख0लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–2554/III(2)/05–07(प्रा0आ0)/07 टी0सी0, दि0 28–10–05 द्वारा 20.00 किमी0 लम्बाई में रु0 278.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में है, जिसमें से 14 किमी0 तक पहाड़ कटान कार्य पूर्ण है एवं शेष कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि माह 08/09 है।

2. टिहरी–मुरादाबाद मो0 मार्ग के किमी0 214 से सिसई–पखोली–दुनाव मो0 मार्ग का डामरीकरण–

यह मोटर मार्ग नि0ख0लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत है। इस कार्य हेतु शा0सं0–2986/लो0नि0–02–03–37 (प्रा0आ0)/03, दि0 02–01–04 द्वारा 5.00 किमी0 लम्बाई में रु0 73.25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग का डामरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है।

3. जिवई–बीरंगणा मोटर मार्ग–

यह मोटर मार्ग नि0ख0लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–2503(1)/III(2)/06, दि0 20–09–06 द्वारा 6.00 किमी0 लम्बाई में रु0 103.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग के वनरहित भाग में पहाड़ कार्य प्रगति में है। किमी0 6 में वनभूमि पड़ती है। वनभूमि के प्रस्ताव नोडल अधिकारी के पत्रांक–3502/जी0–2183 पौड़ी, दि0 07–06–08 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित।

4. जोगीमड़ी–सराईखेत (कटपतिया होते हुए) मोटर मार्ग–

यह मार्ग नि0ख0 लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत पड़ता है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–2228/III(2)/06–32 (प्रा0आ0)/06, दि0 02–09–06 द्वारा 13.00 किमी0 लम्बाई में रु0 224.25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग में वनभूमि पड़ती है, जिसका संयुक्त निरीक्षण गढ़वाल/कुमाऊं के अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।

5. बीरोंखाल मोटर मार्ग के किमी0 16 से 30 तक का डामरीकरण एवं सुधारीकरण–

यह मोटर मार्ग प्रा0ख0, लो0नि0वि0, लैन्सडौन के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–2755/III(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06, दि0 10–11–06 द्वारा 15.00 किमी0 लम्बाई में रु0 258.75 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें माह 12/06 से कार्य प्रारम्भ कराकर वर्तमान में रोड़ी एकत्रीकरण का कार्य एवं बिछान का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा माह 08/08 तक 9 किमी0 तक पी0सी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है, जिसको इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

6. दियोली–बन्दरकोट–मरखोला–मुवाणबाखली–कोठा–तिमलाखेली–थवढ़िया–नौलापुर–खेतु–केदारगली मोटर मार्ग–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–3138/III(2)/06–61 (प्रा0आ0) दि0 22–11–06 द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई में रु0 172.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग में वनभूमि पड़ती है जिसका संयुक्त निरीक्षण हो चुका है तथा वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं। वनरहित भाग में कार्य प्रगति में है।

7. काण्डा मल्ला से कण्डूली बड़ी–तिमलीखाल मोटर मार्ग–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–3138/III(2)/06–61 (प्रा0आ0), दि0 22–11–06 द्वारा 6.00 किमी0 लम्बाई में रु0 103.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग में वनभूमि पड़ती है। प्रस्ताव दि0 15–07–08 को जिलाधिकारी, पौड़ी को प्रतिहस्ताक्षरित हेतु प्रेषित किये गये हैं।

8. बाखियों बैण्ड पर खटलगढ़ नदी पर लौह सेतु–

इस सेतु की स्वीकृति शा0सं0–3138/III(2)/06–61 (प्रा0आ0), दि0 22–11–06 द्वारा 30.00 मीटर हेतु लागत 32.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुल निर्माण हेतु दो बार निविदायें आमंत्रित करने पर कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है।

9. रसिया महादेव–कालिंकाधार–बढ़ैरूढया–नागणी–चित्तौड़खाल मोटर मार्ग–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–3109/III(2)/06–18 (प्रा0आ0), दि0 23–11–06 द्वारा 6.00 किमी0 लम्बाई में रु0 103.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। संरेखण विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

10. उंखाल–खैडगांव मल्ला एवं तल्ला भैंसवाडी–दलमाणा–मालकोट–काण्डई–भमेली–रीठाखाल मोटर मार्ग–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, पौड़ी के अन्तर्गत है। इसकी स्वीकृति तीन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत है। 1– शा0सं0–2503/III(2)/06–37 (प्रा0आ0)/06, दि0 20–01–06 द्वारा लम्बाई 11.00 किमी0 लागत 189.75 लाख एवं शा0सं0–8425/लो0नि0–2–2003, दिनांक 19–02–03 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी. लागत रु0 12.90 (प्रथम चरण) तथा शा0सं0 1376/III(2) 05–31 (एम0एल0ए0)/02, दि0 04–08–05 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी0 लागत 28.80 लाख (द्वितीय चरण) के लिये प्रदान की गई है। जिसमें प्रगति निम्न प्रकार है:–

(अ) 2 किमी0 लम्बाई में हल्के मो0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है व यातायात योग्य है।

(ब) प्रथम दो किमी0 के आगे 3.00 किमी0 लम्बाई में नवनिर्माण के विरुद्ध वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। वर्तमान में पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण है, भाग दो का कार्य पूर्ण कर इस वित्तीय वर्ष में मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(स)उपरोक्त के आगे 11.00 किमी0 लम्बाई में नवनिर्माण स्वीकृति के प्रारम्भ में उपरोक्त 3.00 किमी0 मार्ग पर वनभूमि के कारण कार्य विलम्ब से होने के कारण इस 11.00 किमी0 स्वीकृति का कार्य भी विलम्बित हुआ इसमें पहाड़ कटान हेतु अनुबन्ध गठित किये जा चुके हैं, परन्तु प्रथम किमी0 में कार्य प्रारम्भ किये जाने पर ही क्षेत्रीय जनता द्वारा संरेखण में माह 4/08 में विवाद उत्पन्न किया गया, जिस पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है इस संरेखण विवाद को हल किये जाने हेतु एस0डी0एम0, धौबठट्टाखाल द्वारा दिनांक 11–11–08 की तिथि नियत की गई है, लेकिन त्रिस्तरीय चुनाव के कारण प्रशासन समय नहीं दे पाया। वर्तमान में पुनः विभाग द्वारा प्रशासन को उक्त विवाद के हल के लिये कार्यवाही की जा रही है। इसी मार्ग के कुछ भाग मे वनभूमि का मामला लम्बित है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी को पत्र लिखा गया है।

11. गवाणी–झलपाणी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, पौड़ी के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग 7.00 किमी0 लम्बाई में 11/06 में 141.75 लाख हेतु स्वीकृत है, जिस पर किमी0 2.00 से 7.00 तक पक्कीकरण का कार्य 05/08 तक पूर्ण कर लिया गया है। प्रथम किमी0 में पक्कीकरण कार्य शेष है, जिसे मौसम अनुकूल होने पर इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

12. कोलाखाल–जैकोट मोटर मार्ग पर 42 मीटर गर्डर सेतु–

प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति शा0सं0–3138/III(2)/06–61 (प्रा0आ0), दि0 22–11–06 द्वारा लम्बाई 42 मीटर लागत 68.00 लाख के लिये प्रदत्त है। सेतु निर्माण हेतु स्थल का सर्वेक्षण कार्य दि0 23–11–08 को कर दिया गया है तथा निविदा प्राप्त है। शीघ्र निविदाओं का निस्तारण कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

13. जगदादेवी–ओडगांव सम्पर्क मार्ग का ग्राम बौन्दरखाल तक विस्तार–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, पौडी के अन्तर्गत है। इस मोटर मार्ग हेतु शा0सं0–2755/III(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06, दि0 10–11–06 द्वारा 8.00 किमी0 लम्बाई में रु0 138.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग के किमी0 1,2 में कटिंग का कार्य पूर्ण। किमी0 3,4 में पहाड कटान का कार्य लगभग पूर्ण है मार्ग के दूसरी ओर से कार्य करने का रास्ता नहीं है, जिसके कारण एक ओर से ही कार्य हो पा रहा है। किमी0 5 में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में है तथा लगभग माह 10 तक ग्राम नाई के ग्रामवासियों के द्वारा किये गये व्यवधान के कारण कार्य बन्द रहा। अन्त में प्रशासन के हस्तक्षेप से कार्य आरम्भ हो सका, तथा अब कार्य प्रगति पर है।

(ब) माननीय विधायिका, बीरोंखाल का पत्रांक–324/विधायक/06–निर्माण/07–08, दि0 13–11–07 में उल्लिखित मार्गों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण:–

1. टिहरी–मुरादाबाद मो0 मार्ग के किमी0 214 से सिसई–पखोली–दुनाव मो0 मार्ग का डामरीकरण–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, बैजरों के अन्तर्गत है। इस कार्य हेतु शा0सं0–2986/लो0नि0–02–03–37 (प्रा0आ0)/03, दि0 02–01–04 द्वारा 5.00 किमी0 लम्बाई में रु0 73.25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग का डामरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. बीरोंखाल मोटर मार्ग के किमी0 16 से 30 तक का डामरीकरण एवं सुधारीकरण–

यह मोटर मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, लैन्सडौन के अन्तर्गत पड़ता है। इस कार्य हेतु शा0सं0–2755/III(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06, दि0 10–11–06 द्वारा 15.00 किमी0 लम्बाई में रु0 258.75 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे 12/06 से कार्य प्रारम्भ कराकर वर्तमान में रोड़ी एकत्रीकरण का कार्य एवं बिछान का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा माह 08/08 तक 9 किमी0 तक पी0सी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है, जिसको इसी वित्तीय वर्ष में करने का लक्ष्य है।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग रीठाखाल से संगलाकोटी (पोखड़ा) तक मार्ग–

यह मोटर मार्ग प्रा0ख0, लो0नि0वि0, पौड़ी के अन्तर्गत है। सतपुली–पोखड़ा मार्ग के अवशेष भाग किमी0 29 से 51 तक के नाम से बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से सुधार हेतु शा0सं0–764/III(2)/08–65 (प्रा0आ0)/07, दि0 24–03–08 द्वारा लागत रु0 966.56 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य हाटमिक्स प्लाण्ट से किया जायेगा। उक्त कार्य की निविदा प्राप्त है, जिससे निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

4. विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत स्थान जणदादेवी–नौगांवखाल–चौबट्टाखाल मोटर मार्ग–

यह मार्ग नि0ख0, लो0नि0वि0, पौड़ी के अन्तर्गत है। इसकी स्वीकृति सतपुली–एकेश्वर–चौबट्टाखाल मो0 मार्ग पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 कार्य के नाम से 35.30 किमी0 लम्बा हेतु प्रदान की गई है। जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं सतपुली से श्रीकोटखाल लम्बा 17.00 में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 वि0स0/396–29–12–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।